

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

SHORT DURATION DISCUSSION

Recent incidents of atrocities on Dalits in various parts of the country

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Short Duration Discussion. Shri Sharad Yadav to initiate.

श्री शरद यादव (बिहार): उपसभापति जी, आज देश में जो हालात हैं, उसके बारे में कहां से शुरू करें और कहां अंत करें, यह कहना एक तरह से मुश्किल हो गया है। मैं जब इस सदन में सन् 1974 में पांचवीं लोक सभा में आया था, तो पहला सवाल नागपुर के पास रहने वाले एक दलित, बबरुभान के बारे में उठाया गया था, जिनकी आंख निकाल ली गई थी। यह सिलसिला लगातार और अनवरत जारी है। ऐसा कोई सत्र नहीं है, कोई साल नहीं है, कोई दिन नहीं है, जब ऐसी घटनाएँ न हुई हों। हिन्दुस्तान की एक-चौथाई आबादी आदिवासी और दलित की है। आदिवासी तो एक तरफ बसे हुए हैं और उनके हालात एवं परिस्थितियाँ विषम हैं। उनका जीवन पूरी तरह से तंग और तबाह है, जबकि दलित हिन्दुस्तान के हर गाँव, हर शहर और हर बस्ती में होते हैं, जिनका अलग मोहल्ला होता है। वे गाँव के बाहर रहते हैं। उनके पास खेत नहीं हैं। दूसरों की सेवा करने के सिवाय उनके पास आय का किसी तरह का कोई साधन नहीं है। वे दिन भर अपने शरीर को मेहनत करने में लगाते हैं। उसके साथ-साथ देश भर की, खासकर इंसान की जिंदगी में हर तरह की जो सफाई होती है, उसका जिम्मा भी इन्हीं को दिया गया है। आज ढाई हजार वर्ष हो गए, आज़ादी के 70 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे आज़ादी की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे दलितों पर अन्याय और जुल्म की खबर यहां-वहां से रोज आती रहती है। हम बहुत बार इस सदन में और उस सदन में लगातार इस पर बहस करते रहते हैं। कोई सत्र नहीं है, जिसमें इनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादती होती है, उसके मामले को, उसके सवाल को उठाने का काम न होता हो। दो-तीन दिन से पूरे देश को यह सवाल बेचैन किए हुए है। कल गुजरात बंद था। अब पहले जैसी हालत नहीं है कि जो दलित है, जो सदियों से हर तरह की चीज़ों से वंचित है, जिसके हाथ से इज्जत, मान, सम्मान, सम्पत्ति, सम्पदा, सब चीज़ें छीन ली गयी हैं, पूरे देश में आज भी हर जगह ऐसा हो रहा है। आज से दस दिन पहले, हरियाणा में गुड़गांव के पास एक बड़ा भारी गुट बना हुआ है जो गाय की रक्षा करते हैं। वहां मुश्किल यह है कि गाय को खरीद कर किसी और जगह ले जाने का काम होता है, वहां पर उतारकर उनको मारते हैं। आज देश भर में गायों या बैलों का इलाज मुश्किल हो गया है। आज देश भर में एक नयी बात हो रही है। बिहार का चुनाव हो रहा था, तब भी इनकी पार्टी ने एक पोस्टर निकाला, जिसमें गायों के गले मिल रहे हैं। ऐसा चारों तरफ है। यहां गुजरात में जो गऊ रक्षक हैं — गाय की रक्षा करने वाले कहते हैं कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी-देवता बसते हैं। ऐसी एक से एक अंधविश्वास की चीज़ें इस देश में फैलाकर रखी हुई हैं। यह वीडियो जो इन्होंने वायरल किया, उसके संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने खुद इसका वीडियो बनाया। इनका हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि इसको इन्होंने जारी भी कर दिया। हम कहते हैं कि देश दुनिया में मज़बूत हो जाएगा, देश आगे चला जाएगा। इस देश में 80 फीसदी जो लोग हैं, उन्हें न्याय कहां से मिलेगा? इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, उसमें इन

[श्री शरद यादव]

लोगों की हाज़िरी, इन लोगों की जगह नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि हर एमपी, हर एमएलए के पास, खासकर हमारे पास बहुत से लोग आते हैं। नौकरी चली गयी या नौकरी में लग गए, तब भी उनकी सीआर से लेकर सब तरह की चीज़ों को बरबाद करने का, तबाह करने का काम चल रहा है। जो विश्वविद्यालय हैं, लगातार बजट घट रहा है, इस सरकार में बजट घटाया गया है, चाहे वे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हों या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हों। अभी मैंने सरकार से जानने की कोशिश की, होम मिनिस्टर साहब इस संबंध में जरूर बताएं कि 2016 में आज की तारीख में, एक तरह से 2010 से लेकर अब तक के मेरे पास जो आंकड़े हैं, इस फासले में, 2010 से लेकर 2014 तक, जिसमें 2014 का आधा पीरियड आपका है, उसमें जो अपराध के आंकड़े हैं, 47,064 अत्याचार के मामले दर्ज हैं। हर दिन सात दलित महिलाओं के मान-सम्मान पर, उनकी इज्जत पर हमला किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। हर दिन दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, रोज कहीं न कहीं उनकी मां, बहन, बेटी की इज्जत और मान-सम्मान के ऊपर चारों तरफ हमला होता रहता है। मैं आपसे कहूँ कि न्याय कैसे मिले, कैसे ये ज़ालिम लोग डरें! जो लोग ज़ालिम हैं, जो दिमाग से खराब हैं, जिनके दिमाग में यह बना हुआ है कि हमें ऊंचे हैं और दूसरा नीचा है, इन लोगों के ऊपर कैसे रोक लगे? जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सारे जजों में एक भी जज एस.सी./एस.टी. का नहीं है। इनकी एक-चौथाई आबादी है। अभी 470 जजों को नियुक्त करने वाले हैं। जिनका दर्द है, जिनकी तकलीफ है, उनको कहां से न्याय मिले? जो न्याय की संस्था है, उसमें एक भी एस.सी./एस.टी. जज नहीं है। कुछ लोग पहले जज बने थे, वे बहुत ऊपर तक गए, लेकिन वे कैसे तंग और तबाह थे, हमें मालूम है।

हम हिन्दुस्तान में 70 वर्ष से आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, विशेष अवसर के बारे में रोज़ कहते हैं। इस सदन से बाहर निकलिए, हर जात का, कोई जात का, जैसा जो आदमी होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा, तो वह रिजर्वेशन के हक में होगा और ऊंचे तबके का होगा, तो वह रिजर्वेशन के खिलाफ होगा। यह जात की हकीकत है। मैं नहीं कहता कि यह खराब है, मैं यह भी नहीं कहता कि अच्छी है, लेकिन इस पर बहस तो होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के इतिहास में इतने युद्ध हुए, इतने संग्राम हुए, एक युद्ध बता दीजिए जो यह देश जीता हो। आप पाकिस्तान-हिन्दुस्तान की बात जरूर करने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? आपने हिन्दुस्तान की 80 फीसदी आबादी को और खासकर के जो एक-चौथाई दलित है, उसकी समस्याओं पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं हैं। रोज यहाँ पर जुल्म होगा, इस पर बहस होगी, लेकिन यह सर्वोच्च सदन है, ऊपरी सदन है, यहाँ कोई फैसला नहीं होता है कि इसका रास्ता कैसे निकाला जाए।

उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि 1042 अकेले गुजरात में जुल्म हुए हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं और सजा कितने लोगों को हुई है? केवल तीन फीसदी लोगों को सजा हुई है। सारे देश में, जब जगह पर... यहाँ बाजू में रोहतक है, यह व्याख्या हो रही है, जो दलित लड़की है, पहले एक बार उसके मान-सम्मान, इज्जत पर हमला हुआ, दूसरी बार फिर उसकी इज्जत पर हमला हुआ। वहाँ पर यह पंचायत हो रही है कि जिन लोगों ने अन्याय किया, उनसे भी बात करनी है।

आज से आठ-दस महीने पहले की बात है रोहित वेमुला... यानी हिन्दुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारी जो जाति व्यवस्था है, उसमें गरीब आदमी किसी तरह से वहाँ पहुँच गया

है, लेकिन उसे जो सुविधा भारत सरकार ने दी है, वे उसको भी नहीं देते हैं। दूसरी तरफ उनके साथ ऐसा जुल्म और अन्याय करते हैं कि वे अपमान के कारण सूली पर चढ़ जाते हैं। रोहित वेमुला ने अपमान के कारण ऐलान किया कि मेरा जन्म ही मेरा गुनाह है। बाबा साहेब ने विद्रोह किया, जीवन भर सजा से लेकर सब तरह का काम किया, लेकिन हिन्दुस्तान की 70 बरस की आजादी में, जो दलित है, उसे इस जगह पर आकर खड़ा होना पड़ा कि वह सोचता है कि मेरा जहां पर जन्म हुआ है, वही मेरा गुनाह है। मैं इसे ही खत्म कर देता हूं। यहीं जूनागढ़ में फिर एक नौजवान जो दलित है, उसने आत्महत्या कर ली। यह सब देखकर दिल दहल जाता है। इस देश की जाति व्यवस्था कहां-कहां और किस-किस जगह तालिबानी तरीके का व्यवहार करती है, सदन को इस पर एक दिन बड़े पैमाने पर बहस करनी चाहिए। एक नौजवान फिर यह अपमान देखकर वह भी सूली पर चढ़ गया। ये जितने नौजवान हैं तथा जिनको पीटा गया है, ये उन जानवरों की खाल निकल रहे थे, जिनको हम पालते हैं। इनके साथ जो व्यवहार हुआ, उस व्यवहार को देखकर जूनागढ़ का नौजवान आत्महत्या कर लेता है। कुछ लोग हैं, जो अपमान को बरदास्त करते हैं। मुझे लगता है कि हजारों वर्ष से अगर हमारे ऊपर किसी का उपकार है, तो वे हिन्दुस्तान के दलित हैं। उनको बहुत ही बुरी हालत में गांव से बाहर बसाते हैं और उनकी इज्जत व मान-सम्मान लूटते हैं। आज भी पूरे देश में सबको घोड़ी पर चढ़ने की इजाजत है, लेकिन उनको नहीं है।

कल मायावती जी के बारे में एक पार्टी के पदाधिकारी की जुबान से क्या चीज निकलती है? इससे यही जाहिर होता है कि हम अपनी पार्टियों के भीतर, हिन्दुस्तान की सामाजिक विषमता के बारे में अपने कांडर को, अपने लोगों को समझाने काम नहीं करते हैं। हम उनको न्याय दृष्टि नहीं देते हैं। हम दिन भर बाबा साहेब का नाम लेते हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच में जो करार हुआ था, वह यही तो था कि मन बदलकर, हिन्दुस्तान बदलना है। यही तो करार था, जिस पर पूना पैक्ट हुआ था। इसके बीच में हिन्दुस्तान के दो बड़े लोग थे। उन्होंने यह रास्ता पकड़ा था हम हिन्दुस्तान को बदलेंगे और यह जो इसमें कोढ़ है, यह जो विषमता है, इसको मिटाने के लिए महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। इतनी दिक्कत के बाद भी बाबा साहेब ने उनके जीवन को बचाने का काम किया और एक करार हुआ। वह करार यही तो था कि लोकतंत्र के जरिए, विशेष अवसर के जरिए हम दलित की जिंदगी को बदलेंगे। आज उसकी जिंदगी कितनी बदली है, कहां बदली है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सदन में जो दलित लोग आ जाते हैं, वे पार्टियों के भीतर हैं, उनका पार्टियों में हौसला नहीं है और वे अपनी तबीयत से, अपने मन से अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं। उस समझौते में बाबा साहेब का रास्ता अलग था और महात्मा गांधी का रास्ता अलग था। बाबा साहेब चाहते कि इनका अलग से कलेक्ट्रेट बनाओ। मैं मानता हूं कि आज वे विंडिकेट हो गए कि अलग से कलेक्ट्रेट होता तो दलित यहां लोक सभा में, राज्य सभा में और विधान सभा में चुप नहीं बैठता। जो यह तर्क था कि मन बदलकर और हृदय बदलकर हम भारत के समाज को बदलेंगे और इसे संवारेगे, तो सुधार क्या हुआ?

उपसभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2010 में हत्याएं 570 हुई हैं और यह आंकड़ा बढ़कर 2011 में 673 हो गया, 2012 में 661 हो गया, 2013 में यह आंकड़ा 676 हो गया। इसी प्रकार 2014 में यह आंकड़ा 744 हो गया। सन् 2010 में देश में कुल 1,349 बलात्कार हुए, 2011 में 1,557 हुए, 2012 में 1,576 हुए, 2013 में 2,073 हुए और 2014 में होम मिनिस्टर साहब, आप बताइए कितने बलात्कार हुए हैं? यह 2014 का आधा साल आपकी सरकार के समय का

[श्री शरद यादव]

है। यह आंकड़ा बढ़कर 2,452 हो गया है। इस तरह कुल 33,712 अपराध हुए, 2011 में 33,719, 2012 में 33,655, 2013 में 49,408 और अंत में, जिस में आधा पीरिएड आपका है, उसमें 47,064 अपराध हुए यानी इन में 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। देश में आजादी आगे बढ़ रही है, लेकिन जुल्म और ज्यादाती गरीबों व दलितों पर बढ़ती जा रही है।

महोदय, इस विषय पर हर सत्र में बहस होती है, लेकिन इस समस्या का समाधान इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी व्यवस्था न्याय नहीं देती। आज इन दलितों पर अन्याय हुआ और हम उस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन अदालत में जब केस चलेगा तो कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि इन लोगों को उसी खेत में काम करना है, उसी रास्ते से निकलना है, उन्हीं के यहां उनकी रोजी-रोटी है, फिर वह कैसे गवाही दे देगा? उपसभापति जी, यह अकेले गुजरात में ही नहीं होता, खैरलांजी में यह होता है, हरियाणा में होता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में होता है, तमिलनाडु व केरल में होता है। हिन्दुस्तान की कौन सी जगह है, जहां इस तरह की घटनाएं नहीं होतीं? हम कहते हैं कि देश मजबूत बनाएंगे और इन की देश में एक चौथाई आबादी है। हमारे देश में किसानों की भी एक बड़ी आबादी है। वे भी आत्महत्या करते हैं। जो मेहनत करने वाले हैं, रोज मेहनत करने वाले हैं, उनकी जिंदगी रोज नीचे सरक रही है, फिर यह देश कैसे मजबूत बनेगा? महोदय, यह जो घटना गुजरात में हुई है, वहां यह गौरक्षक संगठन किसने बनाया, क्यों बनाया? क्यों भारत सरकार इस पर बैन नहीं लगाती? महोदय, यह तमाशा इसलिए चलता है क्योंकि आज बेकार व बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ी है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और दलित रोज हर तरह से अपमानित हो रहा है। यह अजीब देश है। आप इस की महान संस्कृति का बहुत वर्णन करते हैं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस संस्कृति में एक बड़ा दुर्गुण है कि ऊपर तो ये जो बड़ा है, उसे सलाम करते हैं और नीचे वाले को दुत्कारते हैं। यह हमारी जाति व्यवस्था का पक्का गुण है और यह गुण हमारे समाज में जीवन भर चलता है। अभी मायावती जी के बारे में जिस व्यक्ति ने अपमानजनक बात कही, लोग कहते हैं कि उस पर एफआईआर होनी चाहिए। यह देश के चुने हुए लोगों का सदन है, यहां आप किस बात की गवाही चाहते हैं? यहां हम सब बैठे हैं, सरकार बैठी है और जो आदमी बुरा बोलता है तो यह एससीएसटी एक्ट किसलिए बना है? यह बात उस व्यक्ति के बारे में कही गयी जो चार बार मुख्य मंत्री रही हैं और यहां हमारे साथ पूरे देश के लोगों के हक और हकूक की बात करती हैं। इस स्थिति में हम कैसे पहुंचे, इस बारे में सोचने का यह वक्त है? यह इस छोटी सी बहस से नहीं होगा, मैं चाहूंगा कि अलग से एक सत्र बुलाया जाए क्योंकि हमारे यहां कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था की विषमता है। सर, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन गोली से शहीद हुए और फिर उन्होंने वहां के व्हाइट हाउस में एक ब्लैक को बिठा दिया। हम उनके रहने, खाने, भाषा की बड़ी नकल करते हैं, लेकिन उनके यहां flexibility है। वहां 70 फीसदी व्हाइट लोग हैं। उन्होंने अपने यहां इस बीमारी को बहुत हद तक दूर कर दिया है। जिस सदन का नाम White House है, उन्होंने उसमें काले को बिठा दिया है, लेकिन हम यहां पर बदलने को ही तैयार नहीं हैं। हम बहस करेंगे और कल फिर कहीं से उड़ती हुई खबर आ जाएगी। हम यहां फिर बोलेंगे, लेकिन हमारी बोली हिन्दुस्तान की बीमारी के सामने इतनी छोटी है कि हम बोलते रहते हैं, पर समाज अपनी रफ्तार से चल रहा है। क्या मतलब है,

जो इन नौजवानों के ऊपर इस तरह से प्रहार किया गया है? आज वे अस्पताल में हैं, लेट नहीं सकते हैं। भाई, यह अजीब बात है? वे क्या कर रहे थे? उनका क्या गुनाह था? ये कौन-से गौ रक्षक हैं, कहां से पैदा हुए हैं? सरकार का काम है कि यदि कानून नहीं है, तो कानून बनाए। मैं कहना चाहता हूं कि पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो या जंगल हो, ये सभी हमारे जीवन की प्रिय चीजें हैं। सबको बचाने का काम होना चाहिए, लेकिन किसी एक जानवर के नाम पर लोगों को तंग, तबाह और अपमानित किया जाए, यह उचित नहीं है। वे कितने इलाके हैं, जिनमें बीफ़ खाया जाता है? हमारे देश में ऐसी कितनी बड़ी आबादी है? हम बस विवाद-विवाद करके रह जाते हैं। आपने जो वादे किए, आप उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। आपने कहा था कि आप 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, आप काला धन वापस लाएंगे, आप किसान को उसके उत्पादन का डेढ़ गुना दाम देंगे, आप गंगा साफ़ कर देंगे। आप उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं? आप उन मुद्दों को लेकर क्यों नहीं चलते हैं? उलटा ये लोग, ऐसे लोगों को.... मैं समाप्त करता हूं। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ा हुआ है, इनका हौसला टूटना चाहिए। यदि इनका हौसला नहीं टूटा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका हौसला आगे आने वाले समय में टूट जाएगा। यदि आपने उठने का काम नहीं किया, आपने ठीक राह नहीं पकड़ी, आपने जनता से जो कहा है, वह नहीं किया, तो निश्चित तौर पर आप परिणाम देखेंगे। जिन लोगों ने इस काम को किया है, आप उनके साथ क्या करेंगे? श्रीमती आनंदीबेन पटेल के पूरे गुजरात में कितना उपद्रव हो रहा है। क्या मतलब है? इनको क्यों बिठाकर रखा हुआ है? वहां इनको क्यों बिठाकर रखा हुआ है? आनंदीबेन पटेल मुख्य मंत्री हैं, क्या आप उनको चाहते हैं? ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Sharadji.

श्री शरद यादव: मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने देख लिया है कि उनसे यह नहीं संभल रहा है। अगर उनसे नहीं संभल रहा है, तो उनसे कहिए कि ठीक से एक्शन लें। यह इतना गहरा चार्ज है, इसलिए उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। यानी इन पर क्या कार्यवाही हुई, सरकार अगले सत्र में इसका ब्योरा लेकर आएगी और आकर बताएगी कि हम कहां पहुंचे और इस अन्याय के खिलाफ कहां तक कार्य किया। अकेले एक तरफ नहीं, बल्कि चारों तरफ, चाहे वह हरियाणा में हो, गुजरात में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, किसी जगह पर भी यदि दलितों के ऊपर कोई जुल्म होता है, तो सदन चलने के बाद, हर बार, सदन में पूरी सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने किस रास्ते पर, कहां तक आगे बढ़ने का काम किया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Sharadji. You took one name. I think it was in Hindi. If it is anything that is casting aspersions, then, it will be expunged. I couldn't follow a little bit of it.

श्री शरद यादव: मैंने सिर्फ़ इतना ही कहा है कि वहां पर रोज कांड हो रहे हैं।

श्री उपसभापति: ठीक है, then, no problem.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, may I request?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ahmed Patel.

SHRI SITARAM YECHURY: May I request, Sir? You made this complaint yesterday also or two days ago. When I spoke in Hindustani, you said that you couldn't properly hear the translation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, I heard. But some....

SHRI SITARAM YECHURY: So, please direct the Secretary-General to improve the translation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you are correct because sometimes, the translation is in a very low voice. And I also feel that. It is good that you pointed it out. Now, Shri Ahmed Patel.

श्री अहमद पटेल (गुजरात): उपसभापति महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो वाक्या 11 जुलाई को, गीर-सोमनाथ जिले के मोटा समद्विधाणा स्थान पर हुआ है, उस घटना के बारे में और अब जो कुछ हो रहा है, उस पर अपनी बात कहने के लिए आपके सामने, सदन के सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे ख्याल से इस घटना से न सिर्फ हम सबको बल्कि पूरे देशवासियों को अपमानित होने जैसी स्थिति महसूस हो रही है। इससे न सिर्फ मेरा, न सिर्फ दलितों का, बल्कि मैं समझता हूँ कि हम सबका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। कोई वजह नहीं थी कि इन युवाओं को इस तरह से पीटा जाए। जैसा शरद जी ने बताया, ये लोग सालों से यह काम कर रहे हैं। जो मरे हुए पशु हैं, उनकी खाल उतारना, उनकी चमड़ी उतारना, यह सारा काम ये करते रहे हैं। वहाँ के लोग भी चाहते हैं और वहाँ के जो किसान हैं, उन्होंने पुलिस के सामने कहा है कि हमने इनको पशु को ले जाने और इस तरह का काम करने की सहमति दी है, लेकिन जैसे ही यह वाक्या हुआ, उसके बाद जिनके सामने कार्रवाई होनी चाहिए, वह तो हुई नहीं, बल्कि जिन लोगों ने यह कार्रवाई की थी, जिन्होंने युवकों को पीटा था, वे गाँव से इनको ऊना ले जा रहे थे, रास्ते में इनको पुलिस की गाड़ी मिलती है, पुलिस वाले उतर कर इनसे पूछते भी हैं कि क्या हुआ, उसके बाद इनको पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस थाने में ले जाकर इनके साथ जो व्यवहार किया गया, मेरे ख्याल से ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। इनको बेरहमी से पीटा गया। यह हम सबके लिए शर्म की बात है। इतना ही नहीं, बल्कि इनके जो मां-बाप थे, उनको भी पीटा गया। यह प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, लेकिन नहीं पहुँचाया गया, बल्कि बाकी लोगों ने इनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया। मेरे ख्याल से गुजरात की जो स्थिति है, वह बहुत ही विस्फोटक है। जैसा गुजरात में हो रहा है, आपने देखा कि कल हरियाणा में भी हुआ। खास तौर पर जब कोई जहरीली दवा लेकर आत्महत्या करने का प्रयास करे, तो मेरे ख्याल से इससे समझ जाना चाहिए कि स्थिति बहुत ही गम्भीर है। पहले की सरकार ने क्या किया था या आँकड़े देकर इसको डिफेंस की तरह इस्तेमाल किया जाए, यह बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह स्थिति नियंत्रण में नहीं लाई गई, तो मेरे ख्याल से स्थिति बहुत ही गम्भीर हो सकती है। अफसोस की बात तो यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जहाँ से प्रधान मंत्री खुद आते हैं, उसी धरती पर यह सब हो रहा है। असल में आजादी की लड़ाई जिस चीज के लिए लड़ी गई थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि आजादी की लड़ाई सिर्फ हिन्दुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ आजादी की लड़ाई ने हमें जो महान मानवीय

मूल्य दिए — सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, अस्पृश्यता निवारण — मेरे ख्याल से इतने सालों के बाद उन सिद्धांतों की रक्षा होनी चाहिए। इसके विपरीत आज उन सिद्धांतों, उन आदर्शों को तहस-नहस करने की कोशिश की जा रही है। वह भी गुजरात में हो रहा है, यह हम सबके लिए शर्म की बात है। जिस समाज के उत्थान के लिए बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने पूरा जीवन लगा दिया, खास तौर पर उनके जो आदर्श और सिद्धांत हैं और जिनके लिए बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने जो किया, उसी समाज के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है और इन सिद्धांतों को, इन आदर्शों को जिस तरह से तहस-नहस करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा। एक दलित महिला, जो चार बार मुख्य मंत्री रह चुकी हों, उनके बारे में इस तरह के अपशब्द कहना, मेरे ख्याल से इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। इससे निम्न स्तर की कोई हरकत नहीं हो सकती। इन सारी चीजों के ऊपर मेरे ख्याल से गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। खास तौर पर मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार यह कहे कि यह तो स्थानीय घटना है या प्रशासन की जिम्मेदारी है या इसे ignore किया जाए या इसको गम्भीरता से नहीं लिया जाए, तो मेरे ख्याल से यह बात ठीक नहीं होगी। मैं केंद्र सरकार को खास तौर पर इसलिए जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव लड़ा था, उसमें उन्होंने 'सबका साथ सबका विकास' और 'गुजरात के मॉडल' की बात की थी। प्रधान मंत्री जी अब चुप हैं, वे दुखी भी होंगे, विचलित भी होंगे, क्योंकि उनके गुजरात मॉडल का जो असली रूप है, वह अब निखर कर आ रहा है। हम तो गुजरात में हमेशा कहते थे कि उनका जो 'गुजरात का मॉडल' है, वह सिर्फ चंद पूँजीपतियों के लिए है। मैं जानता हूँ, इनकी हमेशा जो रणनीति रही है, वह यह रही है कि खास तौर पर किस तरह से सोसायटी को विभाजित किया जाए, समाज को विभाजित किया जाए और किस तरह से सत्ता में आया जाए। पहले उनकी यह टेक्नीक रही या यह रणनीति रही, जिसमें हरिजन और मुस्लिम लोगों को एक दूसरे के सामने भड़का कर या कम्युनल रॉयट्स करवा कर वोट लेने और वोट बटोरने की कोशिश की गई। यहां पर भी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले किसको अरेस्ट किया गया? एक मुस्लिम को किया गया, जो ड्राइवर था। उस मुस्लिम को सबसे पहले अरेस्ट किया गया। आज जब खास तौर पर गृह मंत्री जी यहां पर हैं, तो मैं उनको आगाह करना चाहूंगा कि इस स्थिति का फायदा लेकर, चूंकि अगले साल गुजरात में चुनाव भी आ रहे हैं, कहीं फिर से इसको कम्युनल रॉयट्स में टर्न न कर दिया जाए। मेरे खयाल से यह सब देखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।

आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि गुजरात में जिस तरह से एक स्पेशल कोर्ट के लिए एनाउंस किया गया था, वह हुआ, लेकिन सालों पहले जो कानून बना था, उस समय जब खास तौर पर दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, तब यह कहा गया था कि एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा, लेकिन सालों तक वह गठन नहीं किया गया। यह बहुत ही शर्म की बात है। 11 जुलाई को हादसा होता है और तब जाकर मुख्य मंत्री जी हाईकोर्ट के कंसल्टेशन पर एक स्पेशल कोर्ट का गठन करते हैं। अब उसकी जांच का काम किसको दिया गया? सीआईडी को दिया गया। मुझे पता नहीं है कि वह जांच कैसे होगी, वे क्या करेंगे, क्या वे उसके मेडिकल एक्सपेंसेज को भी बेयर करेंगे या नहीं? लेकिन 11 तारीख को यह हादसा होता है और 20 तारीख को मुख्य मंत्री जी वहां जाकर उसको देखते हैं। अब तक 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन सबसे पहले, जो असली मसला है, मैं खास तौर पर दो चीजों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित

[श्री अहमद पटेल]

करना चाहूंगा। वे दो चीजें हैं, आखिर यह केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी इसलिए है, एक तो मैंने गुजरात मॉडल की बात कही। यह मामला सिर्फ दलित युवकों को पीटने या उनको अपमानित करने का नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे पूरा जो दलित समाज है और जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, वे सभी स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं।

महोदय, अब बीजेपी के सामने दो आधारभूत सवाल हैं। एक सवाल तो यह है कि गुजरात और देश के अन्य हिस्सों में इस तरह का रोष पनपने की वजह या कारण क्या है? यह रोष न सिर्फ उस जिले में है, न सिर्फ गुजरात में है, बल्कि पूरे देश में इस तरह का रोष पनप रहा है। मेरे खयाल से केंद्र सरकार को इस चीज़ पर खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? जब से यह सरकार सत्ता में आई है, शासन में आई है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, on July 14, 2014, this Government allowed SCs/STs (Prevention of Atrocities) Amendment Ordinance to lapse. अगर यह काम तभी हो जाता, तो मेरे खयाल से बहुत ही अच्छा होता, लेकिन यह काम तब हुआ, जब कांग्रेस ने इसके लिए दबाव डाला। जब कांग्रेस ने दबाव डाला, तो 2015 में, after a delay of eighteen months, कांग्रेस की तरफ से जब कांस्टेंट प्रेशर आता रहा, तब जाकर यह ऐक्ट पास किया गया। इसे इतना डिले करने की जरूरत ही नहीं थी।

उसके बाद क्या होता है? जनवरी 2016 में, रोहित वेमुला सुइसाइड का मामला सामने आता है। यह मैं इसलिए गिनवा रहा हूँ कि पिछले दो सालों में, इनके शासन के दौरान ये सब कुछ हुआ है। जैसा शरद जी कह रहे थे, the Union Budget for 2016-17 has drastically reduced the Budgetary allocation for SCs to only 7.6 per cent when the due allocated amount should be 16.8 per cent. जो राशि 16.8 प्रतिशत होनी चाहिए, उसको घटाकर 7.6 प्रतिशत कर दिया गया।

In June, 2016, Ambedkar's Dadar office in Mumbai was demolished by the BJP Government. In July, 2016, *dalit* women were gang-raped in Haryana and Rajasthan; a *dalit* woman commits suicide in Madhya Pradesh and a *dalit* IAS officer protests against the M.P. Government for neglect of Backward Classes. यह क्यों हो रहा है? मैं सरकार से यह नहीं कह रहा हूँ कि आप ही बिल्कुल जिम्मेदार हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, इनके कारण क्या हैं, मूल कारण क्या हैं, उसमें जाने की जरूरत है, Conviction rates from the crimes against *Dalits* in Gujarat, जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, यह 7 परसेंट है। जो क्राइम होते हैं, उनमें सिर्फ 7 परसेंट को सजा होती है। Under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, Gujarat Government has to notify a Special Court. वह नोटिफाई किया, लेकिन जिस तरह से स्थाई होना चाहिए था, स्थाई नहीं है। Gujarat has the highest caste based income inequality in India. जो 63 परसेंट दलित हैं, वे घरेलू काम करते हैं। उनकी डेली की जो इन्कम है, जो आय है, उस पर वे जीवित हैं और 19 परसेंट, खास तौर से जो सरकारी हॉस्पिटल हैं और बाकी जो हॉस्पिटल हैं, वहां उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं यह नहीं कहता कि ओवरनाइट यह सब ठीक हो जाएगा। हम सबको मिलकर यह जिम्मेदारी उठानी

होगी। खासतौर से इस सब के मूल में हमें जाना चाहिए और जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभभाई पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने आजादी मिलने के बाद जिन उसूलों और जिन सिद्धांतों से इनको खड़ा करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है।

महोदय, एक और चीज की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से सरकार को इनको गंभीरता से लेने की जरूरत है। जब भी जो चाहे, कुछ भी कह देता है। कहीं किसी के लिए कोई लगाम नहीं है, कहीं किसी को कुछ कह दिया, कहीं किसी को कुछ कह दिया। जुलाई, 2014 में एससी, एसटी का ऑर्डिनेन्स लैप्स हो गया, मैंने वह बात की, लेकिन उसके साथ-साथ सितंबर, 2015 में UGC withdrew the Fellowship of the Backward Classes. अक्टूबर, 2015 में किसी ने रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में कोई विवादित बयान दे दिया, उसके बारे में जिस तरह से सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आना चाहिए था, वह नहीं आया। यहां के जो मिनिस्टर हैं, वे कभी-कभी दलितों की किसी के साथ तुलना कर देते हैं, कभी किसी के साथ तुलना कर देते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रही हैं। इसलिए इस सरकार को इन चीजों की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, मेरे ख्याल से गुजरात का जो हादसा है, गुजरात का जो वाकया है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृद्धि न हो, उसके लिए मैं खास तौर से सरकार से अपील करना चाहूंगा कि यह जो देश है, बहुत आबाद है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एकरूपता एकता नहीं होती है, विविधता ही हमारी एकता और ताकत है और उसी ताकत से ही यह देश एक रह सकता है। यह भारत उतना ही उनका है, जितना इनका भी है। यहां जो लोग रह रहे हैं, जिन पर अन्याय हो रहा है, जिनको डिप्राइव किया जा रहा है, यह देश उनका भी उतना है, जितना आपका है। किसी सरकार की ताकत बहुसंख्या के आधार पर नहीं आंकी जाती, बल्कि इससे आंकी जाती है कि उस सरकार का बर्ताव कमजोर वर्ग से क्या है! खास तौर से कमजोर वर्ग के साथ आज जो हो रहा है, बहुत ही दुखद है, तकलीफदेह है। मुझे उम्मीद है कि आपमें अच्छी भावना जागेगी, ताकि आप सबसे कमजोर लोगों को अधिकार देने के लिए अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को न्याय मिले, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना फिर से घटित न हो। जब-जब इतिहास में ऐसा हुआ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब-जब किसी ने बहुसंख्या के आधार पर अपना अहं और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है और बाकी जो कमजोर वर्ग है या दूसरे वर्ग हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश की है, तो ऐसे लोगों को हमेशा शिकस्त मिली है और उनको मुंह की खानी पड़ी है।

बड़े नादान हैं जो करते हैं बुलंदी पर गुरुर,
हमने चढ़ते सूरज को भी ढलते हुए देखा है।

तो अहं और गुरुर करने की जरूरत नहीं है। आपकी बहुसंख्या है, आपकी मेजॉरिटी है, हम मानते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमारा जो कंस्टीट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तभी मैं समझता हूँ कि सरकार में कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा व्यक्ति के ऊपर समाज, समाज के ऊपर राष्ट्र और राष्ट्र के ऊपर मानव कल्याण को रखना चाहिए। जिस दिन यह चीज हम भूल जाएँगे, तब जिन लोगों ने

[श्री अहमद पटेल]

हमें सबक सिखाया है, वे लोग आपको भी सबक सिखा सकते हैं। खास तौर पर इस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है। दो साल हुए हैं। दो सालों में जो घटनाएँ घटित हुई हैं, वे सचमुच में हम सब के लिए आँखें खोलने वाली बातें हैं। इसीलिए मैं अपनी बात डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की एक quotation को कह कर खत्म करूँगा। बाबा साहेब ने यह कहा था कि “Political tyranny is nothing compared to the social tyranny and a reformer who defies society is a more courageous man than a politician who defies Government.” तो खास तौर पर इस चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है। सिर्फ आंकड़े से, कि उस सरकार ने वह किया था, हमारी सरकार यह कर रही है, इससे कोई स्थायी हल या जो भी सॉल्यूशन है, निकलने वाला नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जिस तरह से एक घटना वहाँ पर हुई है, वह एक स्थानीय घटना है, ऐसा समझ कर उसे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि गृह मंत्री जी बहुत ही समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, लेकिन उसके साथ-साथ वहाँ जो हो रहा है, उसको सिर्फ यहाँ से नहीं, बल्कि किसी को वहाँ भेज कर बहुत ही बारीकी से मॉनिटर करने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले दिनों में गुजरात की स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो सकती है, जिससे फिर से समाज और सोसायटी के बीच में एक बड़ी खाई पैदा हो सकती है और उससे न सिर्फ गुजरात को नुकसान होगा, बल्कि पूरे देश को नुकसान होगा। मेरे ख्याल से वह सिर्फ दलितों का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि आप सब को भी लेकर डूबेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार उसको गम्भीरता से लेगी, धन्यवाद।

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE (Maharashtra): Hon. Deputy Chairman, Sir, I am told that when you first speak in this august House, it is called a maiden speech. I am happy that I am dedicating this maiden speech to none other than Dr. Baba Saheb Ambedkar. On the one hand, I am happy that I am speaking on the subject of social justice and, on the other, there is pain in my heart that I have to talk about a particular incident which deserves to be condemned.

Let me, at the beginning itself, while addressing this august House, also offer my salutations to all leaders over here, especially the hon. Leader of the Opposition, all the group leaders, the leaders on the Treasury Benches and all my colleagues, because unless they tolerate me, I am sure, I cannot be speaking at length.

Respected Sir, I must at this time start my speech by condemning the incident at Una. इस घटना की जितने कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए, कम है। मैं इस सदन में नया-नया आया हूँ, तो हमारे घर के रिस्तेदार भी टीवी चालू कर के बैठते हैं और देखते हैं कि मैं कब बोल रहा हूँ। कल हमारे बूढ़े चाचा, जो मुम्बई में रहते हैं, वे भी देख रहे थे। कल का दृश्य तो ऐसा था कि उनको समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है? तो मैंने उनको कहा कि ऊना में जो घटना हुई है, उसके कारण इस पूरे सदन में बड़ा आक्रोश था, लोग बड़े चिन्तित थे और इसलिए वेल में आकर नारे लगा रहे थे कि 'फलां-फलां नहीं चलेगा, नहीं चलेगा'। तो उन्होंने पूछा कि ऊना में क्या हुआ है?

[उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) पीठासीन हुए]

मैंने उनको बताया कि चाचा जी, ऊना में जो हुआ है, वह कानून हाथ में लेने की एक जुर्रत की गई, कानून को अपना काम नहीं करने दिया और कुछ लोगों ने, दंगा करने वाले लोगों ने कानून को हाथ में लिया। तो चाचा जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा, तो कल सदन में क्या हो रहा था, लोग तो कानून को ही हाथ में ले रहे थे, चेयर की भी नहीं चल रही थी, वे लोग तो कह रहे थे कि 'नहीं चलेगा, नहीं चलेगा'? मैं उनको समझा नहीं पाया। मैं किसी पर aspersion cast करना नहीं चाहता, मगर मैं उनको समझा नहीं पाया कि कानून हाथ में लेना कानून बनाने वाले सभागार में शायद चल सकता है, लेकिन देश की जनता इसको सहन नहीं करती और कानून की व्यवस्था भी इसको मंजूर नहीं करती, मान्यता नहीं देती।

उपसभाध्यक्ष जी, आज इस घटना के बारे में बोलते समय मेरा मन विदीर्ण है, क्योंकि यह जो घटना हुई है, जैसा मैंने कहा कि कानून हाथ में लेने के कारण हमारे समाज के उपेक्षित भाई-बहनों में से कुछ युवाओं को प्रताड़ित किया गया, बेरहमी से पीटा गया। हमने टीवी पर वे दृश्य देखे और जिसका दिल नहीं दहला होगा, मैं मानता हूँ कि वह मनुष्य नहीं है, क्योंकि बड़ी निर्ममता से और बड़ी बेरहमी से उनको पीटा गया। और इसलिए मैंने कहा कि मेरा मन विदीर्ण है। चर्चा में सुन रहा था, मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी गंभीरतापूर्वक कुछ पुराने उदाहरण भी दिए। आदरणीय शरद यादव जी भी बोले, आदरणीय अहमद पटेल जी ने कुछ बातें कहीं। उन्होंने काफी सारे आंकड़े भी दिए। मगर मेरे मन में आता है कि भाई साहब, यह सवाल शायद आंकड़ों का नहीं है, अंतःकरण का है, वेदना का है। आंकड़े तो दिए जा सकते हैं। मैं यह भी कह सकता हूँ कि हमारे कार्यकाल में गुजरात में इस तरह की घटनाएं कम हुई..... तो कोई बोलेगा क्योंकि आपने अपराध दर्ज ही नहीं किए। तो यह आर्ग्युमेंट उल्टा भी जा सकता है कि आपके काल में शायद ज्यादा होते तो आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने और ज्यादा अधिक अपराधों को दर्ज होने दिया। तो मैं मानता हूँ कि आंकड़ों के खेल से ऊपर आकर हमें एक व्यापक धरातल पर और दलगत राजनीति से भी ऊपर उठकर इस सामाजिक समता के और सामाजिक न्याय के विषय को और चर्चा में लाना पड़ेगा। अगर मैं आंकड़ों की ही बात करूँ, मेरे पास आंकड़े भी हैं, not that I do not have figures. Let me share with the hon. Members of this august House कि गुजरात में जहां तक 2014 की बात है, प्रति लाख जनसंख्या के संदर्भ में, अगर इस तरीके के जिसको हम गंभीर अपराध, धिनौने अपराध बोलते हैं, संगीन अपराध बोलते हैं, किसी एक समाज के संदर्भ में और उन अपराधों की अगर हम चर्चा करें, तो एक लाख की जनसंख्या के अनुपात में ये तेलंगाना में 2.4, बिहार में 5.4 हैं, जबकि गुजरात में यह केवल 1.5 है। मगर जैसा मैंने कहा कि मैं आंकड़ों की उलझन में नहीं फंसना चाहता। अनुसूचित जाति के खिलाफ कुल अपराधों की दर आंध्र प्रदेश में 48.7 परसेंट, बिहार में 47.6 परसेंट, ओडिशा में 31.5 परसेंट, तेलंगाना में 31.2 परसेंट है, जबकि गुजरात में it is only 27.7 per cent. But, as I said, the issue is not of Una or Gujarat. क्योंकि इन घटनाओं का एक लम्बा इतिहास है। हमें पता है कि इसी सदन में इसकी चर्चा हुई थी आज से कुछ 4 दशक पहले, जब इंदिरा गांधी जी हाथी पर बैठकर बेलची गई थीं। सादूपुर में ऐसा ही हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां से लेकर सादूपुर तक पदयात्रा की थी। महाराष्ट्र में खैरलांजी में हुआ था। इससे पहले भी अनंत घटनाएं हुई हैं, जिसमें इस तरीके के अत्याचार हुए हैं, जिसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, जिसकी जितनी निन्दा करें, कम है। सवाल यह है कि इसकी बुनियाद में क्या है? What is there at the basis of

[Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe]

the entire issue? What is fundamental wrong? मैं मानता हूँ कि यह सवाल जो अनुसूचित जाति, जनजाति के भाइयों पर, जैसे मैंने कई सारे उदाहरण दिए हैं, अभी-अभी मैं ओडिशा के कंधमाल में जाकर आया हूँ। कंधमाल में 5 आदिवासियों को माओवादी ठहराते हुए, जबकि कोई अपराध नहीं, कोई कसूर नहीं, जिसमें 13 महीने का एक बच्चा है, जिसको मार गिराया गया। तीन महिलाएं, एक पुरुष जिनका कोई अपराध नहीं, कोई सूचना नहीं, इनका खुफिया तंत्र काम ही नहीं करता था। यह घटना 8 जुलाई की है, आज तक वहां के मुख्य मंत्री वहां जाकर कोई पूछताछ करें, उन्हें इसका अवसर भी नहीं मिला, यह जो संवेदनहीनता है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, it is not so. ...**(Interruptions)**... An inquiry has already been ordered. ...**(Interruptions)**...

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: I am not yielding, Sir. ...**(Interruptions)**... I am only saying the truth. ...**(Interruptions)**... You will have to tolerate it. ...**(Interruptions)**... मैं जो बोल रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं जो कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। आपको सत्य सहन करना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): He is not yielding. ...**(Interruptions)**... Please sit down. ...**(Interruptions)**... You can speak when your turn comes. ...**(Interruptions)**... उनको बोलने दीजिए, जब आपकी बारी आए, तो बोलिए।

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे: आप कहते हैं कि मुख्य मंत्री को वहां जाना चाहिए तथा फलांने व्यक्ति को बोलना चाहिए। तो क्या वहां के मुख्य मंत्री का यह दायित्व नहीं था? इतना ही मेरा लिमिटेड प्वाइंट है। I hope, the hon. Member will appreciate it. My only point here is about the change in the mindset.

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाचक्र के पीछे तीन महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। एक तो सदियों से आया हुआ ऊंच-नीच का जो भाव है, इसको जब तक हम नहीं मिटाएंगे, हमारी सोच से, हमारी मानसिकता से, हमारे व्यवहार से, इसका जब तक अंत नहीं होगा, हमारे व्यवहार में जब तक यह पारदर्शी तरीके से दीखेगा नहीं, मैं मानता हूँ कि इस तरीके की समस्याओं का हल नहीं निकल कर आएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित और उसमें मैं महिलाओं को भी ले लूंगा, इन सबकी जो vulnerability है, एक दृष्टि से किसी भी धोखे के लिए जो इनकी उपलब्धता होती है, धोखे का सामना करने की इनकी जो क्षमता है, इस vulnerability को भी कम करना चाहिए। ये जितने vulnerable रहेंगे, मैं मानता हूँ कि ऐसी घटनाओं के लिए अवसर मिलेगा।

तीसरी बात यह है कि कानून का एक डर होना चाहिए। Unfortunately, हम देखते हैं कि कोई deterrent रहा नहीं। अगर कोई कानून की इज्जत नहीं करेगा, कानून का एक तरह का खौफ पैदा नहीं होगा, तो मैं मानता हूँ कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अंत में सबसे पहले जरूरी है कि एक empathy हो। कल यहां पर चर्चा हुई कि बहन मायावती जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का उपयोग किया। हम सबने अपनी भावनाओं से उनको अवगत कराया और हम उनके साथ हैं। मगर यह क्यों होता है? मैं मानता हूँ कि empathy नहीं है। जब तब हम उस समाज

के, उस व्यक्ति की जगह खुद को कल्पना के रूप में डालते हुए नहीं सोचेंगे, तब तक इस पीड़ा का अनुभव इस देश का वह वर्ग नहीं कर पाएगा, जिसको आज तक वंचना का कोई अनुभव ही नहीं है और इसलिए empathy की जरूरत है। हमें empathetically इन सारे विषयों के बारे में सोचना चाहिए और हमें उस तरीके का संस्कार हमारी शिक्षा के माध्यम से भी मिलना चाहिए।

महोदय, मैं जानता हूँ कि दलित विषय को एक दृष्टि से राजनीतिक तरीके से भुनाया जाता है। यह बहुत गलत बात है। इसका मुझे बड़ा अफसोस है। मैं यह किसी को कठघरे में खड़ा करने के लिए या आरोपों की बौझार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। It is with great pain in my heart I am saying that the issue of social equality is being exploited politically. दो दिन पहले मुम्बई में अम्बेडकर भवन के गिराए जाने के सिलसिले में एक बड़ा मोर्चा निकला। हमारे सदस्य जी ने यहां पर उसके बारे में पहले बता दिया था कि यह People's Improvement Trust की अपनी जायदाद है, जिसको गिराने में सरकार का कोई हाथ नहीं था। मगर उस पर लोगों को उकसाया गया, हजारों की संख्या में लोगों को रास्ते पर लाया गया। अगर इसको लेकर कानून-व्यवस्था का प्रश्न निर्माण होता, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? वहां पर हमारे साम्यवादी नेता भी उपस्थित थे। मुझे याद आ गया कि जब अम्बेडकर जी ने कहा था कि communism is, basically, all about lack of democracy and belief in all kinds of violent activities, तानाशाही और शास्त्र के आधार पर काम करना। यह डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा था और आज हम देखते हैं कि कैसी विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है और कौन किसके सहयोग के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेने की एक प्रवृत्ति होती है, उसकी भी, मैं मानता हूँ कि इस सदन को एक मुख से भर्त्सना करनी चाहिए। यह विषय राजनीतिक लाभ-हानि से ऊपर सामाजिक न्याय का है। मुझे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण होता है, जिन्होंने इसी सदन में यह घोषणा की थी कि जो मंत्रालय अब तक एक सामाजिक कल्याण मंत्रालय यानी welfare के रूप में जाना जाता था, महोदय, you are aware that the concept of welfare is a little condescending. इसमें यह होता है कि कोई किसी का कल्याण करे। उन्होंने कहा, "This is not welfare; this is justice." Therefore, the Department was named as the Department of Social Justice और उपसभाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं उस मंत्रालय का उस समय नेतृत्व कर रहे थे, हम सबको याद है। केवल इतना ही नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अलग मंत्रालय बनाया, क्योंकि सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, इन सारे विषयों के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। हमारे लिए ये राजनीति के विषय नहीं बन सकते हैं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके उपाय क्या हैं। मुझे खुशी है कि इस उपाय को देखते हुए आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 'Skill India' के तहत और जो "Startup India, Standup India" कार्यक्रम शुरू किया, उसके तहत dalit entrepreneurship को बढ़ावा दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा था, उन्होंने हमारे दलित समाज के सारे भाई-बहनों से अपील की थी कि सीखो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। उसमें जो 'सीखो' है, उसमें केवल किताबी ज्ञान को ग्रहण करने की बात नहीं थी, उसमें उन्होंने entrepreneurship के लिए भी कहा था। उन्होंने कहा था, नौकरी मांगने वाले मत रहो, नौकरी देने वाले बनो। Don't be just job seekers, be job givers. And, here is a person in the leadership of Shri Narendrabhai Modi who is trying to translate the message of Dr. Baba Sahib Ambedkar into reality.

[Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe]

3.00 P.M.

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस पूरे विषय को सबको पढ़ना चाहिए। आज कल बाज़ार में एक किताब आई है 'Defying All Odds', which are all the stories about the first-generation *dalit* entrepreneurs. And let me tell you the number is growing. The tribe is increasing. Shri Devesh Kapur, Shri D. Shyam Babu and Shri Chandra Bhan Prasad ने इस किताब को लिखा है, जिसमें हमारे दलित भाई-बहनों ने कितनी विपदाओं का सामना करते हुए, पूरा धीरज रखते हुए, कैसी-कैसी परिस्थितियों को मात देते हुए entrepreneurship का एक उदाहरण खड़ा किया। ये इसके अनुकरणीय उदाहरण हैं।

इस विषय को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। आज हम देखते हैं कि हमारा एमएसएमई मंत्रालय काम करता है, 62 परसेंट दलित entrepreneurship का रजिस्ट्रेशन उनके पास है। वर्ष 2001 में 1.5 मिलियन दलित entrepreneurs थे, जो विगत 15 सालों में बढ़कर 8.7 मिलियन हो गए हैं। मैं मानता हूँ कि इसमें इस सरकार ने जो प्रयास किए हैं और इस सरकार ने दलित entrepreneurship को जो एक, उत्तेजना और प्रोत्साहन दिया है, उसका निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रोल है। यह केवल दलितों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमारी सरकार ने डिनोटिफाइड ट्राइब्स और घुमंतू जातियों के लिए भी एक आयोग बिठाया था। इन सारी जातियों तक यह फैलना चाहिए कि उनके अंदर जो एक प्रतिभा है, उनके अंदर जो सृजन की एक शक्ति है, उनके अंदर कुछ कर गुजरने की जो हिम्मत है, उसको एक अवसर मिलना चाहिए। जब उन्हें वह अवसर मिलेगा, तब यह आरक्षण के विषय से भी सामाजिक न्याय की लड़ाई और मीलों तक आगे जाएगी।

आरक्षण का विषय तो महत्वपूर्ण है ही, there is absolutely no doubt about it. There cannot be any compromise about it. We want reservation. But if we try to confine the debate and the discourse about social justice only to reservation, I believe, we are committing a grave mistake. It is much more beyond the reservation system. आरक्षण नौकरियों में तो होना चाहिए और वह जरूर मिलना भी चाहिए, मगर साथ ही साथ अपने दिल में भी तो आरक्षण होना चाहिए! अगर हमारे दिल में हमारे इन उपेक्षित भाई-बहनों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि आरक्षण व्यवस्था का जो तर्क है, जो आधार है, वह अधूरा रहेगा और यह भूल हम न करें।

अंत में, मैं केवल इस सदन के विचारार्थ और सरकार के माननीय प्रतिनिधि, जो यहां पर हैं, उनके विचारार्थ कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि जब आरक्षण की बात आती है तो हम सब संवेदनशील हो जाते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है, but there is also a particular issue pertaining to the quota system, the reservation कि आरक्षित सीटों को भरा जाए, इसके लिए भी कुछ और अधिक कारगर कदम उठाने चाहिए। सीटों को केवल आरक्षित करने से काम नहीं होगा। वे क्यों नहीं भरी जाती हैं? अगर वे नहीं भरी जाती हैं और उनके लिए क्षमता का अभाव है, तो उसको दूर किया जा सकता है, किसी soft skill की ट्रेनिंग दी जा सकती है। इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई-बहन सफल नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के लिए भी

एक कारगर और व्यापक सुधार-योजना की आवश्यकता है। कई बार इन छात्रावासों को बहुत गलत तरीकों से चलाया जाता है। I believe there is much scope to improvise the situation in all the hostels where the students from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities, normally, live.

मान्यवर, मुद्रा योजना की चर्चा होती है। मैंने भी चर्चा की, मगर मैं मानता हूँ कि मुद्रा योजना में भी एक मेंटरशिप की आवश्यकता है। मुद्रा योजना के आधार पर अगर कोई ऋण लेकर अपना उद्योग खड़ा करना चाहेगा, उसके पीछे किसी को खड़ा तो रहना चाहिए। केवल लोन दिया और काम होगा, ऐसा नहीं होगा। They require mentorship. किसी को उसकी hand-holding करनी चाहिए, किसी को उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। अगर इस व्यवस्था को हम अपने institutional design और ढाँचे का आधार बना सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये सारे प्रश्न निश्चित रूप से समाधान की दिशा में बढ़ पाएँगे।

अंत में, we never consider issues about women as woman issues, and let us also not consider issues about the *Dalits* and the under-privileged sections as those of those particular sections only. These are issues to be confronted by the entire society. मैं मानता हूँ कि जब तक पूरे समाज में यह धारणा नहीं बनेगी, तब तक इन सवालों का और इस तरीके के प्रश्नों का जो हल और समाधान हम खोजना चाहते हैं, वह खोजा नहीं जा सकेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी परछाई हमें लिट्रेचर, थियेटर, और सिनेमा में भी मिलती है, because, in a way, they hold the mirror to the society. इन दिनों "मसान" नाम की एक फिल्म आई है, जिसे आप लोगों ने देखा होगा और अगर नहीं देखा है, तो उसे जरूर देखिए। वह बहुत ही अच्छी फिल्म है, जिसे नीरज घायवान नाम के एक बहुत ही युवा निर्देशक ने बनाया है। उसमें वाराणसी के "डोम" समुदाय के एक व्यक्ति की aspiration को दर्शाया गया है कि कैसे वह संघर्ष करता है और उसकी अपनी परम्पराएँ, जो उसके ऊपर थोपी गई हैं, उस जीवन शैली से बाहर निकलकर कुछ नया कर गुजरने की हिम्मत रखकर वह आगे बढ़ता है। It is very interesting, very inspiring. मैं मानता हूँ कि ऐसी जो inspiring stories आ रही हैं, इनके कारण समाज में बदलाव हो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने political democracy के साथ-साथ social and economic democracy की बात की थी। I believe the time has come, and I am happy under the leadership of Prime Minister, Shri Narendra Modi, we are also trying to achieve what can be described as the democracy of aspirations. आकांक्षा का जनतंत्र बन रहा है और समाज में हर किसी को अब यह सपना देखने की, सपने को साकार करने की हिम्मत जुटी है, एक आकांक्षा बनी है, यह बात मैं मानता हूँ। इसीलिए आज की तारीख में ऊना जैसी घटनाओं को अगर हमें वाकई इतिहास से मिटाना है और आगे चलकर इस तरह के प्रसंग नहीं आने देने हैं तो इस aspirational democracy को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत दिन तक हम कहते रहे कि क्या बात है कि "हस्ती मिटती नहीं हमारी", आज सवाल है कि "क्या बात है कि पंछी उड़ता नहीं हमारा।" यह पंछी उड़ना चाहिए, उसके पगों में ताकत होनी चाहिए और वह ताकत पूरा समाज एक पद्धति से एकत्रित होकर, सामाजिक समता, समरसता और सामाजिक न्याय के भाव से दे सकता है। मुझे लगता है कि ऊना की घटना की चर्चा करते समय इन सारे व्यापक विषयों की चर्चा हमें जरूर करनी चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे जी की आज मेडन स्पीच थी, इसलिए उसमें कभी भी कोई टोका-टोकी नहीं की जाती है। आज हम लोगों को यह पता चला कि वे अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन दो बातों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहला, दलित entrepreneurship की जो बात इन्होंने कही, वह मनमोहन सिंह सरकार की देन है। गवर्नमेंट परचेज में आरक्षण उसमें डाला गया था। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपकी बारी आएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव शुक्ल: उसके बाद दलित entrepreneurship एमएसएमई सेक्टर में दी गयी। दूसरा, आरक्षण पर आदरणीय मोहन भागवत जी ने बिहार चुनाव पर जो बयान दिया था, उस पर इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, ये दो चीजें बता दें। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): यह सवाल-जवाब का समय नहीं है। जब आपकी बारी आएगी, तब आप अपनी बात कहिए। आप जब कहते हैं, तो अच्छा कहते हैं।

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, the hon. Minister ...**(Interruptions)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): मैं allow नहीं कर रहा हूँ। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद।

SHRI RIPUN BORA: *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): I am not allowing you. Shri Vishambhar Prasad Nishad. ...**(Interruptions)**... विशम्भर प्रसाद जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... यह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI RIPUN BORA: *

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, दलित उत्पीड़न के विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। माननीय शरद यादव, अहमद पटेल जी और हमारे बीजेपी के डा. सहस्रबुद्धे जी ने जो बात कही है, मैं स्वयं को उनसे संबद्ध करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। चूंकि घटना गुजरात की है, इसलिए उन्होंने कुछ ज्ञान देने का काम किया है। इनको प्रेस करना चाहिए कि वहां की गवर्नमेंट कार्यवाही करे, कार्यवाही के बजाय वे ज्ञान देने की बात पढ़ा रहे थे।

महोदय, 11 जुलाई 2016 को जो घटना हुई, उसके बाद गुजरात में किस तरह से जीप के साथ बांधकर उन लड़कों को घसीटा गया, बारी-बारी से मारा गया। उन्हें फिल्मी स्टाइल में जिस तरह से बारी-बारी से लोग मार रहे थे, टीवी में लोगों ने देखा। हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी ने हमें फोन पर सारी घटना बतायी। वहां समाजवादी पार्टी की इकाई ने जगह-जगह आन्दोलन और धरने किए। उन्होंने बताया कि गुजरात की पुलिस कंट्रोल से बाहर हो गयी है। वहां पर हर पुलिसवाला कहता है कि मैं प्रधान मंत्री से कम नहीं हूँ। "जिसके सइयां भए कोतवाल, उसको डर काहे का।" वहां एक तरह से आतंक छा गया है। वहां पर दलित सुरक्षित नहीं हैं, ओबीसी सुरक्षित नहीं हैं, केवल पूंजीपतियों की बात होती है।

* Not recorded.

इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले शिवपुरी, मध्य प्रदेश में कुसुम जाटव, जो उप-सरपंच बन रही थी, जबर्दस्ती उसके मुंह में गोबर डाला गया। इस तरह की घटनाएं चाहे जिस भी प्रदेश में हों, निंदनीय हैं। जो घटनाएं हो रही हैं और जो घटना करने वाले लोग हैं, उनको शह देने वाले लोगों पर निगरानी रखनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो।

इसी तरह से हिसार में 2014 में घटना हुई थी। वहां पर चार दलितों को ज़िंदा जलाया गया। इस तरह की घटनाएं कब तक होंगी? हमेशा विधान सभाओं में और लोक सभा में चर्चा होती है और कड़े कानून बनाने के बावजूद भी ये अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं? हमें लगता है कि इसमें कहीं कुछ खोट है।

सर, संविधान मानने वाले लोगों के लिए दो तरह का संविधान है। एक भारतीय संविधान है और एक सामाजिक व्यवस्था का संविधान है। जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वे तो भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर संविधान बनाया गया है, उसके अनुसार जाति के आधार पर, पैदा होते ही नवजात को सम्मान मिलता है। पैदा होते ही उसको अपमान मिलता है, इसमें खोट है, इसमें सुधार होना चाहिए। जिन लोगों ने जातियां बनायी हैं, उन जातियां बनाने वालों से हम कहना चाहते हैं कि अब आज़ादी के 70 साल होने वाले हैं। वे उस संविधान को खत्म करें। हमारे देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन करने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, उनको खत्म करके हमें एक समरता का संविधान बनाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं? हम देखते हैं कि जब कोई गरीब आदमी यौन उत्पीड़न का शिकार होता है, बार-बार उत्पीड़न का शिकार होता है, तो वह घर छोड़ देता है या आत्महत्या कर लेता है या हाथ में बंदूक उठा लेता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब फूलन देवी जी के साथ उत्पीड़न की घटना हुई, उनको नंगा घुमाया गया, उनके साथ उत्पीड़न किया गया, तो उन्होंने हाथ में बंदूक उठा ली। वे लोक सभा की मेम्बर भी रही थीं। हम देखते हैं कि पूरे देश में बहुत सारे लोग उत्पीड़न के शिकार होते हैं। आज़ादी के बाद लाखों लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। हिन्दू धर्म के ठेकेदारों, बताओ जन्मजात व्यवस्था में कोई सम्मान मिलना होता है, तो वह कुछ लोगों को मिलता है और अपमान हमेशा दलितों को, बैकवर्ड और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलता है, ऐसा क्यों है? मंदिर हम बनाएंगे, उसका माल कुछ लोग खाएंगे, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हमारे भारतीय संविधान को एक तरफ रख दिया जाता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जगह-जगह उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है। एक रूलिंग कोर्ट से आ गई। माननीय शरद यादव जी ने तो कोर्ट के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जब तक दलित, पिछड़े वर्ग की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी एक बिल पास करवाया है। हम उन्हें इसके लिए बधाई देंगे, लेकिन उसमें एक टिप्पणी आई, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से कमेंट्स आए। जब तक बैकवर्ड, माइनॉरिटीज़ के लोगों की भागीदारी नहीं होगी, शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों की भागीदारी जुडिशियरी में और अन्य सभी जगहों पर नहीं होगी, तब तक इनको न्याय मिलने वाला नहीं है। हम ओबीसी की कमेटी में हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप एचआरडी कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं। उसमें देखते हैं कि कहीं भी ओबीसी का कोटा पूरा नहीं है, एस.सी. का कोटा पूरा नहीं है। लोग परेशान होकर आंदोलन करते हैं, यह भी एक उत्पीड़न है। उसकी तरफ कोई

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

ध्यान नहीं देता है। केंद्र सरकार सर्वे कराने के लिए, जांच पड़ताल कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है और वहां कोटा पूरा नहीं होता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारी पिछड़ी जाति, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जिनको केंद्र सरकार से स्कॉलरशिप मिलती है, जो दलित उत्पीड़न का पैसा मिलता है, प्रदेश सरकारें लगातार डिमांड करती हैं, पैसा मांगती हैं, लेकिन केंद्र सरकार कुम्भकर्णी नींद सो रही है। केंद्र सरकार समय से उनको मदद नहीं देती है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की रूनिंग आ गई कि जो सात साल की सजा से नीचे के अपराध हैं, जिन अपराधों में सात साल से कम सजा होती है, उन मामलों में लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। जब कोई गरीब आदमी मारा जाता है, उसके साथ अत्याचार होता है, तो वह थाने में जाता है, वहां उसे बताया जाता है कि हम आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उस गरीब आदमी को फिर से पीटा जाता है, उसके साथ कई बार घटनाएं होती हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार को बदलाव करना चाहिए, केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिए, नया कानून बनाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। चूंकि वे गरीबों के साथ हुए अत्याचार में साधारण इजरी दिखा देते हैं, तो वह कोई संगीन अपराध नहीं है, इसलिए आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन सब कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। हमारा समाज कहीं दलित है, कहीं बैकवर्ड है। यहां पर माननीय समाज कल्याण मंत्री जी बैठे हैं। हम बिल पेश करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, अन्य दल अनुपस्थित हो जाते हैं और जब वोट लेने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि हम तुम्हारे पक्षधर हैं। उत्तर प्रदेश में मझवार, तुरैया, बेलदार है, मध्य प्रदेश में मांझी है, दिल्ली में मल्लाह है, पश्चिमी बंगाल में केवट, बिन्द हैं, ये सब शैड्यूल्ड कास्ट की सूची में हैं। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिजापति बिन्द जी के यहां जाते हैं, तो दलित के यहां भोजन कर लिया तो पूरा भाजपामय हो गया उत्तर प्रदेश और जब विशम्भर प्रसाद निषाद राज्य सभा में कानून बनाने के लिए बिल पेश करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है और कहती है कि हम इसमें संशोधन नहीं करेंगे। तो मान्यवर, दोहरी बातें हैं। चुनाव के समय कहते हैं कि हमने दलित के यहां भोजन किया, उत्तर प्रदेश में दलित के घर में भोजन करते हैं और यहां पार्लियामेंट में कहते हैं कि पिछड़ी जाति के हैं। जब तक ये लोग इस तरह की दोहरी बातें करेंगे, तब तक भला होने वाला नहीं है।

मान्यवर, मैं इसके अलावा यह कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में जिस तरह की विसंगतियां हैं, लोग परेशान हैं, कानून बनने के बावजूद भी जो कानून को लागू करने वाले हैं, जब तक उस स्थान तक इनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक उनको न्याय मिलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट तक और सभी कार्य पालिका और न्याय पालिका के सभी विभागों में जो आरक्षण कोटा है, उसको कड़ाई के साथ लागू होना चाहिए।

महोदय, यह सुनने में आया है कि बुंदेलखंड में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने समाजवादी राहत की योजनाएं चलाई हैं। इसमें गरीबों को आटा, देशी घी, 5 किलो तेल, चावल और मसाले तथा सारी व्यवस्थाएं देने का

काम किया। मान्यवर, इसमें सबसे ज्यादा संख्या दलितों की है, जिनके घर में खाने को नहीं है, उनको समाजवादी पेंशन देने का काम किया। इस तरह से तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। कम से कम 60-70 परसेंट योजनाएं दलितों व गरीबों को मिली हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के दलित विधायक हैं।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम लोग मांग करते हैं कि गुजरात में जिस तरह की घटना हुई है, ऐसी और घटनाएं न हों, इन पर रोक लगाने के लिए सोचना चाहिए, पार्लियामेंट में बैठकर चिंता करनी चाहिए। लोग किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर देते हैं, तो लोगों पर भी रोक लगानी चाहिए। मैं समझता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सत्ता में आने के समय जो वायदा किए थे और कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, किसानों को डेढ़ गुना ऋण देंगे, बेरोजगारों को कहा था कि हम रोजगार देंगे, उस मुद्दे से भटकाने के लिए कोई घटना करा देते हैं। सारा दिमाग उधर लग जाता है। टीवी, मीडिया, समाचारपत्रों में वह घटना छा जाती है, ताकि लोगों का दिमाग उधर डायवर्ट हो जाए। इनकी जो मूल घोषणा थी, ...**(समय की घंटी)**... जो काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, इनके * से भारतीय जनता पार्टी आई, इनकी अच्छे कामों से नहीं आई, बल्कि इनके कुकृत्यों की वजह से आई है, इसलिए आप कोई ऐसा काम मत करो कि आपको भी बाहर जाना पड़े। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात में जो घटना घटी है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी प्रदेश में जिस किसी के ऊपर कोई घटना घटती है, चाहे वह महिला हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी के साथ कोई अमानवीय घटना होती है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I thank the hon. Chief Minister, *Amma*. It is a highly sensitive matter. We strongly condemn the atrocities against the *dalits*. The Constitution abolished untouchability, but it has not yet been abolished in the true sense. Sir, I wish to point out the positive efforts taken by the hon. Chief Minister, *Amma*, for the upliftment of the *dalits*. In the whole history of India, for the first time, in an unreserved Parliamentary constituency, a *Dalit* Ezhilmalai was fielded on behalf of AIADMK, and he won the election also. Recently, a young boy belonging to the Scheduled Caste met hon. Chief Minister, *Amma*, and, reminded the story that she helped him and he became an IAS officer. He belongs to the *Dalit* community. I would also like to draw the kind attention of this hon. House regarding 69 per cent reservation she has made, which she has brought in through a special enactment for the first time in India. Because our Supreme Court has said that the reservation cannot exceed 50 per cent. She read the judgement very carefully, and, she has brought out this legislation, which is in force very successful because the Supreme Court has given an exception that for those communities which are not having sufficient representation in the services, any percentage of reservation can be made. That is the dictum laid down by the Supreme Court. Because of the

* Expunged as ordered by the Chair.

[Shri A. Navaneethakrishnan]

ingenuity and the real concern for the poor people, especially *Dalit* people, because of the 69 per cent reservation, many *Dalit* lawyers have become Judges, many rural poor *Dalits* have become very, very successful doctors and surgeons, and, also they are holding high positions in civil services.

As far as Tamil Nadu Public Service Commission is concerned, 69 per cent reservation is being implemented in Tamil Nadu as per the provisions of the Act enacted by hon. Amma. I would like to point out and happily inform the House that as the Chairman and the Member of the Tamil Nadu Public Service Commission, I came across many candidates belonging to the *Dalit* community, who have succeeded under the open quota in engineering, medicine and also in top-level civil services. This has been possible only because of the efforts taken by hon. Amma. In one of the medical examinations, the top ranks were secured by *Dalit* candidates. It is a good achievement. Sir, *Dalit* empowerment is the only way to abolish the untouchability in the real sense. Hence, in Tamil Nadu, hon. Chief Minister, Amma, empowered the *Dalit* community politically, socially and economically, and there cannot be any doubt about it. Sir, I would also like to inform this House that even Constitutional posts have been given by hon. Amma to the *Dalit* community. I will not name the persons now occupying the very great positions in Tamil Nadu. It is a matter of history. Above caste, above religion, above all other considerations, she is having the real concern for the poor, especially, for the *Dalits*. I would like to quote the strong statement which she has made with regard to those unjustifiable, unreasonable remarks, which cannot be accepted by any civilized person. We strongly condemn those remarks. Sir, I may be permitted to quote something from her statement. She said, and I quote, "My heart goes out to Ms. Mayawati, who has received such verbal whiplashes." Again, I quote, "Mayawati is respected by all as a fearless leader of the oppressed community." Such a very great personality, our hon. Chief Minister, Amma is! In the whole of India, no political leader has issued such a statement. Of course, hon. Amma has taken note of the regret expressed by our hon. Finance Minister, and, it is also referred to in her statement. Except the regret expressed by the Finance Minister, no other leader in India has issued any such statement. She has really issued a very strong statement. At the risk of repetition, I submit that she is working all the 24 hours for the upliftment of the *Dalit* community in Tamil Nadu. She has become the hon. Chief Minister of Tamil Nadu consecutively for two times because the *Dalit* community in Tamil Nadu is behind her. It is a well-known fact. So, on behalf of Amma, at the risk of repetition, I, again, strongly condemn the statement issued by this person. He must be dealt with very severely in accordance with the law. Of course, hon. Amma has taken note that his party position has been

taken away. And also, now, I came to know that he has been removed from the party for six years. But he must be dealt with in accordance with the law also. Once again, I would like to mention that the *dalit* community is facing this kind of atrocities which is not good for our development because they are all our own brothers, our own sisters. They are not foreigners. We must change our mindset. Without *dalit* community we cannot survive. So, it is a must. That is why there is an article in our Constitution regarding abolition of untouchability. But it must be abolished in true letter and spirit. Our hon. Chief Minister, hon. Amma, has taken all possible steps to abolish untouchability in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, the *dalit* communities are happy. Thank you.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, long after I leave the Parliament, once I finish my term as MP, and sit with my grandchildren or children, I will remember what happened yesterday at ten minutes past two in the afternoon. It was a great learning experience for me. Thanks to the technology that we can instantly even get Wi-Fied in Parliament. This message flashed, the video clip flashed about this obnoxious statement and the person this obnoxious statement was made about was sitting four seats away from me. We did not know what to do. I was too embarrassed to even go to *Behanji*, whom I respect so much, personally, politically, from everywhere, that I had to go to Satishji to share what was said. And a beautiful learning I learnt from Mayawati Behanji yesterday. Believe me, she did not want to take this issue up initially. She herself felt and we also felt strongly about it. All the parties across political divide literally had to because her initial reaction was of a great leader, of remaining calm and absorbing whatever you throw at her. But she knows, from what I heard in her speech, how to give it back. And *Behanji*, I want to congratulate you that you gave it back yesterday. We are all so happy that you gave us the chance. It was an honour, it was a privilege to work together with you for fifteen-twenty minutes.

Sir, I respect religious sentiments. I deeply respect the worship of the cow. But while venerating the cow, how can you mock and ridicule the oppressed whose only job is to skin the carcass when she dies? There are so many people, two-and-a-half lakh people, involved with the tannery industry in our country. How many of us here in the Rajya Sabha are wearing leather shoes? What is the problem with wearing leather shoes? We can all have our own beliefs. Some people have to do their job. They were only doing their job, and even from the commercial point of view, if we leave all the sentiments apart, leather export is a great part of our country, and these people have been doing this for generations. So, Sir, the question to be begged is, let us all venerate the cow, but why mock the cow worker? The animal is important, yes; but is the human being expendable? Sir, these are the big

[Shri Derek O'brien]

questions today which need to be answered. I heard the first speaker today from the BJP, and he continued the style which this Government has shown in the last two years -- superficial symbolism. Let's start first with the Dr. Ambedkar International Centre. Sir, it will be a very beautiful building; it will have lots of glass; it will be very, very showy. It is not far away from Janpath, very good. It was inaugurated. But, Sir, the speaker also spoke about the Prime Minister translating the vision of Dr. Ambedkar. I have no doubt that he is trying to translate the vision of Dr. Ambedkar. My problem is that sometimes in translation the meaning gets lost. And I am afraid it is bad translation of Dr. Ambedkar. I can go through a lot of numbers and what is happening with the *Dalits* in this country. One out of three *Dalits* lives Below the Poverty Line. One out of two *Dalits* is undernourished. Eight out of ten *Dalit* children die before they reach the age of one. One out of two *Dalit* children is illiterate. One out of four prisoners in jails in India is a *Dalit*. And there are three lakh cases of undertrials belonging to the SCs and the STs.

Sir, but all these numbers will be of little use, because I will not be able to express as to what the *Dalit* feels today because of my limited experience. I had to read one line from the suicide note of Rohith from Hyderabad. I was fortunate to be there, so I got a copy of that note. I had kept it carefully. This is what he had said in his suicide note. I quote it.

“Every time a *Dalit* student joins the university, supply him or her with a nice rope so he can use it to hang himself.” This is the condition. What does he go on to say? “Please serve 10 mg Sodium Azide to all the *Dalit* students at the time of admission.” Sir, today, what are we coming to? The latest I heard from Bengal is this. Today is our biggest Martyrs’ Day Rally in Bengal. But Mamatadi said, “No. Don’t come back.” So, three of us, the MPs, in both the Houses are staying here to be on the issue. Now the latest we heard is that there are people, and I am not blaming any political party, they may be your sister organisations or whatever else, who have started cattle census. They are going house to house to find out how many cows you have. Whose business is this to find out how many cows I have or how many goats I have or how many dogs I have at home? There is a limit to it. This is a great India where it does not matter which community I come from. We are 75,000 people here in India. I can eat what I want to eat. I can drink what I want to drink. And the power of democracy is that it can still bring me to the Rajya Sabha. This is the India I know. This is the India which Mamatadi believes in. This is the unity in diversity I understand. And dare someone tries to spoil this away from us, any kind of community, be it *Dalit*, be it minority, be it the oppressed, or be it the woman.

Sir, I can stand here and give you three or four suggestions about what Bengal has done. But I am wondering should I give you these suggestions. Should I give, through you, Sir, these suggestions to the Government? I can tell you that there are seventy per cent extra seats today in Bengal in higher education without touching the General Category. I can tell you about a Scheme called *Shikshashree* which talks about SC and ST girls from Class VII and Class VIII. But I won't give you this because these numbers won't make any difference. I will tell you why I am saying this. The numbers will not make any difference.

Sir, I normally don't take extra time. Give me two minutes, please.

Sir, whatever numbers I will give you about the good work in Bengal, it won't make any difference. The problem is not with the numbers. The problem is with the mindset. It is a mindset problem. And what happens when you start using such words? I get very scared with them. The speaker used the word 'empathy'. What is empathy, Sir? The problem is that in the past, and I am not going to glorify these people by mentioning their names, there had been six or seven people from the Ruling Party who had made these obnoxious statements. Nothing has happened to them. It is good that at least one guy was thrown out yesterday. I don't want to get controversial. I want this to be clarified. And after this I would conclude.

In 2010, there was a controversial statement, which is still floating around in the media. We need to put an end to this because the Chief Minister of a State from Western India made a statement. And that Chief Minister, as reported in the media, said that the *Dalits* are 'mentally retarded'. This is in a book titled *Samajik Samrasta*. The book was being launched. Let us clarify that. I am saying that this is a media report which also needs to be clarified.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I will conclude. Unless we punish this mindset, the whole system will get polluted. Sir, I have two quick points in conclusion. If you are a *dalit* and if you are a Hindu, you get the benefits. That is excellent. That's the way it is in the Constitution. The Constitution was further modified in 1950 to include Buddhists and Sikhs to get all the benefits. Till today, if you are a Christian and you are a *dalit*, you do not get a single benefit. We need to address this law because it is also a minority.

Sir, in conclusion, the BJP – it has to be said – is excellent at searching for voters. But, maybe, it now needs to start seeking out citizens. Each vote counts, but so does each human life under this glorious Republican Constitution given to us by Dr. Ambedkar, a Constitution where we are all equal, a Constitution where even a humble *dalit* woman has the same dignity as a self-important and obnoxious politician has. Thank you, Sir.

श्री सीताराम येचुरी: उपसभाध्यक्ष महोदय, आज यह चर्चा हो रही है, इसका immediate provocation तो था ही, लेकिन बहन जी के ऊपर जो इतनी अजीब क्रिस्म की बात कही गई, उसको मैं किस तरीके से बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके के अल्फाजों को इस्तेमाल किया गया, उसकी निन्दा हम सभी औपचारिक तौर पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक मानसिकता है, जिसको समझने की जरूरत है। इसकी निन्दा हम सबने की है, अब भी किया है, आगे भी करेंगे। हम यहां इनकी बगल में ही बैठते हैं, हमारे मन में इनके लिए जो इज्जत है, वह तो है ही, लेकिन इस तरीके की बात निकली कैसे? इसके लिए मानसिकता की तरफ जाने की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे दो-चार मिनट बोलने की इजाजत दी जाए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप पांच मिनट बोल सकते हैं।

श्री सीताराम येचुरी: यह आगे की बात है, इसीलिए मैं यह पहले से ही कह रहा हूँ।

महोदय, चूंकि सबसे पहले आंकड़ों की बात कही गई है, so, let us first come to the statistics. Now, since this Government has come into office in 2014, new avenues have been opened up for attacks on *dalits*. One of these new avenues, which everybody has dealt with, is the entire question of cow protection. Now, cow is a venerated animal in our country. All of us know that. But, they are making it an issue for such attacks and all of us know the absurd charges that were made against the people who skinned the dead cow for professional reasons. They have been attacked. We have been through all this. But this is a point to note that this is a new factor for attacking *dalits* which has come into existence.

Secondly, since this Government has come, there is a new attack on the academia. We have seen what happened to the universities. We have seen what happened to Rohith Vemula. We have heard his suicide note that has just been read out to us. All of us, who have been connected with universities, know that out of the 25 students who committed suicide in North India and Hyderabad, 23 were *dalits*. 23 *dalit* students in our country committed suicide last year out of a total of 25. They were *dalits*. Now, again, this opens up a new avenue of persecution and repression against *dalits* who are reaching positions of excellence. This is a new feature that is happening since 2014. Another thing is the comments that are being made. You had a Minister of this Cabinet – he is still a Minister – who compared *dalits* to*. 'गाड़ी चलती है, तो कुत्ते मर जाते हैं', उसी तरीके से यह भी हो गया। वे मंत्री अभी भी हैं, उन्होंने शपथ ली है। ...**(व्यवधान)**... I am sorry. ...**(Interruptions)**... Of course, I am saying that the Minister said that. It's not me. I am saying that a mindset has been created. That is why, I said that. Maybe, he is the MoS for External Affairs, not Defence. ...**(Interruptions)**... He said. ...**(Interruptions)**...

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): You made your point.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I am not naming. ...(*Interruptions*)... That is why I am not naming. Then, you have the RSS chief calling for a review of the reservation policy. A mindset is being created which I think is important and, therefore, if you want to look at the statistics, let me tell you, between 2013 and 2014, there has been an increase of 19 per cent in the attacks on *dalits* that the National Crime Records Bureau has registered. The figures of 2015 have not come yet. In 2014, there were 47,064 crimes against the *dalits* – an increase of 19 per cent. Further, 1,27,341 cases are under trial. What has been the conviction rate? The conviction rate is less than five per cent, 5,102. This has never happened. In 2013, the conviction rate was 48 per cent. In 2014, the conviction rate was less than five per cent. So, 1,27,341 cases and the conviction, 5,102. This is statistics.

The Prime Minister talked very eloquently about *dalit* entrepreneurs, about giving funds for *dalits* to excel in industry, for coming into industry. What is the state of affairs of your Sub-Plan? Planning Commission has been abandoned. So, there is no plan in the country. So, if there is no plan, can you have a sub-plan for *dalits*? You still have it. What is the result of that Sub-Plan that you had between 2014-15? The Sub-Plan for *dalits* has been reduced by 38 per cent in this one year. If you look at the population-wise percentage, to whom it should reach, it has dropped from 20 per cent to 16.6 per cent.

Since you were talking about the State of Gujarat, let me take the cases of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Haryana, all the BJP-ruled States; you see the incidents of these attacks growing. Now, if you want, I will give all the results. But I am sure you will not give me time for it. But there is a shocking thing from the Gujarat State Government's report concerning the *dalit* Sub-Plan. What does it say? I am quoting, it says: 'It was very difficult to take up area-based development exclusively for Scheduled Castes.' Shocking! You can never have a State Government to actually say that they cannot take this up. The Prevention of Atrocities Act says that there should be vigilance and monitoring. The Chief Minister should chair the meeting twice a year, once every six months. It has never happened in Gujarat and there is no panel of lawyers, assigned for *dalits* in the case of these attacks, so that they can call on them to defend them. The only State where there is no panel of lawyers. This is what is happening. If you want, I can give you the details. I have all of that here. This is what I have got from the Parliament Library on these attacks.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. STAYANARAYAN JATIYA): You have many good points. ...(Interruptions)... Please conclude. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: No, no. Please, Sir. Please hold on. I am not yielding. I am not yielding today because we have very many things.

Now, here coming down to the question of your mindsets – this is something which is very, very important – during the last two years, which we must take into account because whether you call it ideological, mythological, theological or philosophical, what has been happening now is that you have.....(Interruptions)... What has been happening now...

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

...I was waiting for you to settle down, Mr. Deputy Chairman, Sir. I was waiting for you to settle down in the seat. I interrupted myself. So, what I was talking about is, all the statistics part is one element. We have all the statistics here and the Parliament Library has given us all the statistics. That can be quoted. But the mindset, Sir, that is evident during the last two years, is something that really worries me. What has been bolstered in our country is, in a sense, obscurantism. You are going back into a sense of obscurantism, where you are reaffirming once again to them that the status that you have in society today is because of the sins of your past birth, that unless you go through that today, you cannot correct yourself and be reborn in a better caste for the next *janma*. This is number one. That is the theological, philosophical, ideological obscurantism with which you are doing there.

Second, that you will prevent any inter-caste exchanges or marriages with the *khap panchayats* and all that you have, that you would prevent any sort of a cross-mobility between these castes and treat them as four separate compartments. That is what the RSS always talked of, the *varna vyavastha* – ‘The four-fold arrangement of the *Hindu* society’. ‘The four-fold arrangement of the *Hindu* society’ is the ideological backdrop that is creating this mindset. That is creating this mindset. The third point is that there is no upward mobility in terms of your profession. Manual scavengers will remain manual scavengers. They cannot move on to any other profession. Therefore, if anybody is educated, as a *Dalit* student, if they reach something higher, that has to be prevented and hence, the attacks on *Dalit* students in universities and educational centres. So these three put together, you have a theological, philosophical mindset of a question of birth-rebirth, that is depending on the sins of the past, and therefore, to atone the sins in the present, you will have to go through the status of being the *Shudra*.

Secondly, you will say about the four-fold order, the arrangement of the Hindu

society, you cannot move from one to the other. You cannot gain any knowledge whereby you will go back to mythology. Go back to mythology and go back to all the stories in mythology where *Eklavya's* thumb will be cut. You will have *Shambhuk*; because he is a *Dalit*, he will be cursed. And go back to that mythological treating, this is the mindset. This is the ideological backdrop that is encouraging these attacks on the *Dalits* today. And this is what that needs to be confronted and fought. And this, if we do not, then your khap panchayats will grow; your upward mobility, in terms of profession, will not be allowed; your inter-caste marriages— already there is a big ban on it, or, a movement against it —that will be worsened and you will have all these campaigns like *Love Jihad* and all these things will be raked up, and this is what is creating the mindset where these statistics, which I quoted earlier, can confirm as to why this is happening. So, Sir, what is required to be done? Another discussion on atrocities against *Dalits* is not merely a discussion. I am sorry to say, Mr. Deputy Chairman, Sir, sometimes, I keep wondering, and I don't want you to chide me and remove it as being unparliamentary, but, sometimes, we have a diarrhoea of words when we discuss, and there is constipation of action when it comes from the Government. And these are not unparliamentary words. These are not unparliamentary words, but, they are strong words and I am saying this because I feel very strongly. We can voluminously speak, but, then, what is the action, Sir? What is the action that should follow? If the conviction rate has dropped, if the pendency rate is, actually, five percent, if less than five percent of the cases are being tried in the courts -- my colleague, Shrimati Kanimozhi, corrects me that it is only three per cent-- if that is the case, Sir, what is the action that the Government proposes? Sir, we can all give excellent peroration, we can all talk of the ideals of society, but, in practice, what is happening? And the only one to correct it in practice is the Government, through actions. And that is why I am urging upon this Government — once again I am urging upon the Home Minister — not to please tell us that every single sub-caste or dimension of the Muslim society, we can find in India; every particular caste or angles of the Christian society, we find in India. That was the India that I remember. The India of the last two years is not that India. This is degenerating and, therefore, this ideological, theological mindset has to be corrected. And if that has to be corrected, then, it has to be matched with action in terms of practical terms of convictions, of prosecution of crimes, of the sub-plans that have to be implemented for the development, of protecting *Dalit* students and intellectuals, who are coming to the levels of an upward mobility, instead of attacking them. All this needs to be done along with giving the protection to people on the ground. Worst atrocities are being committed against them on the basis of allegations and rumours. Now, this has to be stopped. I will only end by making one last appeal. What is required is not a change of heart. Mahatma Gandhi gave us the slogan of

[Shri Sitaram Yechury]

‘*Harijan*’. Jyotiba Phule, Shahu Maharaj, Babasaheb Ambedkar. We had all these very, very big leaders, who continue to evoke sympathy and empathy amongst the people, where crores of people can be mobilized on their names. But why is the situation not changing on the ground? There what is required is the economic empowerment of *dalits*. Unless you economically empower *dalits*, mere change of heart is not going to help. A change of heart can help one generation maybe, but for the next generation the same thing will happen. Therefore, my appeal, through you, to the Government is that apart from taking firm action against the perpetrators of these crimes, apart from improving the rate of conviction, , apart from setting up all the legal mechanisms that have been mandated by the Constitution and the laws that we have passed in this House, apart from sticking to the Sub-Plan in terms of the *dalit* population and S.C. Sub-Plan to be properly implemented, apart from all these things, to also come back to the question of what the Constitution enjoins all of us to encourage the spirit of scientific temper. Encouraging the spirit of the scientific temper that is a job we are enjoying under the duties of the Constitution. Apart from a chapter on Fundamental Rights, there is a chapter on Fundamental Duties which we forget. As parliamentarians, it is our duty to ensure that. It is the duty of the Government to implement that, and that scientific temper needs to be brought into place, and the economic empowerment of the *dalits* has to be brought into practise. Otherwise, such atrocities against our respected leaders of what we have heard yesterday, are atrocious, obnoxious and cannot be acceptable. Such things will continue because they are emboldened by this mind set. These people are being emboldened by this mind set to say such things which were unheard of even a couple of years back. That mind has to change. For that I am urging, through you, upon the Government to take action on all these aspects, and come back to the question of encouraging the scientific temper. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Athawale, do you want to intervene?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

श्री रामदास अठावले: डिप्टी चेयरमैन सर, एक गंभीर विषय पर आज राज्य सभा में चर्चा हो रही है, सारे देश में भी यह चर्चा हो रही है। यह बहुत अच्छी बात है कि दलितों पर अत्याचार होने के बाद सभी पार्टियां उसकी निंदा करती हैं, लेकिन इस अत्याचार को खत्म करने के लिए जातिवाद को कब खत्म करेंगी, इस विषय पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको ऊना में जाकर मिलकर आना है, वे मिलकर आ सकते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी की राज्य में सत्ता हो, उस सत्ता के टाइम पर भी अत्याचार हुए हैं। 2013 में 45,000 से ज्यादा अत्याचार हुए

थे, 2014 में 46,000 अत्याचार हुए। जब हमारी सरकार आई, इसीलिए ज्यादा अत्याचार हुए हैं, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आपके टाइम पर भी अत्याचार हुए थे। 45,000 अत्याचार 2013 में भी हुए थे। ...**(व्यवधान)**... ठीक है, मेरा नाम उधर नहीं भी आया होगा तो भी आपके पास मेरा नाम है। आपको पता है, मैं मैं हूँ और तुम तुम ही हो। इसलिए जब मैं मंत्री पद की शपथ ले रहा था तब मैं अपना नाम ही भूल गया था, मुझे मालूम था कि मैं खड़ा हूँ तो नाम लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, आपने मेरे ध्यान में लाया।

मुझे लगता है कि इसी तरह जब ऊना में अत्याचार हुआ, वहा की मुख्य मंत्री आनंदीबेन पटेल वहां गईं, तथा उन्होंने उनको सांत्वना दी, उनको आर्थिक मदद भी दे दी है। जो पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार हैं, उन पर कार्यवाही भी हुई तथा उनको सस्पेंड भी कर दिया है। सर, एक 'सैराट' नाम की फिल्म है, जो मराठी में है। वह फिल्म बहुत हिट हुई है, उसने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का धंधा किया। नागराज मंजुले नाम के एक डायरेक्टर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। वे करमाला तहसील के रहने वाले हैं। उनकी यह फिल्म बहुत चली और इसने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का धंधा किया। वह फिल्म इंटरकास्ट मैरिज पर थी। नौवीं क्लास में पढ़ने वाली पाटिल समाज की एक लड़की का दलित समाज के एक लड़के के साथ प्यार होता है। वे शादी करते हैं, वे हैदराबाद जाकर रहते हैं और आखिर में उन दोनों का मर्डर किया जाता है।

महोदय, इस तरह के अत्याचार की घटनाएं हमेशा से हो रही हैं। हमारे महाराष्ट्र के खैरलांजी में हुई, बेलची में हुई, कारमजुंडे में हुई, सादूपुर में हुई। हमारे महाराष्ट्र के खरना में नौवीं क्लास में पढ़ने वाले एक दलित लड़के की हत्या हुई, सोनाई में बाल्मीकि समाज के तीन लड़कों की हत्या हुई। इन सबका कारण इंटरकास्ट लव और इंटरकास्ट मैरिज था। मैंने इंटरकास्ट मैरिज की है। मैंने बोला कि मुझे कौन मारने के लिए आता है, मैं उसको देखता हूँ। मैंने एक ब्राह्मण लड़की से शादी की। इंटरकास्ट मैरिज के संबंध में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बताया कि रोटी और बेटी के भाववाद से कास्टिज्म नहीं जाएगा, उसके लिए अंतर्जातीय विवाह की आवश्यकता है और मैंने अंतर्जातीय विवाह किया। यहां कितने लोगों ने किया है, यह मुझे मालूम नहीं है। इसी तरह से हमें समाज को जोड़ने का काम करना है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी गए, यह अच्छी बात है। वे जाएं और वापस आए। मुझे तो आपने बहुत बार दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका। ...**(व्यवधान)**... इसी हाउस में मैंने बहुत बार आपको रोका, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, अब तो हमको देना होगा मौका। ठीक है, यह कोई मंत्री पद की बात नहीं है, मंत्री पद तो अभी तीन साल है। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, ऊना का जो अत्याचार है, वह बहुत गंभीर अत्याचार है। हमारे होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए हम सबको एक साथ होना चाहिए, जिस तरह से हम लोग आतंकवाद के खिलाफ एक होते हैं, कश्मीर पर हमला होता है, तो हम सभी पार्टीज के लोग एक साथ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो हम सब लोग एक हो जाते हैं, उसी तरह से इस विषय पर भी हम सबको एक होना चाहिए। अगर एक नहीं होंगे, तो आप बोलेंगे कि वहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले बोलेंगे कि वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस वाले बोलेंगे कि वहां समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी वाले बोलेंगे कि वहां जेडीयू की सरकार है। ...**(व्यवधान)**... रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आने में अभी थोड़ा समय

[श्री रामदास अठावले]

4.00 P.M.

है। अगर रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आएगी, तो उस समय ज्यादा अत्याचार होंगे, क्योंकि हमें सत्ता से बाहर करने के लिए लोग ज्यादा कोशिश करेंगे।

बहन मायावती जी के खिलाफ जिन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया, बीजेपी वालों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मायावती जी के ऊपर अटैक करने वाले के ऊपर कार्रवाई की है। मायावती जी और मेरी नहीं जमती है, लेकिन मायावती जी हमारी लीडर हैं, क्योंकि वे बाबा साहेब अम्बेडकर को मानती हैं और मैं भी बाबा साहेब को मानता हूँ। उनकी बहुजन समाज पार्टी है और मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से पुरानी पार्टी आरपीआई है, क्योंकि यह पार्टी 1957 में स्थापित हुई। चरण सिंह जी की सरकार में रिपब्लिकन पार्टी के चार मंत्री हुआ करते थे, उस समय हमारी पार्टी से 19 एमएलएज चुन कर आए थे। बाद में हमारा हाथी आपने छीन लिया। यह ठीक बात है कि आपके पास हाथी है, आप हाथी चलाइए। आपको मौका मिला है। अगर आपके ऊपर कोई इस तरह का अटैक करता है.... अगर किसी ने बोल दिया कि वह दौलत की बेटी है, दौलत की बेटी होगी, लेकिन वह दलित की बेटी है। मतलब आप लोग पैसा कमाइए और हमारे समाज का एक आदमी पैसा कमाए, तो उसको बोला जाता है कि वह दौलत की बेटी है। हमें इस तरह का अटैक नहीं करना चाहिए। मैं बीजेपी वालों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसी फिजूल बातें करने वाले कार्यकर्ता, नेता पर कार्रवाई की है। हम सब लोग एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। भारत की राजनीति एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाली है।

महोदय, बाबा साहेब ने लोकतंत्र दिया है, अपोजिशन को भी उतना ही अधिकार है, सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट करने का पूरा अधिकार आपको है, विरोध करने का भी आपको अधिकार है, लेकिन जब बिल आता है, तब आपको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि यहां आपकी मेजॉरिटी है। एक भी बिल पास नहीं हो रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं यहां क्यों आया हूँ, मैं लोक सभा में जाता तो अच्छा होता। ठीक है, आपका अधिकार है। मुझे लगता है कि दलित अत्याचार के संबंध में कड़ा कानून बनना चाहिए। वह किसी पर अन्याय करने के लिए न हो, क्योंकि The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 भी है। जो लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का सरकार को अधिकार है। हमारा जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, हमारा जो गृह मंत्रालय है, उसमें हमारे राजनाथ सिंह जी एक मजबूत होम मिनिस्टर हैं। हमारे समाज कल्याण मंत्री भी मजबूत हैं और मैं भी मजबूत हूँ। हमारी सरकार आप सब लोगों को सपोर्ट करने वाली है। ...**(व्यवधान)**... जब हम मजबूत हैं तो सरकार मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी मजबूत हैं। मतलब, नरेंद्र मोदी जी जगा रहे हैं भारत सारा, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना एक दिन होगा पूरा। हम सब लोगों को दलित-सर्वर्ण की एकता का देना होगा नारा और अत्याचार करने वालों को उखाड़ देना होगा सारा। जो कुछ भी हुआ है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार की उन नौजवान लोगों के प्रति पूरी sympathy है, जिनकी पिटाई की गई है। जिन्होंने उनकी पिटाई की है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और भारत सरकार ने भी उस आशय के आदेश दे दिए हैं। कोई आदमी चाहे किसी भी जाति

का हो अथवा किसी भी संगठन का हो, उसको सपोर्ट करने की हमारी भूमिका नहीं है। राजनाथ सिंह साहब ने लोक सभा में भी यह बताया कि हमारी सरकार दलितों के प्रति सहानुभूत व्यक्त करती है और हमारी सरकार दलितों का सपोर्ट करती है। सपोर्ट करती है, मतलब, जब दलितों ने आपको सपोर्ट किया है तब आप उनका क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? आपको चुनाव में दलितों का सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से मिला और बीजेपी को 282 सीटों लाने में दलित आपके साथ रहे। उत्तर प्रदेश में तो एक हंगामा हुआ। हंगामा इसलिए हुआ कि वहां 80 सीट्स में से 73 सीट्स मिलीं। 71 सीटों पर बीजेपी के सदस्यों का चुनकर आना, यह बीजेपी के सपने में भी नहीं था और मेरे सपने में भी नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कमाल कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कमाल किया और आप लोगों ने धमाल किया। ...**(व्यवधान)**... इसलिए कांग्रेस के मित्रों से मेरा इतना ही कहना है कि आपका सहयोग हमें चाहिए। आपके सहयोग के बिना सरकार नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। वह चल रही है, लेकिन काम होने के लिए, बिल पास होने के लिए आपकी आवश्यकता है और इसी तरह हम सब लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा दिए हुए संविधान का भारत खड़ा करने की कोशिश करेंगे। चुनाव आएगा तो हम एक-दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, लेकिन हाउस में ज्यादा झगड़ा मत कीजिए। आप नारे लगाइए, लेकिन डिप्टी चेयरमैन साहब, रोज नारे लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि नारे लगा-लगाकर मैं यहां आया हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं बाहर रोज नारे लगाता था। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): इससे सरकार का नजरिया दिखाई पड़ता है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI PRAMOD TIWARI (Uttar Pradesh): Sir, I have a point of order ...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order? ...**(Interruptions)**...

SHRI PRAMOD TIWARI: I want to say something ...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You see, when everything in the House is in order, why do you want to raise a point of order and under what rule?

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, I think, it falls within the definition of 'collective responsibility' which comes under section 75...**(Interruptions)**.... According to this, it is the collective responsibility of the Council of Ministers...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So what?

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, the hon. Minister while speaking here, while making his statement here, was congratulating the BJP for abusing a senior leader because he has taken action ...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...**(Interruptions)**...

SHRI PRAMOD TIWARI: Oh yes. He said it. ...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. He did not say it ...**(Interruptions)**...

SHRI PRAMOD TIWARI: He said it. ...(Interruptions)... ऐसे गंभीर विषय पर, जहां पर इतनी अपमानजनक टिप्पणी की गयी हो, दलितों के खिलाफ अत्याचार पर बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक मंत्री उस पर मज़ाक की तरह चर्चा कर रहा हो। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, Tiwariji. ...(Interruptions)...

श्री प्रमोद तिवारी: यह सरकार के लिए शर्म की बात है कि इतने गंभीर विषय पर मंत्री जी किस तरीके से मज़ाकिया लहज़े में बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: तिवारी जी, बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी: यह मंत्रिमंडल के बारे में सच्चाई बयान करता है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tiwariji no, no. ...(Interruptions)... He only congratulated the BJP for taking action. ...(Interruptions)... Sit down now. ...(Interruptions)... For taking action against that person ...(Interruptions)...

श्री रामदास अठावले: सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई मज़ाक की बात नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान).... मैंने करेक्ट कर दिया। ...(व्यवधान).... आप बोलिए। ...(व्यवधान).... कुछ नहीं है। ...(व्यवधान)...

SHRI BHUPENDER YADAV (Rajasthan): Sir, you allow him to clarify. ...(Interruptions)...

श्री प्रमोद तिवारी: उन्होंने congratulate किया। ...(व्यवधान)...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI) : This allegation is completely incorrect. ...(Interruptions)... It is a derogatory statement, which is very wrong. ...(Interruptions)... एक दलित नेता हैं, वे बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं और आप उनको रोकना चाहते हैं? ...(व्यवधान).... बहुत derogatory और false statement दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी: वहां आपकी सरकार है ...(व्यवधान).... ऐसे गंभीर विषय पर आपकी सरकार का यह ..(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have... ...(Interruptions)... The Chair has corrected it. ...(Interruptions)...

श्री प्रमोद तिवारी: यहां पर दलितों के उत्पीड़न पर हम लोग बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, sit down, what are you doing? ...(Interruptions)...

श्री प्रमोद तिवारी: पहले तो हमें मरवाया गया, हमें ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tiwariji, you are attributing something which ...(Interruptions)...

श्री प्रमोद तिवारी: उसके बाद आपका एक मिनिस्टर यहां पर बैठकर दलितों पर अत्याचार का मज़ाक उड़ाए, ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tiwariji, what are you doing? ...(Interruptions)...

SHRI PRAMOD TIWARI: No, Sir, I am speaking from my heart. ...(Interruptions)...

This is my heart. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, sit down. ...(Interruptions)... Everybody has a heart. ...(Interruptions)... Not only you, everybody has a heart. ...(Interruptions)... You are attributing something which he has not said. ...(Interruptions)... Now, listen. ...(Interruptions)... Listen, listen. ...(Interruptions)... I also heard. ...(Interruptions)... I was listening to the translation. ...(Interruptions)... It is very clear. ...(Interruptions)... What he said is that he congratulated BJP for taking action against that person who abused ...(Interruptions)... He did not congratulate that person. ...(Interruptions)... You should listen to the speech. ...(Interruptions)... What is this? ...(Interruptions)... Don't create problem unnecessarily. ...(Interruptions)... There is no point of order. ...(Interruptions)... अठावले जी, अभी आपने खत्म नहीं किया? कृपया जल्दी कीजिए।

श्री रामदास अठावले: सर, यहां पर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर व्यक्त करने का अधिकार हर किसी मेम्बर को है, लेकिन जिसमें प्वाइंट ही नहीं, उस ऑर्डर का क्या मतलब है? मैंने अत्याचार करने वालों को बधाई दी है क्या? मैं तो दलित समाज का हूं, मेरा भी दिल जल रहा है। ...(व्यवधान)... मेरे समाज के लोगों पर हमला हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि संगठन के कोई भी लोग हैं, जिन्होंने अत्याचार किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय लिया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया है, इसीलिए मैंने यह बात कही। इसमें अभिनंदन की कोई बात नहीं है और मज़ाक की बात नहीं है। ...(व्यवधान)... यह मज़ाक की बात नहीं है। यहां हमारे नौजवानों पर हमला हुआ, हर रोज हमले हो रहे हैं।

श्री उपसभापति: अब समाप्त कीजिए।

श्री रामदास अठावले: डिप्टी चेयरमैन सर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन कांग्रेस के लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि देश में casteism को बढ़ावा देने का काम किसने किया?...(व्यवधान).. आज तक सत्ता आपके हाथ में थी, गांव-गांव के सरपंच आपके थे। जिला पंचायत आपकी थी, सभी राज्यों में आपकी सरकारें थीं। बीजेपी की सरकार अभी आयी है। इसके पहले आपकी सरकार थी, इसलिए सबकी जिम्मेदारी है। केवल आप जिम्मेदार हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। सरकार अत्याचार करती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कोई भी सरकार हो, उस सरकार के टाइम में नीचे के लोग अत्याचार करते हैं, तो उनको सबक सिखाना चाहिए, उन्हें कठोर सज़ा देनी चाहिए, यही मेरा कहना था। यह मज़ाक की बात बिल्कुल नहीं है। मैं मज़ाक

[श्री रामदास अठावले]

वाला आदमी नहीं हूँ। आप लोग ऐसा समझते होंगे, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं बहुत सीरियस हूँ, मंत्री बनने के बाद मुझे सीरियस होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस अत्याचार का निषेध करता हूँ।

श्री आनन्द भास्कर रापोलू (तेलंगाना): फिर हंस क्यों रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... ऐसे मामले में आप हंस रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, all right.

श्री रामदास अठावले: भारत सरकार और राज्य की सरकार जरूर कठोर कार्यवाही करेगी और किसी को छोड़ने का काम नहीं करेगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, जय भीम, जय भारत।

श्री दिलीप कुमार तिकी (ओडिशा) : उपसभापति महोदय, प्राचीन भारत से हम अच्छी सभ्यता, इंसानियत सीखते आ रहे हैं और दुनिया को सिखा रहे हैं। Foreigners हमारी सभ्यता को सीखने के लिए भारत आते हैं, यह बात हम गर्व के साथ कहते हैं। महोदय, ईश्वर भी कहते हैं कि जो मानव की सेवा करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है, लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि जो दलितों के प्रति अत्याचार हो रहा है, यह हमारे देश का मुद्दा है और एक sensitive मुद्दा है। महोदय, दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालत अभी भी नहीं सुधर रही है। यही नहीं, दलित और आदिवासी चाहे नौकरी में हों, समाज में हों या राजनीति में हों, उन्हें अपमान और भेदभाव झेलना पड़ता है। हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए कि आखिर इसका क्या कारण है? मेरे ख्याल से, इस अत्याचार का सबसे बड़ा कारण समाज में कानून का कोई खौफ न होना, खराब मानसिकता, भेदभाव एवं कुछ लीडर्स के बयान हैं।

उपसभापति महोदय, मैं कुछ दिनों से टी.वी. न्यूज में क्लिप देख रहा हूँ कि एक आदमी चार दलितों को मार रहा है। दलित केवल दर्द सह रहे हैं और वह उनको गब्बर की तरह मार रहा है। यहां पर मानसिकता क्या है? आप देखिए, दलितों का मनोबल कितना डाउन है और जो मार रहा है उसका मनोबल कितना ऊंचा है। उनके अरेस्ट होने की बात ठीक है। आज भी लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं है। आप देख लीजिए कि वे उनको मारने का वीडियो क्लिप बना रहे हैं, उसके बाद यूट्यूब पर डाल रहे हैं। उनको कानून की कोई परवाह नहीं है। कानून भी सचमुच एक दलित बन गया है, एक आदिवासी कानून बन गया है और जस्टिस जंगल में रह गया है, ऐसा लग रहा है।

हमने कल राज्य सभा में दलितों के ऊपर चर्चा की। बहन जी के बारे में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिस पर कल चर्चा हुई, लेकिन आज सुबह हम टी.वी. में देख रहे हैं कि 22 दलितों को पीटा जा रहा है। इससे साफ मालूम पड़ रहा है कि हमारे यहां कोई सभ्यता नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है और कानून का कोई खौफ नहीं है।

उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आज भी रूरल एरिया में 38 परसेंट जो दलित बच्चे गर्वमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको सेपरेट बैठाया जाता है, जो दलित बच्चे हैं। आज भी रूरल एरिया में 27.6 परसेंट दलित पुलिस स्टेशन में जाने से डरते हैं। आज भी 33 परसेंट पब्लिक

हेल्थ वर्कर दलितों के घर जाने से मना कर देते हैं और 48.4 परसेंट दलित बच्चों को जब वे पानी पीने के लिए जाते हैं, तो उनको मना कर दिया जाता है तथा 70 परसेंट बच्चे उनके साथ में बैठकर खाना नहीं खाते हैं। महोदय, आज भी हमारे देश में यह हाल है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे दलित बच्चे आगे बढ़ेंगे? स्कूल के बच्चों को सेपरेट बैठाया जा रहा है, वे बच्चे कल को आगे कैसे बढ़ेंगे, उनको सभ्यता और संस्कार कैसे मिलेंगे?

उपसभापति महोदय, मैं इसके बारे में सुझाव देना चाहूंगा कि एक सेपरेट फंड बनाया जाए। जहां पर दलित रहते हैं या आदिवासी रहते हैं, वहां पर आप ऐसी एक्टिविटी चलाइए, कल्चरल एक्टिविटी चलाइए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलाइए, तभी मैं समझता हूं कि कुछ डेवलपमेंट हो पाएगा। हमारे यहां पर दलित लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं और उनको पुलिस के पास जाने से रोका भी जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए पुलिस स्टेशन में एक सेपरेट दलित सेल बनाइए, ताकि दलित लोग आसानी से वहां जा सकें और अपनी कम्प्लेंट लिखा सकें।

उपसभापति महोदय, हमारी बीजेपी के स्पीकर ने ओडिशा के बारे में कहा, हमारे मुख्य मंत्री के बारे में कहा, left-wing extremism के बारे में कहा। यह बीजेडी का मुद्दा नहीं है, यह बीजेपी का मुद्दा नहीं है, यह कांग्रेस का मुद्दा नहीं है या स्टेट का मुद्दा नहीं है। हम इंटरनेशनल फोरम में इसकी चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। हमारे ओडिशा में घटना हुई है, लेकिन वह जान-बूझकर की गई घटना नहीं है। एस.टी. कमीशन ने भी कहा है कि एक्सीडेंट के बाद मुख्य मंत्री और उनकी सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। इसको पोलिटिकल न बनाया जाए। कई सारे स्टेट्स में हमारी तरह नक्सलवाद की प्रॉब्लम है या माओवादियों से प्रॉब्लम है। मैं समझता हूं कि बहुत दुखदायी घटना हुई है। मैं समझता हूं कि आदिवासी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उन लोगों के परिवारों को 7 लाख रुपए का कम्पेंसेशन दिया। इसके साथ-साथ उनके परिवार के लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी दी जा रही है। इसके लिए तुरंत एक SIT का गठन करके उसकी जांच की जा रही है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद मुख्य मंत्री जी आवश्यक कदम उठाएंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी ओडिशा सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसको देखकर मुझे लग रहा है कि ओडिशा में पॉपुलेशन के हिसाब से कानून बनाया गया है और रिजर्वेशन दे रहे हैं। इसमें SC/ST के लोगों के लिए 23 per cent reservation है, और SC के लिए 17 परसेंट जो कि एक बहुत अच्छा काम है। हमारे यहां जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें इन लोगों को पढ़ने का मौका दिया गया है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देरेक ओब्राईन जी कह रहे थे कि जो दलित क्रिश्चियन हैं, उनको SC की मान्यता नहीं दी जा रही है। वे सब भी गरीब लोग हैं, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन पर ध्यान दिया जाए और दलित क्रिश्चियन को भी SC की सूची में शामिल किया जाए, धन्यवाद।

सुश्री मायावती (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, देश में जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो मुझे अपना स्वाभिमान का प्रतीक समझते हैं और कल भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य द्वारा जिस तरीके की अशोभनीय, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे पूरे देश में दलित वर्ग के लोगों के स्वाभिमान को जबर्दस्त ठेस पहुंची है। इसमें अच्छी बात यह रही कि

[सुश्री मायावती]

कल पूरे सदन में सभी दलों के नेताओं ने, नेता पक्ष और विपक्ष, सभी ने उसको कंडेम किया और आज भी दलित एट्रोसिटीज के ऊपर जो चर्चा हो रही है, तो इस चर्चा में भी सभी दलों में माननीय नेताओं ने उस घटना का उल्लेख करते हुए, उसको कंडेम किया है। खास तौर से हमारे देश की महिलाएं, जो राजनीति में काफी आगे बढ़ रही हैं, तमिलनाडु की मुख्य मंत्री हैं, पश्चिमी बंगाल की मुख्य मंत्री हैं और जो अन्य महिलाएं हैं, उनको भी काफी बुरा लगा तथा कल जो कुछ भी हुआ, उसका विरोध किया और उसको कंडेम किया। आज भी माननीय सत्ता पक्ष और विपक्ष तथा विभिन्न दलों के नेताओं ने उसको कंडेम किया है। मैं सत्ता पक्ष, विपक्ष और सभी दलों तथा सभी दलों के नेताओं का इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। इतना ही नहीं, इन्होंने इसका विरोध करते हुए, इसको जबर्दस्त तरीके से कंडेम किया है, तो इससे इन्होंने मेरे मनोबल को और बढ़ाया है। इन्होंने मुझे दलितों के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मेरी हिम्मत व हौसला और बढ़ाया है, मैं इसके लिए भी बहुत आभारी हूँ।

मान्यवर, आज अखबारों में और मीडिया में खबर आई है कि बीजेपी ने उस व्यक्ति को पद से हटाया है, पार्टी से निकाला है, यह उनका अच्छा कदम था, मैं उसकी सराहना करती हूँ, लेकिन अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी उसको पद से हटाने के साथ-साथ उसके खिलाफ FIA दर्ज कराती, तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा होता। अगर भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर SC/ST Act के तहत मुकदमा दर्ज कराती, तो उचित होता। हम देर रात तक इंतजार करते रहे, जब बीजेपी ने ऐसा नहीं किया तो हमारी पार्टी के लोगों ने लखनऊ में देर रात तक इस मुद्दे को लेकर SC/ST Act के तहत मामला दर्ज कराया। लेकिन इस घटना को हर तरफ से condemn किया गया है। महोदय, इतना ही नहीं, आज पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी ने, हालांकि मैंने कोई अपील नहीं की, उनसे कोई दरखास्त नहीं की, लेकिन चूंकि उनके स्वाभिमान को इस से ठेस पहुंची, देश के ज्यादातर राज्यों में लोग सड़कों पर उतरे और अपना विरोध दर्ज किया। इसके लिए उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ।

मान्यवर, आज की बिजनेस लिस्ट के मुताबिक देश के विभिन्न भागों में दलितों पर अत्याचार की हाल की घटनाओं पर नियम 176 के तहत चर्चा हो रही है। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात भी सभी को मालूम है कि जब भी सत्र शुरू होता है तो किसी-न-किसी घटना को लेकर, दलितों के ऊपर हो रही atrocities को लेकर हाउस में चर्चा होती है। उस पर चर्चा होती है और सभी दलों के नेता अपने सुझाव देते हैं। सरकार भी अच्छी-अच्छी बातें रखकर अपना performance बताती है और आश्वासन देती है कि हम इन atrocities के मामले में काफी गंभीर हैं, लेकिन practical में उसके बाद कुछ नहीं होता है और सब हवा-हवाई बनकर रह जाता है।

माननीय उपसभापति जी, आज देश के विभिन्न भागों में दलितों के ऊपर अन्याय, व अत्याचार हो रहा है, उसे लेकर नियम 176 के तहत हाउस के अंदर चर्चा हो रही है। मेरे बोलने से पूर्व विभिन्न दलों के माननीय नेताओं ने काफी डिटेल में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने इस संबंध में पिछली गवर्नमेंट के और इस गवर्नमेंट के भी आंकड़े दिए हैं और बताया है कि दलितों के ऊपर कितना अन्याय व अत्याचार हुआ है। मैंने उन सब की बातों को काफी ध्यानपूर्वक सुना है और काफी गंभीरता से लिया है।

मान्यवर, मैं इस संबंध में सब से पहले यह कहना चाहूंगी कि हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 69 वर्ष और भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 66 वर्ष अब तक बीत चुके हैं। इस अवधि में केंद्र में विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन इस अवधि में सब से ज्यादा लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही है, लगभग 54 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। साथ ही आज़ादी के बाद अधिकांश राज्यों में भी इसी कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और इन दो सालों को मिलाकर अब तक बीजेपी 8 वर्षों तक केंद्र में सत्ता में रही है। मान्यवर, कई राज्यों में अभी भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन दुख की बात है कि देश का संविधान लागू होने के बाद की इस लंबी अवधि में भी देश में खासकर चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो या बीजेपी की रही हो या कुछ समय के लिए अन्य पार्टियों की हुकूमत रही हो या राज्यों के अंदर कांग्रेस, बीजेपी या अन्य विभिन्न पार्टियों की हुकूमत रही हो, लेकिन दुख की बात है कि इस लंबी अवधि में देश में खासकर दलित व आदिवासी वर्ग के लोगों का हर स्तर पर अभी तक उत्पीड़न होना बंद नहीं हुआ है। इस के साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में खासकर एससी व एसटी वर्ग के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में इनकी स्थिति में सुधार के लिए इन्हें जो कानूनी अधिकार दिए थे, आज़ादी के बाद या भारतीय संविधान लागू होने की इस लंबी अवधि में इन वर्ग की स्थिति में 50 प्रतिशत भी बदलाव नहीं आया है। मैं आपको वास्तव में बता रही हूं कि इन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में 50 परसेंट भी बदलाव नहीं आया है, क्योंकि बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा था, उन्होंने जब इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार दिए थे तो एक बात कही थी कि, "मैंने कानूनी अधिकार तो इन वर्गों के लोगों को दे दिए हैं, लेकिन कानूनी अधिकारों का लाभ इन वर्गों को तभी मिलेगा, जब इनको ईमानदारी और निष्ठा से implement किया जाएगा।" सर, इनको ईमानदारी और निष्ठा से implement नहीं किया गया और उन्हें कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ भी नहीं मिला।

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने इन्हें खास कर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन उसका कोटा भी पूरा नहीं किया गया।

पदोन्नति में आरक्षण, जो इन वर्गों को लंबे अरसे से मिल रहा था, सेंटर में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इनकी थोड़ी लापरवाही की वजह से यह हुआ कि इस मामले के विरोध में जब कुछ लोग कोर्ट में गए, तो वहां पर सही पैरवी न करने की वजह से, माननीय सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण का मामला भी निष्प्रभावी हो गया। हालांकि, हमारी पार्टी ने पिछली गवर्नमेंट में इस मामले को उठाया था। राज्य सभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक पास हुआ, ताकि इन्हें पूरा लाभ मिल जाए, लेकिन यह विधेयक राज्य सभा में तो पास हो गया, पर लोक सभा में लटक गया। हम यह सोच रहे थे कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि लोक सभा में इनका पूर्ण बहुमत है, तो लोक सभा में इस मामले को, जो पदोन्नति में आरक्षण का मामला है, इसको जरूर गंभीरता से लेगी और जो संवैधानिक संशोधन विधेयक आया है, उसको पास कराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

माननीय उपसभापति जी, इतना ही नहीं, मैं इन बीजेपी वाले लोगों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यह भी कहना चाहती हूं कि इस साल जब बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी, तो इन्होंने उनकी जयंती मनाने के लिए पूरे देश के दलितों को किस्म-किस्म के लालच दिए कि हम

[सुश्री मायावती]

यह करेंगे, हम वह करेंगे। एक तरफ तो इन लोगों ने बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की जयंती मनाने की आड़ में दलितों को किस्म-किस्म के आश्वासन दिए, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र की सरकार ने, बीजेपी के नेतृत्व में जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, उसने अपनी सरकार के ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को देकर एस.सी./एस.टी. के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी, एक प्रकार से उसको निष्प्रभावी बना दिया और उनको न के बराबर अधिकार दे दिया, जबकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

ज्यूडिशियरी की बात कहें, तो जब हम atrocities की बात करते हैं, शोषित दलित समाज पर, एस.सी./एस.टी. लोगों पर atrocities की बात करते हैं कि इन लोगों के ऊपर आए दिन जुल्म, ज्यादतियां बढ़ रही हैं, तो पाते हैं कि इन्हें न्याय नहीं मिलता है। जिनके ऊपर जुल्म ज्यादतियां होती हैं, इन लोगों के मामले कोर्ट-कचहरियों में बरसों तक चलते रहते हैं। जिनके ऊपर जुल्म, ज्यादतियां होती हैं, वे बेचारे मर जाते हैं और केस अपने आप रफ़ा-दफ़ा हो जाता है। ज्यूडिशियरी में इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। वहां पर इनके लोग नहीं हैं। हायर ज्यूडिशियरी में रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बेचारे लोग काफी दुखी हैं।

माननीय उपसभापति जी, मैं यह बताना चाहती हूं कि इन सबका मुख्य कारण यह है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, केंद्र व राज्यों में जिन पार्टियों की भी सरकारें रही हैं, उनमें से अधिकांश सरकारों की इन वर्गों के प्रति अभी तक भी हीनता और जातिवादी मानसिकता का पूरी तरह से नहीं बदलना है। यानी कि केंद्र और राज्यों में जिन पार्टियों की सरकारें रही हैं, उनमें से अधिकांश केंद्र और अधिकांश राज्यों की सरकारों की दलितों और आदिवासियों के प्रति जो हीन और जातिवादी मानसिकता चली आ रही है, संविधान लागू होने से पहले से जो पुरानी मनुवादी व्यवस्था थी, उनकी वह सोच अभी तक नहीं बदली है। संविधान तो लागू हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकली तो आज भी जो मनुवादी व्यवस्था है, ये लोग उसको लागू करते हैं और उसी सोच के तहत इनका उत्पीड़न हो रहा है। सर, यही मेन कारण है कि संविधान तो लागू हो गया है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले ज्यादातर लोग मनुवादी मानसिकता के हैं। ये पुरानी हीन व जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जिसकी वजह से इनका उत्पीड़न हो रहा है। यही मुख्य वजह है कि देश के किसी भी राज्य में, जब भी दलितों के ऊपर कोई जुल्म या ज्यादती होती है, उनका उत्पीड़न होता है, तो न्याय देना तो बहुत दूर की बात है, उनकी एफ.आर.आई. भी जल्दी से नहीं लिखी जाती है। मैं आपको सही रिपोर्ट बता रही हूं। इस बात का ताजा उदाहरण गुजरात के ऊना का दलित उत्पीड़न प्रकरण है। माननीय उपसभापति जी, जैसा कि यह सर्वविदित है, इस बार सेंटर में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी और इस सरकार को बने हुए दो साल से ज्यादा समय हो गया है। पिछले लगभग डेढ़ साल के अन्दर गौ रक्षा के नाम पर पूरे देश के अन्दर सबसे पहले धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुसलमानों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हुआ और अब तो दलितों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। गौ रक्षा के नाम पर अब तो दलितों के साथ भी बड़े पैमाने पर इसकी आड़ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अकेले गुजरात में ही नहीं, खास तौर से देश में जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर गौ रक्षा के नाम पर दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। पहले मुसलमानों के साथ जुल्म-ज्यादती हुई, वह तो खैर बंद नहीं हुई, अब दलितों को भी नहीं छोड़ा गया। ऊना के अन्दर क्या हुआ? गुजरात

स्टेट में जो ऊना है, वहां पर गौ रक्षा के नाम पर जो असामाजिक तत्व हैं, जो दलित विरोधी तत्व हैं, उन्होंने जब वे लोग चर्मकारी का काम कर रहे थे, उनके साथ जो जुल्म-ज्यादती की, मैं उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, यह बात मैंने काफी कुछ 18 तारीख को माननीय सदन में रखी थी, लेकिन माननीय उपसभापति जी, मेरा यही कहना है कि उनका वहां पर शोषण किया गया और सरकार चुप रही। जब इस मामले को मीडिया ने, चैनलों ने दर्शाया और खास तौर से जब 18 तारीख से पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ और जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया, तो मैंने पहले प्रेस नोट जारी किया और फिर मैंने 18 तारीख को यह मामला पार्लियामेंट के अन्दर उठाया। इतना ही नहीं, 18 तारीख के बाद गुजरात के अन्दर जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी, उनका हौसला बढ़ा, तो वे लोग जुल्म-ज्यादती के खिलाफ सड़कों पर आए। उनको न्याय देने के लिए सरकार आगे आने के बजाय उनका मुँह बंद करने के लिए किस्म-किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है।

माननीय उपसभापति जी, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से यह कहना है कि यह मामला अति गम्भीर है। वहां पर आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वह वहां की सरकार से बात करके जिन लोगों के साथ गौ रक्षा की आड़ में जो उत्पीड़न किया गया है, उनके स्वाभिमान को जो ठेस पहुँचाई गई है, उस पर कार्रवाई करे। माननीय उपसभापति जी, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से यह कहना है कि वहां आपकी सरकार है, आप सरकार से बात करें और उनको न्याय दिलाएँ। हालांकि आपने अपने मुख्यमंत्री को वहां पर भेजा है, यह अच्छा कदम है, लेकिन मुख्यमंत्री को भेजने से ही काम नहीं चलेगा। वहां पर जब यह घटना घटी, तो जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिनको तुरंत मौके पर एक्शन लेना चाहिए था, जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती है, सरकार ने उनको निलंबित तो किया है, लेकिन उनको निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, वे साल-दो साल में फिर reinstate हो जाएँगे, इसलिए माननीय उपसभापति जी, मेरा यह कहना है कि आगे दूसरे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ज़ूट्टी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाएँ, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्टेट गवर्नमेंट से कहे कि उन अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करके उनको जेल की सलाखों के अन्दर भेजना चाहिए।

माननीय उपसभापति जी, इस प्रकरण को लेकर हमारी मांग यह है कि...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

सुश्री मायावती: सर, एक मिनट, मेरी एक डिमांड है। सरकार से मेरा यह कहना है कि वहां की सरकार ने इस मामले की सीआईडी से जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सरकार को मालूम है, राजनाथ सिंह जी को भी यह मालूम है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये अभी गृह मंत्री हैं, ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीआईडी जांच का मतलब क्या होता है। जो सीआईडी जांच होती है, उसमें जो दोषी लोग होते हैं, उनको बचाने का मामला होता है या मामले को लटका कर उसको बचाने का मामला होता है। सीआईडी में ज्यादातर जब जांच होती है, तो जो पीड़ित लोग होते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा यह कहना है कि वह स्टेट गवर्नमेंट से बात करे और इस मामले की सीआईडी से जांच कराने के बजाय, क्योंकि जब मीडिया में सब कुछ दिखा दिया गया है, सब कुछ पूरे देश ने देखा है कि किन लोगों ने उनकी पिटाई की है, बेहतर यही है कि वहां की सरकार जो सम्बन्धित थाना है, उस थाने के

[सुश्री मायावती]

अन्दर ईमानदार पुलिसकर्मी को बैठाए और वे लोग मामले को देखें। जल्दी से जल्दी इस मामले की फाइनल चार्जशीट लगनी चाहिए और चार्जशीट के बाद फिर यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुना जाना चाहिए। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुना जाना चाहिए। सीआईडी में जाने का मतलब है कि वह मामला लटका रहेगा। मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस मामले की सुनवाई समयबद्ध होनी चाहिए और इस कोर्ट में शेड्यूल्ड कास्ट का एक जज जरूर होना चाहिए। हालांकि एक ही जज होता है, लेकिन यदि सरकार चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकती है और इसमें दो जज हो सकते हैं, एक जज आप जनरल का ले लीजिए और एक शेड्यूल्ड कास्ट का ले लीजिए। इसमें एक के बजाए दो जज रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही यह सुनवाई वहां के हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, ऐसी हमारी पार्टी की मांग है, वरना असली दोषियों को जल्दी सजा नहीं मिल पाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके साथ यह केस भी ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, please conclude.

सुश्री मायावती: दो-तीन मिनट और दीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह केस भी हैदराबाद में हुए रोहित वेमुला कांड की तरह ही लटक कर रह जाएगा। मैं इसकी समयबद्ध सुनवाई के लिए क्यों कह रही हूँ, इस संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि सन् 1997 में महाराष्ट्र में बीजेपी व शिवसेना की मिली-जुली सरकार के दौरान मुम्बई की रमाबाई कॉलोनी में कुछ असामाजिक व दलित विरोधी तत्वों द्वारा, वहां जो बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी, उस प्रतिमा के ऊपर पर जूतों की माला पहनाई गई। इससे लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और लोगों ने एजिटेशन किया, जिससे वहां पर गोली चली। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि वहां मौके पर ही दलित वर्ग के दस लोग मार दिए गए। उस समय यूपी में मेरी सरकार थी। मैं वहां पर गई और मैंने उनकी आर्थिक मदद की। काफी लोगों ने इसमें एजिटेशन भी किया, लेकिन फिर भी जो दोषी लोग थे, उनको सज़ा दिलवाने में कई साल लग गए थे। यह महाराष्ट्र की घटना है।

इतना ही नहीं, सन् 2006 में, जब महाराष्ट्र स्टेट में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार चल रही थी, उस दौरान विदर्भ के भंडारा जिले के खैरलांजी गांव में एक ही परिवार के साथ असामाजिक व दलित विरोधी तत्वों द्वारा काफी शर्मनाक व अमानवीय उत्पीड़न की घटना हुई। एक बच्ची थी, महिला थी, पहले उसका रेप किया गया और फिर उसको मारा डाला गया, साथ ही दो और आदमियों को मारा गया। इसमें चार लोगों की निर्मम हत्या की गई। इसके बाद यह मामला कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा, तब जाकर जो दोषी लोग थे, उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। वे लोग अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं।

दलितों के मामले में मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहना है कि आप सभी दलों की कोई मीटिंग बुलवाइए और कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि जब देश के अंदर दलितों और शोषितों के ऊपर उत्पीड़न के गंभीर मामले होते हैं, तो उन मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जरिए होनी चाहिए, ताकि जो दोषी लोग हैं, वे जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

सुश्री मायावती: इससे जो आपराधिक तत्व हैं, उनकी जल्दी से हिम्मत न हो सकेगी कि वे उनको जुल्म और ज्यादाती का शिकार बनाएं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kumariji, please conclude.

सुश्री मायावती: मैं और ज्यादा इग्जाम्पल नहीं देना चाहती, हालांकि ऐसे और अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन मैं उनकी डिटेल् में नहीं जाना चाहती हूं। इसके साथ ही मैंने यह भी देखा है ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

सुश्री मायावती: एक मिनट और दीजिए। महोदय, जब केंद्र में कांग्रेस पॉवर में होती है और बीजेपी वाले विपक्ष में होते हैं, ऐसे में जब देश के किसी भी राज्य में दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है या कोई गंभीर घटना होती है, तो बीजेपी वाले उस मामले को उठाते हैं और उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। जब बीजेपी वाले सत्ता में होते हैं, कांग्रेस वाले विपक्ष में होते हैं, तो वे उसका राजनीतिकरण करते हैं। यह राजनीतिकरण करना बंद होना चाहिए। दलितों को राजनीतिक हथियार बनाने के बजाए, उनके ऊपर हर स्तर पर आए दिन जो जुल्म ज्यादाती हो रही है ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. That is okay.

सुश्री मायावती: मैं समझती हूं कि कांग्रेस को और बीजेपी को इसे गंभीरता से लेते हुए, इनको जुल्म और ज्यादाती से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, that is the point.

सुश्री मायावती: अगर इस मामले में कोई सरकार आगे आती है और पहल करती है, तो हमारी पार्टी और हम आपको पूरा सहयोग देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right.

सुश्री मायावती: पूरे देश के अंदर दलितों के ऊपर, हर स्तर पर जो जुल्म और ज्यादाती हो रही है, यह अति चिंता का विषय है। यह जुल्म और ज्यादाती कम होने के बजाए, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं समझती हूं कि सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ये जो लोग हैं, ये भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के मूल निवासी हैं। ये मेहनतकश लोग हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is the real point. Deal with all these rising above politics.

सुश्री मायावती: ये लोग किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। ये मेहनत मजदूरी करके अपना जीवनयापन कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर जुल्म-ज्यादती होती है, तो मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है। आप कोई रास्ता निकालिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोई रास्ता निकालिए, ताकि इनके ऊपर जुल्म-ज्यादती होने से रोका जा सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is well said. Deal with this rising above politics. Very correct. Now Shri Majeed Memon.

SHRI MAJEED MEMON (Maharashtra): Thank you, hon. Deputy Chairman, Sir, for...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): हमारे ख्याल से आप बाकी मेंबर्स को भी इसी तरह टाइम देंगे। ...*(व्यवधान)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I hope you are going to be generous to him as well. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you object to be generous to women? ...*(Interruptions)*... Jaya Bachchanji, do you object to be generous to the women?

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Not at all. Not at all. ...*(Interruptions)*...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: *

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I completely support, and I understand and I really feel bad for whatever atrocities are going on against *dalits*. But I am just saying it, Sir, because you stop me so many times. You always press the bell one minute before the time is over. ...*(Interruptions)*... So, I am just making an observation. I hope it is taken in the right spirit.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jayaji, honestly, I can tell you, I did not find anything irrelevant in what she has spoken to stop her. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, we are not debating that. ...*(Interruptions)*... We are not debating that. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whatever she said was relevant. So, I did not stop her. ...*(Interruptions)*...

श्री नीरज शेखर: सर, अगर वे नहीं उठाएंगी, तो कौन उठाएगा?*(व्यवधान)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: We are not debating that. हम उस बात पर तो डिबेट ही नहीं कर रहे हैं, सर। ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You know what we are discussing, and certainly the subject has also certain value.

श्रीमती जया बच्चन: सर, निर्भया कांड के वक्त जो आपने मुझे रोका था, उस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ...*(व्यवधान)*...

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPTY CHAIRMAN: You see, I don't remember these things.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: But I do because I felt the atrocity was on me at that time. I do. I will never forget that, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I don't know.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Yes, it is on record. You can see here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I don't know what do you mean and what you said. I don't know. Usually, I am trying to be fair to every Member, every Member, irrespective of whether he is ...(Interruptions)... I am trying. But one thing is also there. See, to err is human. Sometimes, even if you want to be perfect, the human nature is, you may commit some error. But my intentions are always correct, to be fair to everybody and I know now I was only fair to Kumari Mayawati, which she deserved. I did that. That's all. Now, Memonji, please.

SHRI MAJEED MEMON: Sir, let me begin with the remembrance to the Constitution of India under which we, all the Members, have taken oath before entering this House. The Constitution opens with 'we, the people', and that 'we, the people' phrase, I believe, and I firmly believe, includes 170 million *dalit* Indians. They cannot be distinguished or discriminated against as far as all the facilities of the country are concerned. Article 14 of the Constitution talks of equality before law but when two persons are placed before a court together, one *dalit* and second non-*dalit*, basically, they are not equals when they are before the court because they are socially unequal, they are economically unequal, they are educationally unequal and therefore, the whole spirit of equality before law gets wounded. So, it is the society which has to treat a *dalit* and a non-*dalit* equally – socially, economically and educationally -- which unfortunately is not happening.

Now, there are a number of other provisions with regard to protection, and a helping hand to be extended to *dalits* because, admittedly, they are left behind from mainstream. Dr. Babasaheb Ambedkar, way back, had said that we need to bring them up in the mainstream for which extra efforts are required to be taken. Under the Constitution, we find that we have National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have Appointment of a Commission to investigate the conditions of Scheduled Castes under Article 341. We have various provisions under the Constitution, and I am afraid that when today we are discussing atrocities on *dalits* and Scheduled Caste people, we are believed to be violating those Constitutional provisions. We are infringing upon the Constitution and I am afraid that some of us may even have an introspection to see that are we committing the breach of Oath that we have taken in this House and, more particularly, those who are in

[Shri Majeed Memon]

power. Now, I would say that as far as the present incident is concerned, caste-related violence has occurred and occurs in India in various forms. According to a report by Human Rights Watch, *dalits* continue to face discrimination, exclusion and acts of communal violence. Laws and policies adopted by the Indian Government provide a strong basis for protection, but are not being faithfully implemented by local authorities. For the last few days in Gujarat *dalit* community has been seething with anger over the public flogging of a group of *dalits* who were skinning a dead cow in Mota Samadhiyala, a village near Una town in the Saurashtra region on July 11. Four of them were brutally beaten with steel pipes and iron rods, stripped, tied to an SUV and paraded in the main market near the local police station in Una by members of the local cow vigilante group *Gau Raksha Samiti* (Cow Protection Committee). The flogging was filmed and posted on Facebook as warning to other *dalits* to show that if they repeat such acts, they would be treated like this. The video went viral, filling the community with anger and led to an eruption of protests across the State in which more than 20 attempted suicide, dozens of vehicles were torched or vandalized, highways were blocked and one policeman died of injuries sustained during stone-pelting. What transpired at Una was only the latest atrocity on the Scheduled Castes, which form around 7.5 per cent of the total population in the State of Gujarat.

Earlier, in July, a *dalit* farmer was killed by villagers when he tried to cultivate a common grazing land in a village near Porbandar. Only in April this year, a 31 year old *dalit*, Ketan Koradia, a Clerk in a local court in Ahmedabad, committed suicide alleging discrimination in the work place where he had constantly faced caste abuse.

According to leading social activist, Martin Macwan, whose organization *Navsarjan Trust* is the largest *dalit* body and which works in 3,000 villages in Gujarat, *dalits* face rampant discrimination at all levels in Gujarat. “Most of them (*dalits*) are not allowed entry into temples in villages. They have their own crematoriums because upper castes don’t allow *dalits* to be cremated in common crematoriums,” Mr. Macwan said.

In 2012, three *dalit* youth were killed in police firing in Thangarh town of Surendranagar district. The State Government, then headed by the Chief Minister, the present hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, had set up a three member-committee to inquire into the incident and submit a report. Till date, the Government has not made that report public. According to Mr. Macwan, atrocities against *dalits* in Gujarat are committed “with impunity”. However, there is one difference this time. “Social media has made the difference and, for the first time after 1985, Gujarat is witnessing such a strong protest by the *dalit* community in the State.”

According to the National Campaign for *Dalit* Human Rights, every year, 13,000-15,000 cases of atrocities against *dalits* and 3,000-3,500 cases of 'untouchability' are registered in India. Even after the abolition of the caste system, *dalits* or 'untouchables' continue to face caste discrimination.

Over one-sixth of India's population, about 170 million people, live a precarious existence, shunned by much of Indian society because of their rank as 'untouchables' or *dalits*, literally meaning 'broken' people, at the bottom of India's caste system. *Dalits* are discriminated against, denied access to land and basic resources, forced to work in degrading conditions and routinely abused at the hands of police and dominant caste groups that enjoy the State's protection.

Historically, the caste system has formed the social and economic framework for the life of the people of India. In its essential form, this caste system involves the division of people into a hierarchy of unequal social groups where basic rights and duties are assigned based on birth and are not subject to change. *Dalits* are outcast, falling outside the traditional four classes of Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. *Dalits* are typically considered low, impure and polluted based on their birth and traditional occupation. Thus, they face multiple forms of discrimination, violence and exclusion from rest of the society. *Dalit* women face the triple burden of caste, class, and gender. *Dalit* girls have been forced to become prostitutes for dominant-caste patrons and village priests. Sexual abuse and other forms of violence against women are used by landlords and the police to inflict political "lessons" and crush dissent within the community. Less than 1% of the perpetrators of crimes against *dalit* women are ever convicted.

The plight of India's "untouchables" elicits only sporadic attention within the country. Public outrage over large-scale incidents of violence or particularly egregious examples of discrimination fades quickly, and the state is under little pressure to undertake more meaningful reforms. Laws granting *dalits* special consideration for government jobs and education reach only a small percentage of those they are meant to benefit. Laws designed to ensure that *dalits* enjoy equal rights and protections have seldom been enforced. Instead, police refuse to register complaints about violations of the law and rarely prosecute those responsible for abuses that range from murder and rape to exploitative labour practices and forced displacement from *dalit* lands and homes. Laws and Government policies on land reforms and Budget allocations for the economic empowerment of the *dalit* community remain largely unimplemented. ...(*Time-bell rings*)...

Dalits who dare to challenge the social order have often been subject to abuses by their dominant-caste neighbours. ...(*Time-bell rings*)... *Dalit* villages are collectively

[Shri Majeed Memon]

penalized for individual "transgressions" through social boycotts, including loss of employment and access to water, grazing lands, and ration shops. For most *dalits* in rural India who earn less than a subsistence living as agricultural labourers, a social boycott may mean destitution and starvation. Baba Saheb Ambedkar brilliantly said long ago, which is so relevant even today, and I quote it: "My final words of advice to you are educate, agitate and organize; have faith in yourself. With justice on our side I do not see how we can lose our battle. The battle to me is a matter of joy. The battle is in the fullest sense spiritual. There is nothing material or social in it. For ours is a battle not for wealth or for power. It is a battle for freedom. It is the battle for reclamation of human personality. It is in the fullest sense spiritual." Thank you, very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Memonji, the Chair is expected not to encourage written speech. When a person like you can make an extempore speech, what is the need of reading a speech? This I am talking about everybody. ...*(Interruptions)*... Even those who can make a very good extempore speech, sometimes they also prefer reading. That is not actually expected. That is all I am saying. I am not casting any aspersion on anybody. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): It is fine, but it is to be observed for everybody. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, it is for everybody. What I said is, 'the Chair is expected not to encourage...' That means you can look at the paper, take the points and speak; but reading ditto is not expected. That is what I am saying. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Sir, sometimes you give shorter time. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can go through it, but ...*(Interruptions)*...

SHRI MAJEED MEMON: Sir, I would have spoken an extempore if you were gracious enough to grant me twenty minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Definitely, I would have given more time. Whenever somebody is reading, I am forced to ring the bell. If it is extempore speech, if it is a prepared speech, then I will naturally allow more time.

SHRI MAJEED MEMON: This was only substance of what I wanted to say.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree. I am not blaming anybody. I am not

blaming you also, but this is a guidance for every Member. As far as possible, come prepared and make your speech rather than reading a written speech.

SHRI JAVED ALI KHAN (Uttar Pradesh): Shri D. Raja always makes an extempore speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, that is why, he gets the privilege. All *rajas* are privileged people, and he is even more privileged. Therefore, I am calling Shri D. Raja now. Mr. Tulsi is not here.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, with a sense of sadness and shame, with a kind of anger and agony, I would like to participate in this debate. I have spoken on *dalit* question and the way forward on several occasions in this august House. Today, I really speak with shame and a kind of sadness. How long will we be discussing this question? What do *dalits* want? Do they want sympathy of others? No; not at all. Do they want empathy from others? Not at all. Do they want pity? Not at all. *Dalits* want that they must be treated as human beings. That is what *dalits* want. They should be treated as human beings. Sir, pity is degrading the human being. I am compelled to quote one famous Russian author, Maxim Gorky. He said, "Human being must be respected, not pitied. Pity is degrading the human being." So, *dalits* do not want pity. *Dalits* do not want sympathy. *Dalits* do not want any empathy from anybody. They want that they should be treated as human beings. That is what they want. Does the so-called grand ancient civilization of India treat them as human beings? That is the question we should pose.

Sir, the hon. Home Minister is present here. I am glad that he has been present here throughout the debate. He is in charge of internal security. But which is the most challenging task before the Home Ministry for securing the internal security? I must say that he must stop the lynching of *dalits* that is going on in the country. Look at the nature of crimes. Look at the nature of atrocities. As Tamil Nadu Chief Minister called, there was verbal whiplash against one of the topmost leaders of our country, Sushree Mayawati. And, look at the incidents that have taken place in different parts of the country. Sir, in Madhya Pradesh, the shadow of one *dalit* girl fell on a so-called non-*dalit* person. She was lynched. In Maharashtra, in Shirdi, one *dalit* boy was having a telephone which had Ambedkar ringtone. He was lynched. In Haryana, a *dalit* girl was gang-raped three years back and she migrated from her native place to another town. You all know which that town is - Rohtak. She gathered strength to overcome that trauma and she started going to the college. The same accused came out on bail and pressured her to withdraw the case. When she refused, again they subjected her to gang rape. What is happening in our country? I can go on narrating.

[Shri D. Raja]

5.00 P.M.

What is skinning of cows? The Government has not banned the leather industry. The Government has not ordered the closing down of tanneries in the country. But skinning of cow becomes a crime! What is happening in Gujarat? Sir, take the example of the Hyderabad Central University. That was also lynching of Rohith Vemula. He was forced to commit suicide because he was a *Dalit*. This is the issue, which the Home Minister should take note of.

Sir, in fact, I was hoping that at some point, the hon. Prime Minister will come to this House and listen to the debate. Sir, the Prime Minister went to the U.S. He went to the U.S. Congress. I am happy that the Indian Prime Minister went to the U.S. Congress and made a speech. What did he speak in the U.S. Congress? He said, "Constitution is the holy book for India". He took the name of Dr. Ambedkar; he took the name of Mahatma Gandhi. I felt happy when the Prime Minister took the name of Dr. Ambedkar, when the Prime Minister took the name of Mahatma Gandhi, and, said, "Constitution is the holy book for India". So, I say that for some time, the Prime Minister should have come here and listened to the anguish of the *Dalits* in this country. What is happening today? There are attempts to subvert the Constitution. There are attempts somehow to replace the Constitution of India with the ideals of *Manusmriti*. I am making this statement very consciously and I can refer to the books as to how it is happening. Sir, it is very shocking; it is very challenging, and it is a challenge to the very Constitution. We all take the name of Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar said, "Fraternity is another name for democracy." Democracy is the way of life. Do we understand the meaning of democracy? I am asking this august House. Dr. Ambedkar talked about 'fraternity'. That 'fraternity' can be guaranteed only when there is liberty, only when there is equality. Fraternity, Liberty, and Equality form a trinity, and they cannot be separated from one another. That is the understanding of Dr. Ambedkar. But what is happening today? It is a lofty declaration in the Constitution. We, the people, secured fraternity, liberty, equality, all these things but do the *Dalits* have the equality, do the *Dalits* have the liberty to enter into temples, do the *Dalits* have the liberty to walk on any street, even educated *Dalits*? Now, we keep talking about reservation and *Dalits* have emerged as a new section. A new section has emerged. Do they have dignity in social life? I am asking as to why there are modern forms of untouchability practised in India. I was not shocked when *Dalits*, the black people came on the streets challenging the American authorities. I am not surprised. It is happening in America. How long the *Dalits* can go through these sufferings, go through these hardships? I am asking today. Everyone should listen to his conscience and speak out. Why are our own citizens, our own fellow human beings subjected to such unimaginable crimes and atrocities? ...(*Time-bell rings*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI D. RAJA: Sir, let me quote something. Why do I want the Prime Minister to come and listen to this debate? In 2004, the Madhya Pradesh Government — you all know, which was the Party in power in 2004 — issued an Ordinance banning cow slaughter.

The Ordinance interestingly refers to *Manusmriti*, and I am quote, "*Manusmriti* ranks the slaughterer of cow as predator and prescribes hard punishment for him." *Manusmriti* has said it, so it has to be done. What happens to the Indian Constitution? The Prime Minister went to US Congress. I wish he should have gone to Columbia University where Dr. Ambedkar studied. In Columbia University, there is a bust of Ambedkar. Before that bust of Ambedkar, there are two books. I saw those books. One is the earlier edition of the Indian Constitution and the other book is 'Annihilation of Caste'. It is symbolic. It conveys a message. If this Constitution has to survive, if this Constitution has to be upheld, establishing equality ...(Time-bell rings)... is an imperative.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes; please conclude.

SHRI D. RAJA: Sir, finally, I will finish with one thing. There are Right Wing forces. They may be called fringe elements. But they are organized Right Wing forces in the country. They believe in *Manusmriti* and they want to take this country backward in history. This country can never be taken backward. This country will have to move forward. Sir, let me quote one thing, even you will like it. There are people in power, there are people very close to power, who are influenced by the Bunch of Thoughts of Mr. Golwalkar. I quote what Mr. Gowalkar has written in the Bunch of Thoughts. "The Hindu people, they said, is the *Virat Purusha*, the Almighty manifesting Himself. Though they did not use the word 'Hindu', it is clear from the following description of the Almighty in *Purusha Sukta* wherein it is stated that the sun and the moon are His eyes, the stars and the skies are created from his *nabhi* and *Brahmin* is the head, *Kshatriya* the hands, *Vaishya* the thighs and *Shudra* the feet. This supreme vision of Godhead is the very core of our concept of 'nation' and has permeated our thinking and given rise to various unique concepts of our cultural heritage." ...(Time-bell rings)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, now please conclude.

SHRI D. RAJA: Sir, this is the challenge we face today. We can argue for economic empowerment of *dalits*. There should be a Scheduled Caste sub-plan. There should be a Central legislation for them. We can go on demanding. Now there is NITI Aayog. ...(Time-bell rings)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, now conclude.

SHRI D. RAJA: I am concluding, Sir.

In the absence of Planning Commission, NITI Aayog is responsible for plans or not, I don't know.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why do you bring NITI Aayog here?

SHRI D. RAJA: So, Sir, that is one issue. *...(Time-bell rings)...* Economic empowerment, social empowerment and political empowerment of *dalits* are important, for which the Government will have to act. *...(Time-bell rings)...* This Government will act or not, the Home Minister should explain, the Prime Minister should explain. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rajaji, that is enough. You have spoken enough. *...(Interruptions)...*

SHRI D. RAJA: Those who commit these heinous crimes are close to them, they are close to power. *...(Time-bell rings)...* That is where I am questioning the Government. There is an Act, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, that is enough. You have spoken enough. *...(Interruptions)...*

SHRI D. RAJA: So, Sir, we can go on discussing these issues. Finally, as a nation, as Parliament, how are we acting on these issues? *...(Interruptions)...* Will the Government act or not, that is the issue.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: उपसभापति महोदय, अभी जो चर्चा हो रही है, वह बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ही सकारात्मक हो रही है। बहुत अच्छी तरह से सभी वक्ताओं ने दलितों के सरोकार से संबंधित बात रखी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लगभग सवा तीन घंटे हो गए हैं और अभी चर्चा चल रही है, इसलिए माननीय वक्ता समय सीमा का ध्यान रखकर आगे चर्चा करें क्योंकि इसके बाद एक बिल और होगा।

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल पास करिए, लेकिन इस तरह के बहुत कम मौके आते हैं। आप सबका इंटरेस्ट देखिए, उनकी रुचि देखिए, सब लोग बैठे हुए हैं। जिस वक्त सरकारी बिल होता है, उस वक्त एक-चौथाई सदस्य भी नहीं होते हैं। पार्लियामेंट की तरफ पूरा हिन्दुस्तान और पूरी दुनिया देखती है।

†قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): سر، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپ بل پاس کرئیے، لیکن اس طرح کے بہت کم موقع آتے ہیں۔ اپ سب کا انٹرسٹ دیکھیئے

† Transliteration in Urdu script.

ان کی روچی دیکھیئے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس وقت سرکاری بل ہوتا ہے، اس وقت ایک چوتھائی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی طرف پورا ہندستان اور پوری دنیا دیکھتی ہے۔

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। I agree with you, Sir.

श्री गुलाम नबी आजाद: जो देश में हो रहा है, हमारी नज़र में उसकी क्या भावना है। मेरी चेयर से रिक्वेस्ट होगी कि डेढ़ घंटा लगे, दो घंटे लगे, ढाई घंटे लगे, इस पर बहस करवाइए। ...*(व्यवधान)*...

†جناب غلام نبی آزاد: جو دیش میں ہو رہا ہے، ہماری نظر میں اس کی کیا بھاؤنا ہے میری چئر سے ریکویسٹ ہوگی کہ ڈیڑھ گھنٹا لگے، دو گھنٹے لگیں، ڈھائی گھنٹے لگے، اس پر بحث کروائیے۔۔۔*(مداخلت)*۔۔۔

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जनरली जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, वह दो-ढाई घंटे में खत्म होता है। ...*(व्यवधान)*... आप आराम से बोलिए, खूब आराम से बोलिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप रात 12.00 बजे तक बोलिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Usually for a Short Duration Discussion, we have two-and-a-half hours to three hours. Today, the subject is special, so I was also liberal to every Member. Only after I got a little bit of criticism, I started controlling and Mr. Raja was the target of that. He is the first one. I think we will be a little liberal. The Government wants its Business to be transacted. The House will do that also, if not today then tomorrow. ...*(Interruptions)*...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Today, Sir. ...*(Interruptions)*... This discussion will conclude today and then Shri Jairam Ramesh will make his maiden speech.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): This discussion is very important. It is very crucial. It is more important than the CAMPA Bill which the Government wants to push through. My request is, please allow everybody to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am doing that.

SHRI JAIRAM RAMESH: Don't get the Bill in a hurry. If the Bill has to come tomorrow, let it come tomorrow. ...*(Interruptions)*... Heavens are not going to fall...*(Interruptions)*... But if this discussion does not take place, heavens will fall.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree with you.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Jairamji, I know what you want.

† Transliteration in Urdu script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am liberal with regard to the Bill. However, try to be brief. We should also know to say what we want to say within the allotted time. That is also needed. पुनिया जी, आप बोलिए।

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मुझसे पहले हमारे सभी वरिष्ठ, योग्य साथियों ने अपने विचार रखे हैं। आज देश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं, अत्याचार की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। यह हम सब के लिए चिंता की बात है। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय, यह देखते हुए, जानते हुए कि देश की सामाजिक व्यवस्था किस तरह की है, उन्होंने आवश्यक प्रावधान किए। उसमें उन्होंने छुआछूत को बैन किया, गैर-बराबरी खत्म करने के लिए विशेष अवसर प्रदान किए और उसके बाद 1955 में Protection of Civil Rights Act आया, 1989 में SC/ST Prevention of Atrocities Act आया और अभी 2015 में जो पहली यूपीए सरकार के समय में ऑर्डिनेंस बना था, उसके आधार पर अमेंडमेंट करके बिल पास हुआ और उसके नियम बने। उससे बहुत अच्छा संदेश गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी उत्पीड़न की घटनाओं में, अत्याचार की घटनाओं में कोई कमी नहीं आयी, बल्कि उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रही है। जो आंकड़े हैं, उनसे पता चलता है कि 2012 में 33,655, 2013 में 39,408, 2014 में 47,064 और 2015 में 54,355 घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं को देखने से ऐसा लगता है कि हम जितना इलाज करते जाते हैं, मर्ज उसके हिसाब से बढ़ता जाता है। यह बहुत ही चिन्ता की बात है। देश में विभिन्न जगहों से उत्पीड़न की बहुत गंभीर, अत्यंत गंभीर घटनाएं प्रकाश में आयी हैं। हरियाणा में एक दलित बालिका के साथ तीन साल पहले बलात्कार की घटना हुई और वह मामला न्यायालय में लम्बित है। उस दौरान आरोपी उस बालिका पर दबाव बनाते रहे कि मामला वापस ले लिया जाए, समझौता कर लिया जाए। मना करने के बाद, उन्होंने फिर वही हरकत की और दोबारा उसके साथ बलात्कार हुआ। शर्म की बात यह है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन उस अपराधी को बचाने के लिए एविडेंस इकट्ठे कर रहा था। 11 तारीख को रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, बल्कि उससे अगले दिन रिपोर्ट दर्ज होती है। मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग में रिपोर्ट तैयार की थी। मुझे बताया गया कि कुछ ऐसे सुबूत दे रहे हैं कि वे दूसरी जगह पर मौजूद थे। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी देख लीजिए, कानून भी देख लीजिए। जो पीड़िता है, आपको उसके बयान के ऊपर कार्रवाई करनी है। उसके बाद अगर कुछ होता है, तो वे न्यायालय में अपने सुबूत देंगे, न्यायालय से उनको जो भी राहत मिले, वह मिलेगी, लेकिन यह हरकत की गई। जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा, तो तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाकी लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं।

महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक बड़ी वीभत्स घटना घटी है। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है। उसके दोनों हाथों को तोड़ा जाता है, पैरों को तोड़ा जाता है और उसके शरीर में जगह-जगह जख्म किए जाते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद बड़ी मुश्किल से अपराधियों को पकड़ा जाता है।

अभी ओडिशा का जिक्र कर रहे थे। मैं भी कंधमाल गया था। वहां पर पुलिस का कहना साफ नहीं है कि वे नक्सलाइट थे। उसका कहना है कि नक्सलाइट्स से हमारा क्रॉसफायर चल रहा था और क्रॉसफायर में ये लोग बीच में आ गए। ये निर्दोष लोग हैं, ये मारे गए, लेकिन इस तरह का

कोई एविडेंस नहीं है। न तो कोई नक्सलाइट मरा और न ही किसी सिक्योरिटी फोर्स के आदमी को चोट आई। वहां पर कोई क्रॉसफॉयर नहीं था। एकदम शुद्ध रूप से हत्या थी। हमने कहा कि उस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। तिकी जी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिलीप कुमार तिकी: मैं इस मामले में यह कहना चाहूंगा....

SHRI P. L. PUNIA : I am not yielding. मैं खुद वहां गया था। वहां पर दो दलित और तीन आदिवासी मारे गए और सात लोग इंजर्ड हैं। इनके साथ एक बच्चा भी इसमें मारा गया। ऐसे मामलों में शीघ्रता से पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई होनी चाहिए।

अभी गुजरात में भी एक घटना घटी है। वहां पर दलितों की किस तरह से निर्मम पिटाई की गई और किस तरह से कार्रवाई में विलम्ब हुआ? बताया गया कि रिपोर्ट दर्ज करते हुए, हमने पूरी कार्रवाई की है। पांच लोगों को गिरफ्तार किया और एक वीडियो भी उनके पास है। उस वीडियो में 30-35 लोग हैं और सब पहचाने जा रहे हैं। उन लोगों को किस वजह से बचाया जा रहा है, यह बात समझ में नहीं आती। पहले पांच लोग गिरफ्तार किए और अब 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी आधे और बचे हैं। वे भी अच्छी तरह से पहचाने जा रहे हैं। वे क्राउड नहीं हैं, वे पीटने वाले हैं। उसी वीडियो में पुलिस के लोग भी नजर आ रहे हैं। वे क्या कर रहे थे? क्या वे तमाशबीन थे? जिन batons से उनको मारा जा रहा है, वह police baton है। वे सादी वर्दी में पुलिस के लोग थे या पुलिस ने अपने batons दिए थे कि इनको मारो। तो इसमें पुलिस की शुद्ध रूप से मिली-भगत है, इसलिए उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

SC/ST (Prevention of Atrocities) Act में Section 4 है। यह इसी तरह के केसेज के लिए बना हुआ है कि अगर पुलिस अधिकारी या कोई और अधिकारी इनके अधिकारों की जान-बूझकर उपेक्षा करता है, तो उसके खिलाफ Section 4 में भी FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। किस बात का विलम्ब है? कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने गुजरात सरकार के बारे में कहा, उनको बधाई भी दी कि उन्होंने अपराध नियंत्रण करने में बहुत कदम उठाए हैं और उनसे अपराध गिरा है। मैंने पिछले सत्र में सवाल पूछा था कि पूरे हिन्दुस्तान में 2014 में कितने केसेज हुए और 2015 में कितने केसेज हुए? उन्होंने रिपोर्ट दी और स्टेट वाइज भी रिपोर्ट आई, Unstarred Question No. 403. यह प्रश्न 27 अप्रैल, 2016 को आया है। इस में आंकड़े दिए हैं, जिसके अनुसार गुजरात में 2014 में 1130 मामले और 2015 में 6655 मामले आए। मैं समझता हूं कि ये आंकड़े सही नहीं होंगे — या तो माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात बतायी है, वह सही है या यह सही है। अगर ये गलत है, तो उसका समाधान होना चाहिए था। इस तरह से आप सरकार या गुजरात मॉडल के बारे में जो भी बताएं, लेकिन ऊना में जो केस हुआ है, उसमें पुलिस की लापरवाही है, मिलीभगत है और उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। महोदय, मैं आंकड़ों पर कतई नहीं जाना चाहता। गुजरात से जो रिपोर्ट आ रही है, उसके अनुसार दलित समाज में बहुत गुस्सा है। वे लोग जहर खाकर आत्महत्या कर रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि जान देने की आवश्यकता नहीं है। समाज के एक होकर, इकट्ठे होकर लड़ने की आवश्यकता है। वहां के पूरे दलित समाज ने इकट्ठे होकर जो समर्थन दिया है, इसी की आवश्यकता थी। जब बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संगठित हो जाओ, तो उन्होंने संगठित होने का यह मतलब नहीं लगाया था कि आप मूर्खों की तरह से बैठे रहिए और पिटते रहिए। अगर आपके ऊपर हमला होता है, तो बचाव के लिए एक हो जाओ, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। बाबा साहेब ने यह कहा

[श्री पी. एल. पुनिया]

था और इसके लिए मैं वहां के संघर्षरत नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इसी तरह से ये लोग सब जगह पहले संगठित हो जाते, तो उनके ऊपर इतने अपराध नहीं होते।

दूसरी बात, यह बात कही गयी कि लोगों की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि सामाजिक व आर्थिक गैर-बराबरी हमारे लिए अभिशाप है। उसे मिटाना चाहिए। अगर वह खत्म नहीं होती है, तो पूरा संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। उसी के लिए अनेक योजनाएं बनीं। आजादी के बाद जितनी सरकारें आईं उन्होंने दलितों के empowerment के लिए कुछ-न-कुछ किया। उसमें चाहे पंचायतों में आरक्षण हो, विधान सभा व पार्लियामेंट में आरक्षण हो, शिक्षा के लिए आरक्षण हो या सेवाओं में आरक्षण हो, चाहे स्पेशल कम्पोनेंट प्लान हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो — ये सब हुआ है। मैं मानता हूं कि अब तक काफी परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत कुछ अभी होना बाकी है। अब तक होने के लिए भले ही और समय लगे, लेकिन हमारी मंशा सही होनी चाहिए और मैं कहना चाहूंगा कि पिछले साल सरकार ने जो बजट दिया, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में 20 हजार करोड़ रुपए कम कर दिए। Special Component Plan में जो Social Welfare Schemes हैं — शिक्षा है, हाउसिंग है, sanitation, drinking water, women and child development- ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनमें 66 हजार करोड़ की कटौती की। तो ये इनके कल्याण के लिए है या इन्हें पीछे ले जाने के लिए हैं?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, Puniaji, please. ...*(Interruptions)*...

श्री पी. एल. पुनिया: सर, आपको याद होगा प्रधान मंत्री जी ने बिहार में कहा कि मैं आरक्षण के लिए जी-जान लगा दूंगा। मैं कहता हूं कि जी-जान लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आरक्षण के लिए आपने क्या किया है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your Leader and Deputy Leader, both have also to speak. ...*(Interruptions)*...

श्री पी. एल. पुनिया: सर, मैं पूछना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Both of them have to speak. ...*(Interruptions)*...

श्री पी. एल. पुनिया: बैंकों में डिप्टी जनरल मैनेजर यानी लेवल 6 तक पदोन्नति में आरक्षण था, लेकिन भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाकर इस आरक्षण को खत्म करा दिया। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए बिल पास हुआ था, आज वह लैप्स हो गया है। सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं कहा जा रहा है कि वह क्या करना चाहती है? आप बिल लाएंगे कि नहीं लाएंगे?

महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर ने कहा था कि हम जिन लोगों की सदियों से गुलामी कर रहे थे, उन्हें 15 अगस्त, 1947 को आजादी मिल गयी है लेकिन हमें कब आजादी मिलेगी, हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे। यह प्रतीक्षा करके यदि आजादी के मायने वही होंगे और दलित उत्पीड़न का एक भी मामला हमारे सामने, इस देश के सामने नहीं आएगा, तभी मैं समझता हूं कि दलित उत्पीड़न खत्म होगा और बराबरी होगी। बाबा

साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी खत्म होने के बाद ही यह कार्य इस तरह से संभव होगा और दलित समाज का empowerment भी इसी के माध्यम से संभव होगा। उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात): माननीय उपसभापति महोदय, आज पूरे गृह में गुजरात के ऊना ...(व्यवधान)...

श्री दिलीप कुमार तिकी: उपसभापति जी ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mahant Shambhuprasadji. ...(Interruptions)...

श्री दिलीप कुमार तिकी: उपसभापति जी ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dilip Tirkey, you have spoken. You have clarified, that is enough. ...(Interruptions)... Okay; I will allow you after him.

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: सर, मैं गुजरात के ऊना में दलितों के प्रति हुए अत्याचार के संदर्भ में कहूंगा कि इस बात की पूरे गृह में चर्चा चल रही है। सभी सदस्य अपने-अपने विचार रख रहे हैं। यह बात देखने को मिल रही है कि यहां पर दलितों के प्रति सभी की संवेदनाएँ प्रकट हुई हैं। सर, मैं गुजरात से सांसद हूँ, इसलिए उस घटना के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहूंगा। जब 11 तारीख को यह घटना घटी, जिस घटना के प्रति यह पूरा सदन शर्मिन्दगी अनुभव करता है और हम इस जघन्य अपराध का कृत्य करने वाले सभी लोगों की कठोर व कड़ी निन्दा करते हैं, उस 11 तारीख को जब यह घटना घटी, तो उसके बाद तुरंत यहां कमेटी की बैठक थी। मैं दिल्ली में था, मुझे मैसेज मिला और मैं तुरंत 13 तारीख को सीधा यहां से वहां पहुंचा। जिस गांव में यह घटना घटित हुई थी, मैं उसी गांव में 14 तारीख को बड़े सवेरे पहुंच गया और मैंने देखा कि वहां दलितों की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। जैसा उनको पीटा गया था, उनको देखकर ऐसा लगा कि यह बहुत ही दुखद बात है। सर, आज यहां जो चर्चा हो रही है, मैं उसके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि इस घटना के घटते ही, जब 11 तारीख को यह हादसा हुआ, उसके बाद 14 तारीख को संसदीय सचिव राज्य सरकार, वहां पहुंच गए, मैं पहुंच गया, अन्य सांसद पहुंच गए और वहां के एम.एल.एज. भी पहुंच गए। वहां सभी लोग पहुंचे थे, अन्य एन.जी.ओज. भी पहुंचे थे और सभी दलों के लोगों ने वहां जाकर अपनी बातें रखीं, अपनी भावनाएँ प्रदर्शित कीं, जिससे भी जो कुछ हो सका, उसने वह किया।

सर, राज्य सरकार के हिसाब से, वहां जाने के बाद इस घटना को घटित करने वाले, इस कृत्य को करने वाले जो भी गुनहगार थे, उनकी एहितात की गई और धरपकड़ करके तुरंत हिरासत में ले लिया गया। उनकी एफ.आई.आर. तो तुरंत हो गई थी। उसके बाद राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पीड़ित परिवार के जो सात लोग थे, उन सातों व्यक्तियों के लिए, राज्य सरकार की ओर से चार-चार लाख रुपये के रूप में आर्थिक सहायता मंजूर की गई।

[उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) पीठासीन हुए]

इसके अंतर्गत, उसी दिन राज्य सरकार के माध्यम से, मेरे हाथों से एक-एक लाख रुपये का चैक दिया गया। आने वाले दिनों में दो-दो लाख रुपये भी मिलने वाले हैं, जो चार्जशीट जब

[महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया]

बनेगी, तब तुरंत मिलेंगे। इसके लिए हम खुद बहुत फास्ट निगरानी रख रहे हैं और बहुत ही स्पीड से उसका निर्णय लेने वाले हैं। हम वहां जल्द ही चार्जशीट रखने वाले हैं। राज्य सरकार के हिसाब से, इतना करने के बाद, जिस तरह से ये बातें सोशल मीडिया में वायरल हुईं और अन्य मीडिया में भी आईं, हमारी आदरणीय बहिन कुमारी मायावती जी ने 18 तारीख को यह विषय संसद में इस सदन के सामने रखा। जब यह विषय मीडिया में गया, तो पूरे देश का ध्यान आकर्षित हुआ। उसके बाद सभी लोगों ने अपनी-अपनी स्टेटमेंट्स देनी शुरू की। हालांकि हकीकत यह है कि इस घटना को घटे तो एक हफ्ता हो गया है, लेकिन मैं यहां पर यह बात दोहराना नहीं चाहता हूं कि गत समय में, कांग्रेस के काल में या फिर अन्य राजनैतिक दलों के काल में ऐसी कई घटनाएँ गुजरात में हुई हैं। मैं गुजरात से आया हूं, तो मैं खासकर गुजरात के संदर्भ में बात करूंगा। एक समय गुजरात में, रणमलपुरा में बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ था। एक समय चार-चार दलितों की निर्मम हत्याएँ की गई थीं। खम्भात तारापुर में चार-चार दलितों की हत्याएँ की गई थीं, उस समय कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कोई वहां गया भी नहीं था। आज तक वे सभी केसेज पेंडिंग हैं। उनमें कुछ-कुछ लोगों को न्याय मिला है, कुछ लोगों को उनमें सजा भी मिली है, मगर जो अटक करने वाले लोग थे, 80-80 की तादाद में लोग आए थे, उनमें से मुश्किल से 5-6 लोगों को सजा मिली है। मेरे पास एविडेंस है। उसके सामने आप देखें, हमें शर्मिंदगी है कि थानगढ़ में ये घटनाएँ घटी हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि ये जो घटनाएँ घटी हैं, हम उनके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जो भी शासन में होता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपना काम करे, मगर ये घटनाएँ क्यों घटती हैं? मैं दलित समाज से हूँ, मैं मानता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले हिन्दू शासकों का राज था, तब भी यह दलित समाज उनकी गुलामी कर रहा था, बाद में मुगल काल आया, उस समय भी उनके माथे पर यही मैला ढोने का काम आ गया। उसमें भी उनके साथ यही हुआ है। मेरे आदरणीय सांसद महोदय, देरेक ओब्राइन जी कह रहे थे कि जो दलित क्रिश्चियन बन गए हैं, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए। मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपको यह सही लगता है कि जो व्यक्ति मैला ढोता है, किसी मरे हुए पशु के शरीर पर से चमड़ा खोलने का काम करता है, वह काम कितना धिनौना या फिर कितनी गंदगी वाला होता है? जो यह काम करता है, उसी को मालूम पड़ता है कि इसमें कितनी तकलीफ होती है। इसका कारण यह सदियों से चली आ रही परंपरा है। यह दो समाजों के बीच का परंपरागत रिस्ता है। गुजरात में लोग मरे हुए पशु को खींच कर ले जाते हैं, वहां उसका चमड़ा खोलते हैं, उसका चमड़ा निकाल कर उसका उपयोग करते हैं और पशुओं के लिए, खेती के लिए जो औजार होते हैं, उसी से बनाते हैं। जिसका पशु मर जाता है, उसी को वह कृषि कार्य के लिए दे देता है और उसका मेहनताना उसको मिलता है। यह परंपरागत रूप से चली आ रही बात है। इसमें तकलीफ इस बात की है कि कुछ लोगों ने मिल कर दलितों के ऊपर इस नाम से अत्याचार किया कि ये जिंदा गायों को काट रहे हैं। सर, मैं इस सदन के माध्यम से शर्मिंदगी के साथ यह कहता हूँ कि यह जघन्य अपराध है। मरे हुए पशु का चमड़ा निकालना और उस चमड़े का सदुपयोग करना, कृषि के काम में उसको उपयोग में लाना, यह तो रचनात्मक कार्य है। उनके साथ ऐसा जघन्य अपराध करना निंदनीय कार्य है। मैंने कहा कि दो समाजों के बीच में ये घटनाएँ क्यों होती हैं? अगर मैं अपने गुजरात की बात करूं, तो गुजरात के दलितों की स्थिति भारत के दूसरे राज्य के दलितों के मुकाबले थोड़ी अलग तरह की है। गुजरात में एक हजार साल पहले मुक्ति का आंदोलन चला

था। वहां एक हजार साल पहले मुक्ति का आंदोलन चलाने वाला जो मुक्तिदाता था, उसका नाम महावीर मेघमाया था। उन्होंने एक हजार साल पहले उस राजा के साथ अपनी चर्चा रखी। अवंतीनाथ सिद्धराज जयसिंह, त्रिभुवन गंड सिद्धराज जयसिंह के नाम से पूरा भारतवर्ष अवगत है। उनके समय में यह घटना घटी। मैं इस सम्बन्ध में लंबी बात में नहीं पड़ना चाहता, मगर जब पूरे सदन में दलितों के संदर्भ में ये बातें चल रही हैं और अपनी भावनाएँ रखने का उनको समय दिया जा रहा है, तो मैं अपनी भावना यहां रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उस समय नरमेध यज्ञ किया गया, उसमें नर बलि देनी थी। उसमें किसी ने कहा कि कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति लाए, जो महात्यागी हो और वह आकर नरमेध यज्ञ के लिए अपना शरीर दान दे। तब गुजरात से मेघमाया नामक एक व्यक्ति आया, जो दलित समाज का था। वह मेरे दलित समाज से था। उसने राजा से मिल कर कहा कि मैं अपना शरीर दान देता हूँ और आप नरमेध यज्ञ करवाइए, मगर मेरी एक शर्त है। सर, उसने शर्त रखी। उस समय, एक हजार साल पहले उसने शर्त यह रखी थी कि मैं दो गांवों की दो हदों के बीच में रहता हूँ, गांव में मेरा कोई निवास नहीं है। मेरे गले में कुलड़ी है, पीछे झाड़ू है। मैं थूकता हूँ, तो मेरी कुलड़ी में थूकता हूँ। मेरे पैरों के निशान मिटाने के लिए मेरे पीछे झाड़ू लटका दिया है। गांव में मेरा निवास नहीं है। मैं इन्सान की तरह जीता भी नहीं हूँ, ये सब खत्म करो। हमारे पास हजार साल पहले का वह लेख मौजूद है, उस समय के राजा ने ताम्र-पत्र पर लिखवाया था। हमारे बारहटों के चौपड़ों की पुस्तकों और ग्रंथों में यह लिखित पड़ा है। उस समय उन्होंने इसको मान्यता दी थी।

दूसरा, उसने कहा कि मुझे तुलसी और पीपल की पूजा का अधिकार दो, तीसरा, उसने कहा कि मुझे गांव में निवास दो, तो पूर्व दिशा में दो, ताकि मैं सूर्य की उपासना कर सकूँ। चौथा, उसने कहा कि मुझे ब्राह्मण दो। खास तौर पर गुजरात और राजस्थान के हिस्सों में और मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है, जो गुजरात से सटा हुआ था, वहां दलितों में भी ब्राह्मण मिलते हैं, गर्गाचार्य गोत्र के ब्राह्मण। इस तरह उन्हें ब्राह्मण मिले। फिर उन्होंने कहा कि मेरे इतिहास को लिखने वाला एक इतिहासकार दो, तो गुजरात के दलितों को हजार साल पहले इतिहासकार दिया गया। फिर उसने कहा कि शिक्षा-दीक्षा के लिए मेरे लिए कोई साधू या गुरु दो, वह भी दिया गया। यह सब गुजरात में हजार साल से चला आ रहा है। गुजरात में ऐसा वातावरण नहीं था, वहां पर बहुत ही अच्छा वातावरण था। सभी लोग साथ में मिलजुल कर रहते थे। हमने एक हजार साल पहले गांव में प्रवेश ले लिया था।

देश को आज़ाद हुए आज इतने साल हो गए हैं, भारतीय संविधान बनने और भारतीय दंड संहिता लागू होने के इतने सालों के बावजूद भी, इस तरह की चर्चाएं होने के बावजूद, 70 साल बीत जाने के बाद भी गुजरात को छोड़कर ऐसे कितने ही राज्य होंगे, जिनके कई गांवों में आज भी दलितों को प्रवेश नहीं मिलता होगा। भारत में ऐसे गांव भरे पड़े हैं।

मैं यह विषय इसलिए रख रहा हूँ कि यहां सभी लोग कायदे कानून की, rules and orders की बात कर रहे हैं, मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि गुजरात में मेरे अनुभव में यह आया है कि अगर कहीं पर स्वीकृति लेनी है, दो समाजों के बीच में कोई टकराव पैदा हुआ है, उस टकराव को अगर दूर करना है, तो उसके लिए कोई रूल काम नहीं करेगा। अगर उसमें कोई कायदा या कानून लगाओगे तो वह नहीं दबेगा, लेकिन अगर व्यक्ति-व्यक्ति में आपस में दिल जुड़ जाएं, आत्मा से लगाव हो जाए, व्यक्ति को सात्विक और आत्मिक स्वीकृति मिल जाती है, तो वह

[महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया]

सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकता है, जैसा गुजरात में हुआ है।

कोई माने या न माने मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं घटती हैं, उनमें कहीं न कहीं आत्मिक एवं सात्विक स्वीकृति का अभाव दृष्टि में आता है। इन घटनाओं में यह नजर आता है कि घृणा कैसे होती है। आज दलितों के संदर्भ में कहीं कोई बात उठती है, जैसे अभी-अभी आदरणीय सदस्य तिकी जी कह रहे थे कि ओडिशा में चार-पांच लोगों की पुलिस फायरिंग में हत्याएं हुईं। वे अभी यह कह रहे थे कि इसको राजकीय टॉपिक न बनाया जाए, लेकिन इस विषय पर संसद में क्या हो रहा है? जो लोग ओडिशा में मरे थे, क्या वे दलित दलित नहीं थे और जिन्हें यहां पीटा गया, वे दलित हैं? वहां मरने वाले लोग क्या दलित नहीं थे? यहीं भावनाओं का सवाल पैदा होता है। जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, उसको लागू करवाने के लिए लोगों के हृदय में कितनी सच्ची भावनाएं हैं, यह सबसे महत्तम जिम्मेदारी की बात है। उसको देखते हुए गुजरात की तत्कालीन सरकार ने जो काम किया है, वह देखने वाला है। यह घटना 11 तारीख की है और आज 21 तारीख है, अभी 10 दिन हुए हैं और 10 दिन में भारतीय जनता पार्टी का, जिस पार्टी का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जिसने उस गांव में जाकर उन लोगों से मुलाकात न की हो। सबने वहां रुबरु जाकर ब्यौरा किया है और दलितों के साथ में बैठकर आत्मिक एवं सात्विक व्यवहार करके उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। मुख्य मंत्री जी तुरंत वहां पहुंचे और ब्यौरा करने के बाद उनको जांच का आदेश दिया, हाई कोर्ट के परामर्श में रह कर, अलग से एक डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाने का आदेश दिया। इसके लिए स्पेशल प्रॉसिक्यूटर मुहैया करवाया। उन्होंने एक बात रखी कि सात दिन में हम चार्जशीट करवाएंगे, बल्कि यह उससे पहले हो जाएगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। जितने भी पीड़ित लोग थे, उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया। उनका जो रोजगार का काम था, वह रोजगार टूट चुका है। जिस गांव में वे गए थे, मैंने खुद देखा है, वहां दलितों की दशा बहुत दयनीय है। अगर उनके झोंपड़ों को कोई जाकर देखेगा, तो उस आदमी को भी ऐसा लगेगा कि एक ठीक आदमी अपने पशु को भी ऐसे झोंपड़े में नहीं रख सकता। जब उनका काम अटक गया, उनकी रोजी-रोटी खलास हो गई और जब यह विषय माननीया मुख्य मंत्री जी के ध्यान में आया तो उन्होंने निर्णय लिया कि जितने दिन वे हॉस्पिटलाइज रहते हैं उतने दिनों तक प्रति दिन का उनको मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे ही बहुत से निर्णय उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड से लिए हैं।

महोदय, मैं पहले यह कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं घटी हैं, उसमें सभी को जिम्मेदारी से अपनी अंतरात्मा से विचार करना चाहिए कि क्या हम इसे राजनीति का विषय बनाना चाहते हैं, क्या ऐसे ही दलितों के खून ऐसे ही होते जाएंगे और इसको लेकर हम राजनीति करते रहेंगे? मैं इस सदन से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि दलितों के अधिकार के विषय में हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हमारी भावनाएं शुद्ध एवं सात्विक होनी चाहिए और हमारे हृदय में यह भाव होना चाहिए कि हम सामाजिक न्याय का हिस्सा बनकर सभी दलितों के लिए विचार करें। जिस तरीके से हम सभी राज्यों से आते हैं, हम दलितों के लिए अच्छा काम करें, अच्छी भावना रखें और पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए क्रांति की बात लेकर जाएं। यही मुझे कहना है।

महोदय, आपने आज मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ और इस सदन के माध्यम से सभी सदस्यों, जिन्होंने इस पर अपने विचार रखने का काम किया है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।

श्री दिलीप कुमार तिकी: सर, हमारे कांग्रेस से एक स्पीकर ने कहा कि बार-बार कहा जा रहा है कि उड़ीसा में जो कंधमाल में घटना हुई है, उसमें हत्या की गई है। कहीं भी हत्या नहीं हुई है। जो घटना हुई, वह दुखदायी घटना है, यह हम जरूर मानते हैं, लेकिन वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे, सब आदिवासी ही थे, तो ऐसी घटना में आदिवासी को जानबूझ कर कभी नहीं मारा जाएगा। मैं यह ऑलरेडी कह चुका हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं, एसआईटी बनी हुई है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी उचित होगा, वे निर्णय लेंगे।

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Thank you, Sir. At the very outset, let me thank the hon. Chairman for allowing me to participate in this discussion on a subject of greatest contemporary relevance today. On July 11th, four men, said to be tannery workers by police, were stripped, flogged with iron rods and paraded by cow *rakshaks* or self-styled cow protectors in Una in Gujarat. The cow vigilante then put up the video online as a warning. The protest against this incident across Gujarat has snowballed, one police man was killed in stone throwing and twelve *dalit* men have attempted to commit suicide over the past one week, and several buses have been burnt.

Sir, this Una incident in Gujarat is the most despicable and horrific incident, and it is a national shame, and we need the strongest possible, the most stringent action against this incident, and that too, on a fast track. I do not want to see this incident from a political point of view. To my mind, this incident is symptomatic of a deeper malady that has plagued our country for a very long time. What is the broad picture of *dalit* atrocities in our country? The National Crime Records Bureau, NCRB, that data is available only up to the year 2014. The number of crimes against Scheduled Castes in the year 2014, as reported by NCRB, were 47064, and the hon. Member, Shri Punia, has now indicated that in the year 2015, the number had increased to 54,355. What is interesting and important to see is the distribution of these crimes against Scheduled Castes across various States in our country, and for that, the best indicator is the rate of crime, that is, the number of crimes committed against Scheduled Castes per one lakh population. If you look at the State-wise distribution, you will see that this malady is across the entire country. In fact, in the year 2014, the top three States, where the rate of crime against the Scheduled Castes was the highest, happened to be Uttar Pradesh, Rajasthan and Bihar. Gujarat, on which so much attention has been paid now, actually has much lower rate of crimes against the Scheduled Castes, *i.e.*, 2.4 per cent whereas Uttar Pradesh, Rajasthan and Bihar are all in the range of 17 to 18 per cent. What are the basic reasons for these

[Dr. Narendra Jadhav]

atrocities taking place? To my mind, Sir, there are three major reasons why atrocities on *Dalits* take place. The most important one is this. The dominant castes in our country tend to re-inforce the hierarchical caste-based power structure and suppress *Dalit* rights assertions. Dr. Babasaheb Ambedkar, way back in 1936, had described that the Indian society is based on the caste system. His words were, “The caste system in India is a form of graded inequality with ascending order of reverence but a descending order of contempt.” This indicates the mindset that is behind all these atrocities. Now, *Dalits* have been asserting for their Fundamental Rights which are given to them by the Indian Constitution and this is what is being resisted by the so-called upper caste and that has been leading to atrocities.

The second reason as to why the atrocities are taking place in our country is that the access to justice for Scheduled Castes is abysmally low. If you look at the general conviction rate in our country under the Indian Penal Code, it is 45 per cent, whereas the conviction rate for the crimes committed against Scheduled Castes is very low. The national average is 22.4 per cent. If you see the distribution of the conviction rate across States, what we find is that the minimum conviction rate — minimum is very bad — happens to be in Bihar and also happens to be in Gujarat. In Gujarat, the conviction rate is only 2.9 per cent which means that it is way below the average and conviction is not taking place in Gujarat for a very long time.

The third reason for these atrocities is the severe lack of empathy on the part of the administrators, police and other authorities that tend to carry their biases and this is also a big mindset problem.

Sir, under the circumstances, what needs to be done? If you look at the radical level, the recommendation was made way back in 1936 by Dr. Babasaheb Ambedkar. He said in his famous speech that was printed as a book called - ‘Annihilation of Caste’, “The only way to annihilate caste in our country is to put explosives to Dharma Shastras”. Now, that is at a radical level. One doesn’t want to go that far but within the Constitutional framework, to my mind, Sir, there are four action points that I want to say.

The first one is the enforcement of the law, particularly, the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act which was amended and passed by Lok Sabha and Rajya Sabha in 2015. That is very important. The second one is the promotion of inter-caste marriages. Even today the honour killings take place which is a matter of shame. The third one is possibly thinking about in terms of promoting non-usage of the surnames because they identify you by the caste and the fourth one is proper implementation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Sub-Plan. As you are aware, there was a reference made here that the share of the population of the Scheduled Castes in the overall population is about 16.8 per cent and long time back, under the leadership of Mrs. Indira Gandhi, there was this policy of Scheduled Caste Sub-Plan (SCSP) that was introduced and it says that the allocations should be earmarked, the funds should be earmarked to the Scheduled Castes for their welfare in proportion of their share in the population. This was long time back in 1979. It was pointed out today that in Gujarat, and in the last couple of years, the proportion of allocation for Scheduled Caste Sub-Plan has come down, which is a fact. However, I hasten to add that this is not what has happened now. Over the years, the proportion of the amount of money earmarked for Scheduled Caste Sub-Plan has never crossed nine per cent. This has happened in the earlier regimes also; and today also it is declining, which is a matter of grave concern. I want to emphasize, Sir, that the track record for all Central Governments in terms of implementation of Scheduled Caste Sub-Plan has been uniformly bad; adequate allocation is not made; and then there is a massive diversion that takes place. So, in that case, there needs to be an immediate correction in terms of implementation of the Scheduled Caste Sub-Plan adequately and effectively, and, at the same time, there is need for taking the most stringent action against the perpetrators of the heinous crime that took place in Una, Gujarat. Thank you.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I would like to start with the quote of Babasaheb Ambedkar. He said, "I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity." Today, we are in a position, throughout the world, where religions are far moving away from teaching us liberty, equality and fraternity.

Sir, yesterday, what happened here was deplorable and it was condemned by everybody. The Leader of the House condemned it. Bahenji was insulted. Our leader, Dr. Kalaighar, today, has condemned what has happened. He has said that she has followed the path of Babasaheb Ambedkar and Kanshi Ramji and that is why they have actually targeted her and insulted her. Actually, it is something she should be proud of. If she has been targeted because she is following the footsteps of Babasaheb Ambedkar and Kanshi Ramji and people are trying to threaten her — because she is working for the upliftment of people who have been suppressed for centuries — she should be proud of it, and we are standing one with her to continue her great work. This thing of insulting women, their character assassination, has been used as a weapon against women in public life, and this has to stop.

Sir, we have been talking about what happened in Gujarat. The youth were insulted, flogged and beaten up. This did not happen just for a few minutes. It happened for hours together. The youth were actually dragged on the street. There were so many people standing there as mute spectators, watching it, egging the people

[Shrimati Kanimozhi]

on. Where were the authorities; where was the police? They were the people who had to keep the law. They had to take action on these people, who were insulting these *Dalits*. They were nowhere. For hours together, this happened. But why is it that nobody called the police authorities? Why didn't the police come? I would like to ask: Who are these self-proclaimed cow protectors? Everybody who spoke here asked whether it was a crime. It was not a crime actually to remove the carcass and remove the skin. Even if it was a crime, even just looking at a cow was a crime, even touching it was a crime, who are these self-proclaimed protectors to take law into their hands? Why aren't we banning organisations like this? We banned books; we banned writers from writing. So many writers have even given up writing. In Tamil Nadu, it happened. There is a writer who said, "I will not write anymore, I am dead." But why are we not saying anything against organisations like this, which take law into their hands?

Sir, I would like to quote an incident here. A lot of Members here spoke about converts. When a *dalit* converts to Christianity or Islam, the society does not change. The society still looks at him as a *dalit*. It does not say, "Okay, you have got converted, now I treat you equally." It does not solve anything. That is why, our leader, Dr. Kalaignar, time and again has written and insisted that the *dalits*, who convert, have also to be given reservations and protected. An incident will make you understand. In Tirunelveli, a sixty year-old *dalit* woman was raped. The police, instead of filing an FIR, were keener on saying that she was not a *dalit* because they wanted to avoid a few Sections. That was the intention. In enforcing the law, they were not interested in finding out what had happened.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu): That is not done intentionally, but that is the law. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: One minute, please. Let me finish, Sir. I am not talking about you but I am talking about what had happened. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please be seated. When your turn comes, you may speak.

SHRIMATI KANIMOZHI: They were more interested in saying that she was not a *dalit*. After the Collector over there intervened, it was finally found out that she was a Hindu *dalit* woman. This is how the law has been used against *dalits*. The society has not changed. If *dalits* are educated, if they have gone up in status, is the world looking at them differently? No; there is the case of Rohit Vemula.

Sir, according to NCRB, in 2014, out of 1,27,341 cases which went for trials

for atrocities against *dalits*, only 5,103 were convicted. Out of 1,27,000, only 5,000 were convicted! Sir, the *dalits* are economically depressed. They depend on upper caste Hindus for their survival, for their livelihood. This has to change. We can't talk of growth which is not inclusive. Has development reached them? Has development been inclusive of the *dalits* in this country? No.

Sir, we are talking about reservation. We say that in many institutions the seats allotted to the *dalits* are not filled. There is a school headmaster in a State who says, "For forty-two years, we have made sure that no *dalit* student entered our school." It is in India, a headmaster proudly says, "For forty-two years, we have made sure that no *dalit* student entered our school." How do these students get a chance for education? How do they enter colleges? How do they get justice?

In Anganwadis, there are different plates for *dalit* children.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, please allow me. In Anganwadis, where the children go, there are different plates for the *dalit* students and upper caste Hindus. How can a child ever forget this scar for his entire life? How will a child who is bearing this burden ever be considered equal in the society? How can they ever forgive us?

Sir, in Tamil Nadu schools, children come with different coloured threads in their hands.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, that has not happened. ...(*Interruptions*)... That is the whole problem.

SHRIMATI KANIMOZHI: One minute, Sir. This is not against the State Government. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please sit down. (*Interruptions*) She is not yielding, please sit down. ...(*Interruptions*)... Mrs. Kanimozhi, please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I am talking about my State. I have every right to talk about it.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: It is not 'your' State, but 'our' State. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): What is this, Sir?

SHRIMATI KANIMOZHI: I am not talking about the State Government. ...(*Interruptions*)...

6.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): You will get a chance when your turn comes. You may please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, they have not heard what she said.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: They can't understand what she is saying. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI KANIMOZHI: I can explain if you don't understand. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please address the Chair and conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: This has nothing to do with the Government. It is an individual who makes decisions. Why are they getting up?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): If you have to make your point, please address the Chair.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, there are students who come with different coloured bands to indicate which community they belong. ...(*Interruptions*)... I am talking about the society, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: What is this, Sir? It is not true. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: She is talking about the condition which is prevailing there. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please sit down. ...(*Interruptions*)... Shrimati Kanimozhi, please conclude in one sentence.

SHRIMATI KANIMOZHI: No, no; Sir, the Chairman of the National Commission for SC/ST community spoke just now. He was there when this incident happened in Tamil Nadu and he has commented upon it. It was very unfortunate that a hundred-year old man was not given a decent burial. He was there. It happened in Nagapattinam district. Sir, this person from Mayiladuthurai was a man who was hundred years old. He died in 2016 and his grandson moved the High Court because he knew that they would not be allowed to go to the burial ground through the common pathway. The grandson knew that... ...(*Interruptions*)... I am not saying that it is happening in Tamil Nadu alone. It is happening in many places. It is happening everywhere. There is discrimination even in cremation grounds. You can't be buried, you can't be burnt without discrimination. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude.
...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: They interrupted me, Sir. Why did you let them interrupt me?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): All of you sit down. I am not allowing anybody to speak. I am asking Shrimati Kanimozhi to complete in one sentence.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, let me finish. They were interrupting and I was not allowed to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): You address the Chair.

SHRIMATI KANIMOZHI: Yes, Sir. I am not talking to them. I am addressing you and talking to you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Yes.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: She is taking more time.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I have been interrupted so many times. Sir, he moved the High Court and got a favourable order that there is no legal bar to use the common pathway and to undertake the funeral procession. But what happened? They were not allowed to use the common pathway.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, इनका समय बढ़ा दिया जाए।

اُقائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): سر، ان کا وقت بڑھا دیا جائے
---(مداخلت)---

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ठीक है, हो जाएगा। सदन की सहमति से समय बढ़ा दिया जाए, धन्यवाद। Please continue.

SHRIMATI KANIMOZHI: The Government officials, after that, invited the *dalits* and the caste Hindus and held talks. However, the caste Hindus refused to accept the HC order and reiterated that they would not allow the *dalits* to carry the dead body through the common pathway. The officials, instead of implementing the High Court order, took the stance to appease the caste Hindus by creating a new pathway. The High Court has given an order that the officials...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: They have to maintain the law and order. So the... ...(Interruptions)...

† Transliteration in Urdu script.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): She is concluding now.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: What she is saying is not correct. It has nothing to do with the Government. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Finally the *dalits* were not allowed to take the body through the common pathway and the Police carried it to the cremation ground. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: I must appreciate here that we referred to the States of BJP. Nobody reacted. There were States referred to where the Congress is ruling. Nobody reacted because nobody can give guarantee about their people, about who is doing what. So, I don't know. She is saying something that is happening in Tamil Nadu. In Kashmir, something is happening. In Rajasthan, Madhya Pradesh, something is happening or, in Karnataka, something is happening. These things are not happening in one particular State or where a particular Party is ruling a particular State. These things are happening, unfortunately, from Kashmir to Kanyakumari ruled by all the parties. So, I don't think we should be so sensitive when a person from their State speaks. That is my submission. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, it is happening there. They cannot comment like this. She is representing Tamil Nadu. She is speaking about her State only. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): You have made your point. ...*(Interruptions)*... Now, I am asking the Minister to intervene ...*(Interruptions)*... Please, sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, such things are happening...*(Interruptions)*...it is an incapable Government ...*(Interruptions)*... If you intervene like this, we will say that ...*(Interruptions)*... A Member has to address only the Chair. ...*(Interruptions)*...They are interrupting ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please, sit down...*(Interruptions)*...I am asking everybody to sit down ...*(Interruptions)*... Mrs. Kanimozhi, please, sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I cannot sit...*(Interruptions)*...You have to let me complete my speech...*(Interruptions)*...I cannot sit...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): I am not allowing anybody...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Let the hon. Member speak, for God's sake. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, she cannot say like that to a popularly elected Government ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Yes. I am asking everybody to sit down. ...(Interruptions)... I am not allowing anybody. Mrs. Kanimozhi, I am asking you to conclude ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I just want to bring to the notice of this House how insensitive the officials can be and how insensitive law enforcement authorities can be. Somebody also mentioned it here that unless we sensitize the authorities, judiciary, police force, politicians, society, the caste system and untouchability can never be eradicated.

I would like to conclude my speech with another quote of Dr. Babasaheb Ambedkar. He said, 'Despotism does not cease to be despotism because it is elective. Nor does despotism become agreeable because despots belong to our own kindred.'

Thank you.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, गंभीर चर्चा हो रही है। सबने एकमत से, दलितों पर जो उत्पीड़न होता है, उसके प्रति चिंता व्यक्त की है और उसे रोकने के लिए अनेक सुझाव भी दिए हैं। इसका पूर्ण जवाब तो आदरणीय गृह मंत्री जी देंगे, लेकिन चूंकि मेरे विभाग की भी कुछ भूमिका इन वर्गों के हित संरक्षण की है, इसलिए मैं कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहूंगा। आज हमें भारत के संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर जी का एक कथन याद आता है। संविधान बनाकर जब सरकार को सौंपने की कार्यवाही हो रही थी, उस वक्त उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर अमल करने वालों की नीति और नीयत ठीक होती है तो इस पर अमल होता है और जो संवैधानिक प्रावधान है, उस पर अमल होता है। जब अमल होता है तो जिन उद्देश्यों से संविधान बना है, उनकी पूर्ति भी होती है। आज हमारे सामने यह एक विचारणीय प्रश्न खड़ा हुआ है। 70 साल की आज़ादी में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक आदि सभी प्रकार की विषमताओं को दूर करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, फिर भी आज देश में लोगों की मानसिकता, उनकी मनःस्थिति संविधान के अनुरूप क्यों नहीं बनी? हर सरकार ने किसी न किसी प्रकार से अनेक प्रकार के उपाय किए, परन्तु आज भी हमें दलितों पर उत्पीड़न की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम अगर बारीकी से इसका अध्ययन करें और निष्कर्ष निकालें तो ऐसा लगता है कि हम भाषण तो देते हैं, हम एक-दूसरे को सुनते भी हैं, लेकिन जब आचरण करना होता है तब आचरण करते समय या तो स्वयं का फायदा देखते हैं या हम जिस राजनैतिक दल के लोग हैं, उस राजनैतिक दल का फायदा देखते हैं। अभी हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे यह भी परिलक्षित होता है। गुजरात की घटना पर हम बात कर रहे हैं, वह दुखद है, निदनीय घटना हुई है, नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में बहुत सारी चर्चा हो गयी। वहां की सरकार ने त्वरित कार्यवाही की है, कठोर कार्यवाही करने का काम किया है। आईपीसी की धारा 307, 323, 324 आदि अनेक धाराएं लगी

[श्री थावर चन्द गहलोत]

हैं। इसके साथ ही साथ पीड़ित परिवार के लोग दलित वर्ग से हैं, इसलिए Atrocities Act भी लगा है। इस Atrocities Act में यह व्यवस्था है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, अगर उनको आवश्यकता होगी, तो स्पेशल कोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी, आवश्यकता होगी तो सरकारी वकील के अतिरिक्त भी वकील की मदद दी जाएगी। वहां की सरकार ने आर्थिक सहायता भी देने की बात कही है। मैंने भी गुजरात सरकार से सम्पर्क करके उसके साथ चर्चा की थी। हमने 2014-15 से लेकर अभी तक दो कानूनों पर सक्रियता से अमल करने की कोशिश की है। पहला अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसका उल्लेख आदरणीय येचुरी साहब ने भी किया था और अन्य माननीय सदस्यों ने भी किया था। उन्होंने कहा कि आर्डिनंस जारी किया था, परन्तु आर्डिनंस को लेप्स होने दिया गया था। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार बनी और वह जानकारी सामने आयी, आर्डिनंस लेप्स हो उसके पहले ही संसद के सदन में वह बिल पेश हो गया था। किसी कारण से वह बिल पास नहीं हो सका और आर्डिनंस की अवधि समाप्त हो गयी थी। वह बिल 2015 में पास हो गया, 1 जनवरी, 2016 से उसका गजट नोटिफिकेशन हो गया, वह 26 जनवरी से लागू हो गया और उसके बाद उससे संबंधित जो नियम बनते हैं, वे नियम भी बन गए और 14 अप्रैल, 2016 अम्बेडकर जयंती से वह नियम सहित लागू हो गया। हमने इस Atrocities Act में जो प्रावधान किया है, उसकी परिभाषा में मुख्य रूप से परिवर्तन करने का काम किया है। पहले बहुत सारे अपराध उस परिधि में नहीं आते थे, इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ, दलित वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होती थीं और उत्पीड़न करने वाले कानूनी दायरे में नहीं आते थे, जैसे किसी की मूंछ मूंड़ दी, किसी का सिर मूंड़ दिया, मुंह काला कर दिया, जूतों का हार पहना दिया, निर्वस्त्र करके गांव-गली में घुमाया, वोट डालने से रोकने का काम किया, अपने खेत-खलिहान में जाने से रोकने का काम किया, चुनाव लड़ने से रोकने का काम किया, इस प्रकार के अनेक अपराध ऐसे थे जो उस Atrocities Act के दायरे में नहीं आते थे, हमने उसमें संशोधन किया और यह इस उद्देश्य से किया कि इनके साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, उनमें कुछ न कुछ इनको राहत मिले, न्याय मिले। अब कानून तो है, आईपीसी की धाराएं तो हैं, Atrocities Act भी है। उसके बाद भी घटनाएं घटित हो रही हैं, यह दुख की बात है। हमने उसमें यह भी प्रावधान किया है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसके लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उनका मैंने उल्लेख किया है। उनको आर्थिक मदद देने की जो व्यवस्था है, वह पहले 75,000 रुपये से लेकर 7,50,000 रुपये तक की व्यवस्था थी, अब हमने 85,000 रुपये से लेकर 8,15,000 रुपये तक की धनराशि देने की व्यवस्था करने का प्रावधान किया है। मैंने गुजरात सरकार से सम्पर्क किया है और उससे कहा है कि अगर आप आवश्यक समझें, तो हम भी उसमें आर्थिक सहयोग देने का काम करेंगे। हालांकि राज्य सरकार जो आर्थिक सहयोग देती है, वह प्रस्ताव भेजकर हमसे धनराशि मांगती है और हम वह धनराशि देते भी हैं। हमने एक कठोर कानून बनाने का इसीलिए प्रयास किया है जिससे कि उत्पीड़न की घटनाएं कम से कम हों। अगर इसके बावजूद भी उत्पीड़न की घटना हो जाए, तो अपराधी को कठोर दंड मिले और पीड़ित परिवार को न्याय भी मिले। पहले 10 साल से अधिक की सजा का प्रावधान आईपीसी की धाराओं में होता था, उसी पर यह Atrocities Act लगता था — अर्थात् आईपीसी की धाराओं में 10 साल से कम की सजा का अपराध Atrocities Act की धाराओं के अंतर्गत नहीं आता था। श्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने यह कठोर कानून बनाकर दलित वर्ग के लोगों को न्याय

दिलाने का प्रयास किया है। गुजरात की घटना को सभी कह रहे हैं कि यह दुखद है, मैं उससे आगे बढ़कर कहता हूँ कि यह निंदनीय घटना थी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। परन्तु घटना घटने के बाद तुरंत कार्रवाई हुई। उसके बाद भी इस घटना को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई। इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज का विषय हाल ही में घटित घटना पर आधारित है। कणार्टक में एक दलित वर्ग की डिप्टी एसपी ने वहां के गृह मंत्री के द्वारा प्रताड़ित करने के कारण आत्महत्या की। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा। कार्रवाई ठीक से होनी चाहिए, वह नहीं हुई। अभी जो लोग गुजरात जाने की बात कर रहे हैं, ...(व्यवधान)....

श्री मधुसूदन मिश्री: रेजिगनेशन दिया है।

श्री थावर चन्द गहलोत: वह बाद में हुआ।(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश: पिता जी ने कुछ और कहा है।

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, मैं अभी तक सदन की सब बातें आराम से सुन रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): बीच में देखकर नहीं बोलना। आप सीधे बात करिए। बीच में देखकर मत बोलिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: वह कदम बहुत बाद में उठाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई और केस पर भी ठीक से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार है, परन्तु अन्य राजनीतिक दलों के विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग तो वहां ऐसे नहीं गए। इसके बाद आगरा में घटना हुई थी। आगरा में एक दलित वर्ग के व्यक्ति को चौराहे पर मार-मार कर हत्या कर दी। हम तो वहां वातावरण खराब करने के लिए नहीं गए। इसके साथ ही साथ केरल में एक युवा महिला दिशामाल के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के साथ उसकी क्रूर हत्या हुई। उसके बदन पर चाकुओं के 38 वार थे। वह छलनी हो गई थी। हमने तो राजनीतिकरण करने की कोई कोशिश नहीं की। कांग्रेस की सरकार थी। ...(व्यवधान)... मैं वही बता रहा हूँ। हमने वहां माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की, हम वहां नहीं गए। इस सदन में उस पर चर्चा हुई और सब माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की और आसंदी से उपसभापति महोदय ने मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होने के नाते निर्देश दिया कि आप वहां जाकर घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करो और सदन को अवगत कराओ। हम तब वहां गए, हम वातावरण खराब करने के लिए नहीं गए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गुजरात की घटना 11 तारीख को हुई, 17, 18 तारीख तक वहां कुछ नहीं हुआ, न तोड़फोड़ हुई और न आगजनी हुई। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: न FIR दर्ज हुई।

श्री थावर चन्द गहलोत: FIR तो तत्काल उसी दिन 11 तारीख को ही हो गई। FIR तत्काल हुई, Prevention of Atrocities Act तत्काल हुआ और तत्काल धारा 307, 323 और 324 लगी। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): No cross talking, please. ...(Interruptions)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: न कोई कार्रवाई हुई, न कोई एक्शन हुआ और न ही कोई गिरफ्तारी हुई।

श्री थावर चन्द गहलोत: और शुरू के दिन ही ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please, please. He is not yielding. Please sit down. ...(Interruptions)...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, 13 तारीख तक वहां गिरफ्तारियां हो गईं। उसके बाद 14, 15 को और गिरफ्तारियां हो गईं। मैं सदन के सामने यह प्रश्न रखना चाहता हूं कि वहां पांच-सात दिनों तक शांति बनी रही, वहां की मुख्य मंत्री संबंधित लोगों के परिवारों से मिलीं और उनको आर्थिक सहायता भी दी, वातावरण खराब नहीं हुआ। यहां 18 तारीख को चर्चा होने के बाद, वहां 19 तारीख को तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई। ...(व्यवधान)... सर, मैं उसमें सदन के सामने एक प्रश्न रख रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: अफसोस की बात यह है कि आप इसके मंत्री हैं ...(व्यवधान)... आप कुछ नहीं कर रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): He is not yielding. Please sit down. ...(Interruptions)...

श्री थावर चन्द गहलोत: आखिर जब तक तथ्यपरक जानकारी न हो, किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से अगर यहां इस प्रकार की चर्चा होती, तो गलतफहमी होती और शायद यह तोड़-फोड़ और आगजनी का वातावरण बनता, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके साथ ही साथ हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का कानून दिसम्बर 2013 में तत्कालीन सरकार ने बनाया था। हमने कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी से उसे implement करने की कोशिश की। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न पार्टियों की सरकारें हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में 26 लाख लेट्रिस ऐसी थीं..(व्यवधान)..

श्री सतीश चंद्र मिश्रा:* ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: मैं उत्पीड़न के बारे में ही कह रहा हूं कि ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please sit down. Please sit down. ...(Interruptions)... He is not yielding. ...(Interruptions)...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, उत्पीड़न की घटनाओं को कम करने के लिए हमने ये कदम उठाए हैं।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा:* ..(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): It is not going on record. Only what the Minister says will go on record.

* Not recorded.

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, उत्पीड़न की घटनाएं कम हों, उसी से संबंधित जानकारी दे रहा हूं। हमने हाथ से मैला ढोने वाली प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कानून बना, उसे implement करने का काम किया है। ...**(व्यवधान)**... हां, आपने समर्थन दिया है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Mr. Minister, please address the Chair. ...**(Interruptions)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: आपने समर्थन किया और हम implement कर रहे हैं। सर आपने समर्थन किया, कानून बनाया और उसी के अनुसार हम अमल कर रहे हैं, हम यही जानकारी दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... हम जब राज्यवार संख्या के लिए राज्यों से पूछते हैं तो राज्यों से जानकारी आती है कि वहां इस प्रकार की कोई लेट्रिस नहीं हैं। अब आप उससे संबंधित आंकड़े देखें, तो ढाई लाख ऐसे कर्मचारी होंगे, जोकि उन लेट्रिस को साफ करने वाले होंगे। परंतु 10-12 राज्यों ने बारह-साढ़े बारह हजार की जानकारी दी, उसमें से हमने लगभग 9 लाख लोगों को rehabilitate किया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्पीड़न की घटनाओं को कम करने के लिए जो माननीय सदस्य जिस राज्य के हैं क्योंकि यहां जो सांसद हैं, वे किसी-न-किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन राज्यों में इस कानून को लागू कराने के लिए, आप इस बात का पता लगाएं कि कितने लोग ऐसे हैं ताकि उन्हें उत्पीड़न से बचाने का काम किया जा सके। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्य नारायण जटिया): कृपया बीच में न बोलें। Please sit down. He is not yielding. ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती रेणका चौधरी (आंध्र प्रदेश): हम आपकी ये बातें बाद में सुनेंगे, जब आप हमारी बात सुनेंगे ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please sit down. ...**(Interruptions)**... It is part of the reply. ...**(Interruptions)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं, मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं। अब एससी सब-प्लान की चर्चा येचुरी साहब ने की है और माननीय सदस्यों ने भी की है। अब मैं अगर उस संबंध में जानकारी दे रहा हूं कि सरकार ने उस दिशा में क्या किया तो आपको सुनना चाहिए, मेरा ऐसा अनुरोध है, निवेदन है। मैं एससी सब-प्लान के बारे में भी जानकारी देना चाहूंगा कि यह बात सही है कि वर्ष 2014-15 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, उसी समय तुरंत एससी सब-प्लान में 50 हजार करोड़ की धनराशि दी थी। उसका पहले कभी 8.45 या 8 के आसपास होता था, उसे तुरंत बढ़ाकर 11-12 परसेंट कर दिया था। उसके बाद 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के कारण राज्यों को 10 परसेंट से अधिक धनराशि दी।

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, I am on a point of order. ...**(Interruptions)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Under which rule?

श्री आनन्द शर्मा: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**... मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आनन्द शर्मा जी, आपकी टर्न आने ही वाली है, आप उस समय बोलिए।

श्री आनन्द शर्मा: सर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Are you yielding?
...*(Interruptions)*... ठीक है, बताइए।

श्री आनन्द शर्मा: माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं ...*(व्यवधान)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Thaawarji, are you yielding? ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा: वह बात ही नहीं है। It is not a question of his yielding or not yielding. I am raising a point of order. You are in the Chair. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Okay. It is under which rule? ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am raising this point of order that the Minister has misled the House! He has said that ₹ 50,000 crore was given, 18 per cent more than the previous Budget. It is not correct, because if you look at the 2014 Budget, the allocation for SC Sub-Plan and Tribal Sub-Plan was cut by more than ₹ 24,000 crores. That is a fact. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Okay. Your turn is about to come. You would get a chance to make your point. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, he should correct that. ...*(Interruptions)*... He is a Minister. A Minister should not mislead the House. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Okay. What do you have to say, Mr. Minister? आपको क्या कहना है?

श्री थावर चन्द गहलोत: वह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है या नहीं है, यह तो आपका निर्णय है। आदरणीय आनन्द शर्मा जी जो जानकारी चाहते हैं, मैं वह जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं केवल इतना ही बोलकर चल रहा था, परंतु ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (डॉ. सत्यनारायण जटिया): नहीं, नहीं।

श्री थावर चन्द गहलोत: दो-तीन लोगों ने इस विषय को उठाया था, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि 2011-12 में एस.सी. सब-प्लान का 30,000 करोड़ रुपये का बजट था, उसकी परसेंटेज 7.9 बन रही थी, जबकि मैंने तो 8.0 परसेंट से ज्यादा ही बताया है। यह 2012-13 का 37,000 करोड़ रुपये का था, उसकी परसेंटेज 9.4 थी, 2013-14 में 41,000 करोड़ रुपये का था और इसकी परसेंटेज 8.8 थी। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने, तो यह

2014-15 में एकदम बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये का हुआ और इसकी परसेंटेज 9 हो गई। 2015-16 में, 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के कारण, केंद्रीय मंत्रालयों, जैसे पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि के बजट में कुछ कमी आई और राज्यों को ज्यादा पैसा दिया। उस समय यह 30,000 करोड़ रुपये हुआ, परंतु यह फिर भी बजट का 11.80 परसेंट था। 2016-17 में कुछ 38,800 करोड़ का प्रावधान है, जो 12.20 परसेंट बनता है। हमारा हमेशा ऐसा प्रयास रहा है और एस.सी. सब-प्लान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है, वह बढ़ाया जा रहा है। हम निरंतर से ही उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूँ। इस विषय पर चर्चा करने वालों ने बात तो कर ली, पर उस समय किसी ने यह एतराज नहीं किया कि यह बात मत करो, उत्पीड़न की घटना के संबंध में बात करो। उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में भी ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डॉ. सत्यनारायण जटिया): कृपया कन्क्लूड करें।

श्री थावर चन्द गहलोत: आदरणीय शरद यादव जी ने अनुसूचित जाति मंत्रालय में बजट की कमी का भी उल्लेख किया है, आप चाहें तो रिकॉर्ड देख लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का, एस.सी. का जो केंद्रीय बजट है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसका 2015-16 में 5,911 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन 2016-17 में, इसको बढ़ाकर 6,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि 2014 से 2016 तक, इन दो वर्षों में हमने 11,043.68 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए खर्च किए। पिछले पांच वर्षों में, अर्थात् यूपीए-2 के कार्यकाल में जो खर्चा हुआ था, उसकी तुलना में हमने 50 परसेंट से ज्यादा खर्चा किया है। हमने इन दो, ढाई सालों में दुगने से ज्यादा खर्चा कर दिया है।

मैं इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूँ कि जो विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग है, यदि उसके बजट के बारे में बताऊं तो यह पहले, 2015-16 में 540 करोड़ रुपये था, लेकिन इस बार इसमें 700 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सदन के माध्यम से, इस प्रकार की गलत जानकारी देकर, देश की जनता को भ्रमित करने की बात करना उचित नहीं है। यहां इस प्रकार की भ्रमपूर्ण बातें करने से ही माहौल खराब होता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अम्बेडकर जी की सोच समन्वयवादी थी, अर्थात् यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए कानूनी प्रावधान हैं। हमें उनका अनुपालन करना चाहिए। जब अम्बेडकर साहब इन वर्गों में काम करते थे, तो उनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां आईं, उन्हें प्रताड़ित भी होना पड़ा, परंतु उन्होंने उग्रता का स्वरूप कभी नहीं दिखाया और अपने फॉलोअर्स को तोड़-फोड़, आगजनी करने की कोशिश कभी नहीं करने दी। आज जो अपने आपको उनका अनुयायी बता कर इस प्रकार की घटनाएँ करते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि हम अम्बेडकर जी की सोच के अनुसार चले रहे हैं या नहीं। वास्तव में अम्बेडकर जी की सोच देशभक्ति की थी, देश में समता लाने की थी, समरसता लाने की थी और वह भी समन्वयवादी सोच के आधार पर। आज की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, अलगाववादी वातावरण बनाने की ...(व्यवधान)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)... This is the Revised List of Business. The discussion is on the recent incidents of atrocities on *Dalits* in various parts of the country. ...(Interruptions)... Is he replying to the debate on Demands for Grants of the Ministry of Social Justice? ...(Interruptions)... What is all this? ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): He is going to conclude. ...(Interruptions)... Please conclude. ...(Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): I have asked him to conclude. ...(Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I want your ruling. ...(Interruptions).. Sir, the discussion is on the recent incidents of atrocities on *Dalits* in various parts of the country. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Digvijayaji, I have already asked the Minister to conclude. ...(Interruptions)... He is concluding. ...(Interruptions)... He is concluding now. ...(Interruptions)...

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि जितने भी 16-17 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, उनमें ये सब मुद्दे उठाए गए हैं। जब ये सब मुद्दे उठाए गए हैं, तो मैं उनसे सम्बन्धित जानकारी ही दे रहा हूँ। सदन में जो चर्चा हुई है, मैं उससे भिन्न कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)... उस समय किसी ने point of order नहीं उठाया था, तो अब ये point of order क्यों उठा रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: आपने जो चर्चा की है, वह इससे सम्बन्धित नहीं है। ...(व्यवधान)...

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister, intervention is not a reply. ...(Interruptions)... During intervention, you can take maximum ten minutes. ...(Interruptions)... How much time have you taken? ...(Interruptions)...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you please conclude. ...(Interruptions).. Now, you please conclude. ...(Interruptions)...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete. ...(Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I want a ruling from you. ...(Interruptions)... My point of order is ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will certainly listen to your point of order. ...(Interruptions)... I said, I will listen to your point of order. ...(Interruptions)... Digvijayaji, I will listen to your point of order, but before that let me say one sentence. Hon. Members, please note that it is already 6.30 p.m. and ...(Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, he should note it; he has already taken 35 minutes. ...(Interruptions)... And he is not speaking on the subject. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order? ...(Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, please see the Revised List of Business. The discussion is on the recent incidents of atrocities on *Dalits* in various parts of the country. ...(Interruptions)... He didn't refer to that even. ...(Interruptions)... He is replying to a debate on the Demands for Grants of the Ministry? ...(Interruptions)...

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभापति महोदय, जितने माननीय सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा में भाग लिया, उन सबने कहा कि उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, यह बताओ। मैं वही बता रहा हूँ। अगर उस समय point of order नहीं उठाया गया, ...(व्यवधान)... तो यह point of order उठाना मेरे साथ अन्याय होगा। इस सरकार ने जो अच्छा काम किया है, ये देश की जनता के सामने जाने ही नहीं देना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: ठीक है। आपने जो कहा, ठीक है, लेकिन अब आप समाप्त कीजिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, दो प्रकार से वातावरण बनाने का प्रयास किया जा सकता है। एक, आर्थिक-शैक्षणिक विकास की दृष्टि से और दूसरा, सामाजिक और मान-सम्मान की दृष्टि से। हमने दलित वर्ग के लोगों का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया है। अम्बेडकर साहब की सोच गांव-गांव, गली-गली में लोगों के मन-मस्तिष्क में उतरे और वे उसको सही दिशा में समझ कर आगे बढ़ें, इसलिए हमने अम्बेडकर साहब की 125वीं वर्षगांठ भी धूमधाम से मनाई और उनसे सम्बन्धित जो पांच मांग-बिन्दु हैं — जन्मस्थली; शिक्षास्थली; जहां उनकी मृत्यु हुई, परिनिर्वाण स्थली ...(व्यवधान)... जहां लंदन में जाकर वे पढ़े थे, वह और चैत्य भूमि, जहां अन्तिम संस्कार हुआ था, उनको हमने पंचतीर्थ घोषित किया है। देश की आज़ादी से पहले से लेकर इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा था कि देश में समता और समरसता लाई जाए। हमने समन्वयवादी सोच के आधार पर देश में समता और समरसता का वातावरण बनाने की कोशिश की है और इस कोशिश के कारण इनको थोड़ी-बहुत परेशानी हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको अच्छे कामों की सराहना करनी चाहिए, धन्यवाद, जय हिन्द।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Anand Sharma.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I have a question before Shri Anand Sharma starts. Sir, it is 6.35 p.m. There are some more speakers on this issue. The Minister has to reply. So, I want to know whether, at the end of this long gruelling day, a Bill is going to be taken up. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why do you want to know about it now?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I want to know because I am the first speaker.
...(Interruptions)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, शायद जयराम रमेश जी का 7.00 बजे किसी डॉक्टर से एपॉइंटमेंट है। ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: ठीक है, आप जाइए। I would advise that if Mr. Jairam Ramesh has an appointment with the doctor, he should go. ...(Interruptions)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: अगर ऐसा है तो आप वहां जा सकते हैं, आपके बिना भी यह बिल पास हो जाएगा। ...(व्यवधान).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jairam Ramesh, if you have an appointment with a doctor, you should go because your health is more important for us.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: इनके बिना भी यह बिल पास हो सकता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Anand Sharma.

श्री आनन्द शर्मा: माननीय उपसभापति महोदय, आज इस सदन में चर्चा का जो विषय है, वह एक गंभीर विषय है और बड़े भारी मन के साथ मैंने स्वयं ने और मेरे साथी सदस्यों ने अपनी बात कही है। इक्कीसवीं सदी के अंदर भारत की आज़ादी के 69 वर्ष के बाद, यह सदन, भारत की संसद इस बात पर चर्चा कर रही है कि देश में दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री तिरुची शिवा) पीठासीन हुए]

देश में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है, ऐसे हालात बिगड़े हैं, जिससे लोगों के मन में एक भय है, चिन्ता है। समाज के अंदर जो हमारा सामाजिक ताना-बाना है, सामाजिक एकता है, वह टूट रही है। देश में एक सुनियोजित अभियान चल रहा है।

जहां तक दलितों का प्रश्न है, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि सैकड़ों सालों से उनके साथ अन्याय हुआ है, उनका तिरस्कार हुआ है। उन्हें समाज में जो सम्मान का स्थान देना चाहिए था, एक लम्बे तक वह नहीं दिया गया। इसी कारण से स्वतंत्रता संग्राम के जो महानायक थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और संविधान निर्माता डा. अम्बेडकर, सबने इस विषय को गंभीरता से देखा और आज़ाद हिन्दुस्तान के अंदर जब हमने अपना संविधान अपनाया, तो उन महानायकों ने यह तय किया कि हमारे क्या अधिकार होंगे, किस तरह से न्याय मिलेगा और किस तरह से भारत के हर नागरिक के संवैधानिक अधिकार समान होंगे। हमारे संविधान की उद्देशिका में यही लिखा गया है—

"सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता...."

यह हमारी उद्देशिका में लिखा गया है, जो हमारे संविधान का Preamble है। उसमें आगे लिखा है—

"प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा..."

न्याय, विचार, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, यह सब हमारे संविधान में लिखा है। बुनियादी बात यह है कि क्या आज संविधान के दिए हुए उन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? क्या संविधान का सम्मान हो रहा है? कोई भी घटना, चाहे वह किसी भी राज्य के अंदर घटी हो, सदस्यों ने उनका जिक्र किया है। अभी माननीय गृह मंत्री जी सदन में नहीं हैं, लेकिन हमने आज के समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि उन्होंने दूसरे सदन में क्या कहा था। उनको आज की बात कहनी चाहिए, वे वर्तमान में रहें, अतीत में न जाएं।

महोदय, इसमें भी कोई मतभेद नहीं हो सकता कि घटनाएं देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई हैं, कई राज्यों में हुई हैं और बरसों से होती आ रही हैं। लेकिन अगर अचानक उनमें वृद्धि हो जाए और एक साल के अंदर, 2014 में दलितों पर उत्पीड़न की 47,000 घटनाएं हो जाएं, तब क्या कहा जाएगा? हर एक घंटे के अंदर पांच वारदातें हो रही हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। अब अगर देश के अंदर ऐसी परिस्थिति हो, इसमें यह नहीं है कि जो गांव में रहता है, जो ऊना में, गुजरात में घटना हुई, वह शर्मनाक है, परन्तु हैरत की बात यह है कि भारत सरकार के एक मंत्री एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे घटनाक्रम पर, जिसे देश में टेलीविजन पर यहां के लोग और विदेश में पूरी दुनिया देख रही है कि हिन्दुस्तान, जो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जिसकी आकांक्षा है कि विश्व में अपनी एक भूमिका निभाए, उस हिन्दुस्तान के अंदर की बार-बार ऐसी तस्वीर दिखती है, तो देश के लिए यह एक शर्म की बात है और हिन्दुस्तान के नाम पर एक कलंक है, जो भी लोग ऐसा काम करते हैं, कहीं भी करते हैं, उनके लिए यह कहना कि लोग आक्रोश में हैं, लोग सड़कों पर निकल कर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन आप यह कहते हैं कि वे गलत कर रहे हैं, वे अम्बेडकर जी के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और वे लोग इसलिए निकल कर बाहर आए हैं, इसलिए आपत्ति कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इस सदन में यह बात उठाई गई। मुझे इस बात पर आपत्ति है, जो ऐसी बात कही गई। भारत सरकार के मंत्री को यह बात नहीं कहनी चाहिए। सदन चर्चा नहीं करेगा, तो कौन चर्चा करेगा? अगर लोगों के अधिकारों का इस तरह से दमन होगा, लोगों पर अत्याचार होगा, तो चुने हुए उस सदन के लोग, इस सदन के लोग उस विषय को नहीं उठाएंगे, विधानसभाओं के चुने हुए लोग नहीं उठाएंगे, तो उनको कौन न्याय दिलाएगा? उनके लिए कौन बात करेगा? केवल इतना ही नहीं, जो हुआ है उसकी सबने भर्त्सना की है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो एक ऐसा वातावरण बना है, यह क्यों बना है और कौन लोग उसमें हैं?

श्री थावर चन्द गहलोत: सर। शर्मा जी, एक मिनट। मेरे बारे में आपने कुछ कहा है। मैंने एक प्रश्न सदन के सामने रखा, मैंने यह नहीं कहा कि यहां चर्चा हुई, इस कारण से हुआ।

श्री आनन्द शर्मा: उसके बाद में कहा है।

श्री थावर चन्द गहलोत: नहीं, नहीं। मैं यह क्लीयर करना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि घटना 11 तारीख की थी, 17 तारीख तक वहां कोई आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़ आदि नहीं हुई। ...*(व्यवधान)*...

श्री मधुसूदन मिश्री: लोग spontaneously रोड पर आए। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: और यहां चर्चा करने के बाद जो सही तथ्य सामने आने चाहिए थे, वे नहीं आए, भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा हुई। इस कारण से वह हुआ। यह प्रश्न विचारणीय है, यह मैंने कहा। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Mistry, please.
...**(Interruptions)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: सदन में चर्चा करना देश के हित में, समाज के हित में, सबके हित में है। मैंने केवल इतना कहा कि यहां तथ्य पर जानकारी देनी चाहिए, उसके अभाव में गलतफहमी फैलती है और हो सकता है कि इसके कारण कहीं ऐसा न हुआ हो! यह प्रश्न मैंने सदन के सामने रखा है, मैंने सीधा नहीं कहा है।

श्री आनन्द शर्मा: माननीय उपसभापति महोदय, कुछ भी कहा जाए, जो अपराध हुआ है, जो घटना हुई है, जो शर्मनाक बात हुई है, उसकी गंभीरता को हम कम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दूसरे सभी विषयों को छोड़कर देश की संसद और यह सदन आज इस पर सुबह से चर्चा कर रहा है। मैं कह रहा था कि वातावरण बिगड़ा है और यह अचानक नहीं बिगड़ा है। यह कोई एक घटना या दो घटनाओं की बात नहीं है, एक सुनियोजित अभियान देश में काफी समय से चल रहा है। संगठन चला रहे हैं, जिनके अलग-अलग नाम हैं, कोई मंदिर निर्माण की बात करता है, कोई गौ-रक्षा के नाम पर आंदोलन करता है, कोई राम-सेना बनाता है और अगर बच्चे, नौजवान अपना खास दिन मनाते हैं— वेलेन्टाइन डे, तो उन पर हमले होते हैं। कौन क्या पोशाक पहनेगा, क्या खाएगा, आज यह तय किया जाता है। लोगों को घरों से निकाल कर मारा जाता है, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में लोगों पर हमले हो रहे हैं। आज ऐसे हालात हिन्दुस्तान के अंदर हैं, क्या इसके पीछे इक्कीसवीं सदी के भारत की मानसिकता है? इसमें वे लोग हैं, जो हिन्दुस्तान को पांच सौ साल, चार सौ साल पुराने हिन्दुस्तान की तरफ ले जाना चाहते हैं। यह सही बात है कि हमारे समाज में जातिवाद रहा है, यह सही बात है कि छुआछूत रही है, उसी को दूर करने के लिए तो यह हिन्दुस्तान का संविधान लिखा गया। आज हम सब का क्या फर्ज बनता है, चाहे इधर बैठे हैं, चाहे उधर बैठे हैं? चाहे इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? हम इस संविधान की शपथ लेते हैं। अगर कोई उस संविधान को, हिन्दुस्तान के कानून को तोड़ता है, चाहे वे संगठन आपके परिवार से जुड़े हैं, गृह मंत्री जी, मैं आपसे आज पूछना चाहूंगा कि किस संगठन के खिलाफ आपने कार्रवाई की? देश के अलग-अलग हिस्सों में ये कौन से संगठन हैं? अगर आप इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, जिन्होंने एक दहशत का माहौल फैला दिया है— क्या कारण है कि एक के बाद एक विश्वविद्यालय के अन्दर उत्तेजना आ गई? उसको आप कहते हैं कि यह राजनीति है। राजनीति होगी, नौजवान लोग हैं, वे बात करेंगे। दुनिया में कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, जहां पर 18, 19, 20-21 वर्ष के छात्र-छात्राएँ अपनी बात न करें, स्वतंत्र विचार न रखें। उसके लिए उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता। खास तौर से जो समाज के शोषित वर्ग के छात्र हैं, दलित वर्ग के छात्र हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे आत्महत्याएँ कर रहे हैं। इस पर दोषारोपण की बात नहीं है। अगर ऐसी बातें हो रही हैं, तो कौन उस पर कार्रवाई करेगा? सरकार करेगी या विपक्ष चुप रहेगा?

गुजरात के अन्दर का घटनाक्रम है। इसमें आपको आपत्ति क्यों होती है? अगर वहां ऐसा हुआ है, तो वहां की सरकार उस पर कार्रवाई करे। यहां पर उसके लिए स्पष्टीकरण मत दें। एक सप्ताह तक सोए रहे, जब तक शोर नहीं हुआ। उसके बाद बात हुई। पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। मैं आपसे इस बात का उत्तर चाहूंगा। अभी हाल में, आपकी वर्तमान सरकार के एक मंत्री ने, दिल्ली के पड़ोस में एक राज्य के अन्दर जाकर एक बयान दिया है। मैं भी संस्कार वाला व्यक्ति हूँ। गाय का हम सब सम्मान करते हैं। परन्तु यह कहना कि "एक गाय का जीवन एक मनुष्य के जीवन से ऊपर है"... हमारे समाज के अन्दर विविधता है, हमारे देश के अन्दर विविधता है। हमारा भारत एक बहुधर्मी और बहुभाषी देश है। मैं आपको बता रहा हूँ। आप जानकारी प्राप्त करें। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मैं प्रश्न कर रहा हूँ और पुष्टिकरण आप करेंगे। यह एक बहुधर्मी देश है। इसमें विविधता है, जो सदियों से रही है। यहां दुनिया के हर मजहब के, हर धर्म के लोग हैं। इस देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग ज़बानें बोली जाती हैं। हजारों साल से लोग यहां रहते आए हैं। इस देश के बारे में यह कहा जाता है कि 'it is the original melting pot of civilization.' इस देश के अन्दर विवेक रहा है, हमारे पूर्वजों के अन्दर ऐसी बुद्धि रही है, जिन्होंने समाज में विघटन को रोका है, जिन्होंने हर धर्म का, हर जाति का सम्मान किया है। आज जो परेशानी आ रही है, वह क्यों आ रही है? क्योंकि एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा, जो इस विविधता को खत्म करती है, थोपने की कोशिश हो रही है। शिक्षण संस्थानों के अन्दर उत्तेजना इसीलिए है, समाज के अन्दर आक्रोश इसीलिए है। आपको यह बात पसन्द आए या न आए, लेकिन ये कौन लोग हो गए? हिन्दुस्तान में एक सेना तो हम समझ सकते हैं, भारत की फौज, भारतीय सेना, लेकिन ये बाकी सेनाएँ कौन सी हैं, ये बाकी दल कौन से हैं? आप गृह मंत्री हैं। आज उनको आर्म्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या यह अच्छी बात है? इससे हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान नहीं रहेगा। समाज के अन्दर तनाव व टकराव का माहौल पैदा कर दिया गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। एक सुनियोजित अभियान हिन्दुस्तान के अन्दर चल रहा है। इसको आप रोकिए। यह एक गम्भीर विषय है। इसके अंजाम भी बहुत खराब होंगे।

हमारे देश में ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं, परन्तु अनुमति, आज्ञादी सबको है कि कौन क्या खाए। यहां मांसाहारी भी हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं, जो उससे अलग हैं, जहां पर गोमांस की बात होती है। सब राज्यों में पहले से भी, आज्ञादी के बाद से आज तक ऐसी कोई बात या घटनाक्रम सामने नहीं आया है। हमारे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आर्थिक-सामाजिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर हैं, वे चाहे हिन्दू समाज के हों या अल्पसंख्यक समाज के हों अथवा जनजाति के हों, उनका व्यवसाय मरे हुए जानवरों की खाल निकालना, चमड़ा निकालना है। इस सदन में कौन ऐसा है, जोकि जूता पहन कर नहीं आता? ये लोग जो उत्पीड़न करते हैं, इनमें से कौन जूता नहीं पहनता? परन्तु अगर कोई मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालता है, उसको मार दिया जाता है! आज देश में बार-बार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। उस पर क्या सजा होनी चाहिए? क्या कार्यवाही शासन, प्रशासन को करनी चाहिए या नहीं? आपका बयान हमने सुना। अच्छी बात है, आपको भी इस बात से दुख है, हम समझ सकते हैं। हर सदस्य को होना चाहिए। हम किसी को यह नहीं कहते कि कोई इससे प्रसन्न है। आपने यह भी कहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी को भी इस पर बहुत कष्ट हुआ है। मेरा आपसे एक प्रश्न है। खैर आपसे नहीं

[श्री आनन्द शर्मा]

करूंगा, आपके माध्यम से सदन से कहता हूँ कि क्या बात ऐसी हो गई, कौन सी मजबूरी हो गई कि जिस राज्य के वे 12 साल स्वयं मुख्य मंत्री रहे और आज हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री हैं, वे स्वयं अपनी तकलीफ का इज़हार नहीं कर सकते, खुद नहीं कह सकते कि मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, खुद नहीं कह सकते कि मैं हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री हूँ, इसकी अनुमति नहीं होगी। क्या कारण है यह भी बयान देश के गृह मंत्री के माध्यम से दिया जाता है। मेरा आग्रह रहेगा, कम से कम ऐसी बात पर संवेदनशीलता दिखाएं। मैं आप में से किसी को कष्ट में नहीं डालना चाहता कि आप उनसे जाकर कहें। उनको समझाना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी आग्रह करता हूँ कि वे इस बात को सुनें, आप कभी कह दीजिएगा। ये भावनाएं हैं हमारी। गुजरात में भी शायद जो लोग आक्रोश में निकले हैं, आंदोलन हुआ है। अगर देश के प्रधान मंत्री उठकर उसकी निन्दा करते, सख्त कार्यवाही का आश्वासन देते तो शायद उसका असर कुछ और होता। तो यह होना चाहिए। मुझे आपसे इसीलिए कहना है कि आज जो भी हुआ, आंकड़ों की बात इंसान के जीवन के ऊपर नहीं है। जहां मानवाधिकार की बात है, आत्म-सम्मान की बात है, कानून की बात है, संविधान की बात है उसको आपको देखना चाहिए और मुझे आपसे यही कहना है कि आप, आपकी सरकार और राज्यों की सरकारों का भी दायित्व बनता है।

आज समाज के अंदर दो कारण हैं। एक तो अपराध है, एक विचारधारा है, जिन संस्थाओं का मैंने जिक्र किया, परन्तु मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान के संविधान के बाहर भारत के कानून के बाहर जिनके विचार, जिनकी सोच जिन संस्थाओं की टकराएगी उन संस्थाओं के साथ टक्कर लेना, उनको जवाब देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। आपका कर्तव्य बनता है गृह मंत्री जी, आप उन संगठनों की सूची बनाएं, कोई भी हो, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें। तब हम आश्वस्त होंगे कि सही रूप में आप इस देश के संविधान की इज्जत करेंगे और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, यह गलतफहमी न रह जाए कि इस देश के अंदर यह खुली आजादी है, अनुमति है कि जिसके साथ भी आप अपराध करें, जिसका भी उत्पीड़न करें, जिसको भी प्रताड़ित करें। यह अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो समाज में लोग अपने आपको सुरक्षित समझेंगे। अगर आप गंभीरता से इस बात को लेंगे तो शायद जो सपना हमारे संविधान के निमार्ताओं ने देखा है सामाजिक न्याय दिलाने का, सशक्तिकरण का और देश में जो लोग ऐतिहासिक कारणों से पिछड़े और दबे हैं उनको अपने अधिकार मिलने का शायद वह सपना पूरा हो सके। जो बात हमने कही है, कोई राजनीतिक कारण से यह बात नहीं हो रही है। विपक्ष ने ये बातें नहीं उठाई हैं। अगर हम कुछ कहते हैं, तो उसके पीछे कुछ वजूहात हैं, उसके पीछे कारण हैं।

अंत में, मेरा आपसे यही कहना है कि जो हुआ, जो हो रहा है अगर हम हिन्दुस्तान की सीमा से थोड़ा दूर हटकर दुनिया को देखें, हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड जिसको कहा जाता है, पड़ोस से थोड़ा आगे निकल जाएं, किस तरह से समाज तबाह हुए हैं। इस तरह की सोच, इस तरह के विचार से आज तक आग लगी हुई है देशों और समाजों के अंदर वे संभल नहीं पा रहे हैं। दुनिया की सब शक्तियां शामिल हो गईं, हालात काबू में नहीं आते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे समाज के अंदर एक ऐसी विस्फोटक स्थिति बने, जिससे हर कोई, आप और हम, सब लोग उसकी चिंता ही न करें, बल्कि पछताएं कि क्यों हमने ऐसे हालात बनने दिए, क्यों हमने

समाज के बड़े वर्ग को वह सम्मान का अधिकार नहीं दिया, जो सम्मान का अधिकार देने का हमारा कर्तव्य बनता है? उनके अंदर ऐसी भावना क्यों आ गई? नौजवानों के अंदर असुरक्षा की भावना क्यों आ गई कि उनको यह लगने लगा कि हमें अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ेगा या कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम गुजरात में घटी घटना की निन्दा करता हूँ और बहन मायावती जी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई, उसकी भी मैं भर्त्सना करता हूँ। आज इस सदन में बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और सबने इस विषय पर अपनी-अपनी भावना व्यक्त की है। आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि अगर डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता न होते, तो मैं इस देश का प्रधान मंत्री कभी भी न बनता यानी कि मोदी जी ने डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रति श्रद्धा भाव अर्पित किया है। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ पर डॉ. अम्बेडकर जी के पदस्पर्श से पावन हुए सब स्थल, भूमि, स्मारकों का नवनिर्माण किया गया है और उनके विचार का प्रचार-प्रसार किया है। डॉ. अम्बेडकर जी ने जिस शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित, गरीबों के उत्थान की बात की, उसी बात को प्रमाण मान कर दलित समाजोत्थान के कार्यक्रम की जो रचना बनाई है, सर्वप्रथम मैं उसका अभिनन्दन करता हूँ।

भारत देश के संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1925 में महाराष्ट्र के महाड के चवदार तालाब के लिए एक संघर्ष किया था। यह संघर्ष सिर्फ पानी के लिए नहीं किया गया था, सिर्फ पानी को स्पर्श करने के लिए उन्होंने यह संघर्ष नहीं किया था। जिस तालाब पर कुत्ता, गधा, घोड़ा, गाय, बकरी पानी पी सकती है, लेकिन उस तालाब पर मनुष्य पानी नहीं पी सकता, इस मनुष्य के अधिकार के लिए यह संघर्ष उन्होंने किया था। उस संघर्ष को 91 वर्ष पूरे हुए, लेकिन अभी तक दलितों को, जो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य की पहचान नहीं मिली है। यही संघर्ष आज भी चल रहा है।

डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने नासिक में कालाराम मंदिर के सामने सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह इसलिए किया था कि उन्हें प्रभु रामचंद्र का दर्शन मिले, जो प्रभु रामचंद्र हर हिन्दू के हृदय में है। अगर उस प्रभु रामचंद्र के मंदिर में प्रवेश मिले, तो हिन्दू के हृदय में प्रवेश मिलेगा, ऐसी बाबा साहेब की सोच थी, लेकिन 5 वर्ष सत्याग्रह के बाद भी उस मंदिर में बाबा साहेब को प्रवेश नहीं मिला। मंदिर में प्रवेश के लिए यह जो 5 वर्ष का सत्याग्रह था, मंदिर में प्रवेश के लिए ऐसा संघर्ष दुनिया के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है। दलितों को मनुष्य का अधिकार अभी तक नहीं मिल रहा है। इस देश में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जहां पर मंदिर में अभी तक दलितों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। हमारे एक सांसद, तरुण विजय जी उत्तराखंड में गए, वहां एक मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, वे उनको लेकर मंदिर में गए, तो वहां के दबंग लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उनको मारा, पीटा। मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी हम मनुष्य हैं, अगर यह नहीं मानते, तो यह लड़ाई फिर हम सबको एक साथ मिल कर लड़नी पड़ेगी।

[श्री अमर शंकर साबले]

7.00 P.M.

दलितों का यह उत्पीड़न मानव जाति के ऊपर कलंक है। महात्मा गांधी जी ने बताया था कि अस्पृश्यता, यानी untouchability मानवता के ऊपर एक दाग है, कलंक है। लेकिन डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि यह untouchability केवल मानवता के ऊपर दाग नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के ऊपर दाग है और अगर जरूरत पड़े तो हम अपने खून से वह दाग निकालेंगे। वैसे तो दलित उत्पीड़न राष्ट्र के दैनंदिन जीवन का अंग बन चुका है, फिर भी रह-रहकर कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं कि इस समस्या पर नये सिरे से विचार करना लाजिमी होता है।

यहां पर समतामूलक सामाजिक व्यवस्था पर आधारित राष्ट्र-निर्माण की विचारधारा का सृजन करने हेतु हमें दलित समाज में नवजागरण एवं नवनिर्माण करना होगा। इस नवजागरण एवं नवनिर्माण हेतु हमें दलितों एवं सामान्य समाजों के व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एवं भूमिका में बदलाव लाना पड़ेगा। इस देश में दलितों पर अत्याचार होने के बहुत से उदाहरण हैं। उनमें से चंद उदाहरण हैं — महाराष्ट्र में खैरलांजी का जो हत्याकांड हुआ था, वह एक शर्मनाक बात थी। राजस्थान में नागौर जिले के डांगवासा में चार दलितों की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई। 11 जून को राजस्थान में 50-60 लोगों ने जमीन के एक टुकड़े के विवाद में अनेक दलित परिवारों पर हमला करके उनकी झोंपड़ियां जला डालीं। 13 जून को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गणेशपुरा गांव में हैंडपम्प से पानी भर रही एक दलित युवती की छाया वहां से गुजर रहे पप्पू यादव नामक एक दबंग पर पड़ गई। इस पर दबंग और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर किशोरी को बुरी तरह पीट डाला। दबंग के पारिवारिक सदस्यों ने दलित परिवार को यह धमकी भी दी कि यदि उनकी बेटी दोबारा हैंडपम्प के निकट नजर भी आ गई तो उसकी जान की खैर नहीं। यह धनी लोगों का देश है, जहां गरीब, दलित, वाल्मीकि, पिछड़े सिर्फ प्रयोग की वस्तु हैं। उन्हें सजावट और हृदय की विशालता, विराटता के दंभपूर्ण प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शब्द-विलासी हो चुके समाज में घृणा ही हमारे व्यवहार का निर्देशन करती दिखती है। यह घृणा तब दिखती है जब दलित बेटी की छाया से समाज का एक वर्ग संतप्त और क्रुद्ध हो उठता है। ...**(समय की घंटी)**...

सर, ये जो अत्याचार की घटनाएँ हो रही हैं, उनके बारे में मैं कुछ बिन्दु आपके सामने रखता हूँ। जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका conviction rate 3 फीसदी है, जो कि बहुत कम है। इस conviction rate को बढ़ाने के लिए सरकारी वकीलों को atrocity के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए प्रमोशन मिले और केस हारने से उनका डिमोशन हो। Investigation Officer एक जनरल कैटेगरी का हो और उसको असिस्ट करने वाला दलित वर्ग का हो। तीसरा बिन्दु—दलितों में अनपढ़ता, अज्ञानता और क़ानूनी सजगता का अभाव उनके विकास में आड़े आते हैं, इसलिए उनमें शिक्षा का प्रभाव अधिक बढ़े। चार—हर जिले में "दलित उत्पीड़न निर्मूलन कमिटी" बनाई जाए, जिसकी हर महीने मीटिंग होनी चाहिए। पांच—अगर दलित अत्याचार हुआ तो एसपी और डीएम को जिम्मेदार ठहराकर उनकी सी.आर. में लिख देना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... कास्टलेस सोसायटी का निर्माण होने तथा नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने से ये अत्याचार कम हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ, धन्यवाद।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): वाइस चेयरमैन साहब, आज देश में गरीब लोगों पर

जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके संबंध में यह डिस्कशन हो रहा है। बहुत दुख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि देश की आजादी को 70 साल हो गए हैं, सभी पार्टियां बार-बार देश में राज कर रही हैं, लेकिन अभी तक यह issue सबसे ज्यादा prominent issue बना हुआ है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। बात आंकड़ों की नहीं है। एक आदमी पर अत्याचार हो या एक हजार पर हो, अत्याचार, अत्याचार है, जुल्म, जुल्म है। ये आंकड़े आ रहे हैं कि इतने हजार पर हुए, उतने पर हुए — बात यह नहीं है। बात mentality की है कि अभी तक लोगों की यह सोच है कि गरीब पर कोई अत्याचार कर दो, कोई नहीं पूछता है। इसके लिए एक तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। वह हम समझ रहे हैं, लेकिन अकेले लॉ एंड ऑर्डर की ही प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी, कोई भी issue हो, कभी भी किसी समाज को अकेले कानून के साथ नहीं चलाया जा सकता। उसके साथ-साथ लोगों की सोच को भी बदलना जरूरी है। इस देश में अभी जो घटना हुई— घटनाएं तो बहुत हो रही हैं, हर सुबह हो रही हैं, लेकिन अभी गुजरात में जो घटना हुई, उसके जरिए यह डिस्कशन चल रहा है। वह घटना कैसे हुई, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उसके पीछे एक कारण था कि धर्म की सोच काम कर रही थी कि गाय, जो पवित्र जानवर है, उसकी खाल उतारी जा रही है। मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि धार्मिक सोच जब कट्टरता में परिवर्तित हो जाती है, जैसे किसी वक्त इस देश के बादशाह में आ गयी थी। जब उस बादशाह ने इतना अत्याचार शुरू किया, तभी गुरु तेगबहादुर जी आनन्दपुर साहब से चलकर यहां आए थे। यह चांदनी चौक उस अत्याचार की मिसाल है, उनके द्वारा शीश का बलिदान देना उस अत्याचार की मिसाल है। सर, हमारा धर्म सिखाता है, पंजाब में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे धर्म में सबसे ऊंची संस्था एसजीपीसी है। वहां का प्रेजिडेंट दलित बन सकता है, वहां अब भी वाइस प्रेजिडेंट एक दलित है। जो हमारे पांच धार्मिक सिंह साहब हैं, उनमें भी एक या दो दलित हमेशा रहते हैं। हमारे यहां किसी भी जगह कोई और आधार नहीं है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह बहुत धर्मी देश है। अगर ऐसी सोच के साथ यह देश चलेगा तो फिर देश चल नहीं सकता है। महोदय, अकेली यह प्रॉब्लम नहीं है, इससे किसान को भी प्रॉब्लम हो रही है। इस देश का किसान, जिसके पशुधन का खेती के साथ बहुत गहरा संबंध है, अगर कभी एक जगह से दूसरी जगह वह जानवर को लेकर जाता है तो उसको रास्ते में घेर लेते हैं। जो धर्म को मानते नहीं हैं, जो उसकी सेवा नहीं करते, वे उसे घेर लेते हैं कि आप इन्हें कहां ले जा रहे हैं, आप इन पर जुल्म कर रहे हैं और उन पर केस बना देते हैं, उनके साथ मार-पीट करते हैं। इसलिए इस पर विचार करना होगा। मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं। इस बात को सोचना पड़ेगा, इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए कि इस सोच को कैसे बदला जाए। आज इस सोच को बदलने की जरूरत है क्योंकि इसी सोच के कारण कहीं देश का कोई कोना बरबाद हो रहा है, कहीं आज बॉर्डर पर कुछ रहा है, कहीं माइनोंरिटी पर हो रहा है। यह सब कुछ जो हो रहा है, वह एक सोच का नतीजा है।

महोदय, गुरु नानक देव जी ने 600 साल पहले यह कहा था कि:

"नीचां अंदर नीच जात, नीची हूं अति नीच,
नानक तिनके संग साथ, वड्यो स्यां क्या रीसा।
जित्थे नीच संभालयन, तित्थे नदर तेरी बक्शीसा।"

जहां गरीब लोग रहते हैं, उधर परमात्मा का वास है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वड्यो

[सरदार बलविंदर सिंह भुंडर]

के साथ हमारा कोई संग-साथ नहीं है, नीचों के साथ हमारा संग-साथ है, हम भी नीच हैं। यह गुरु नानक देव जी की शिक्षा है। इसीलिए पंजाब में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। हम जब लंगर छकते हैं, कभी आप हमारे अमृतसर साहब में आएँ, वहाँ कोई भी एक लाइन में बैठ जाए, हम भी वहाँ बैठेंगे और जो गरीब से गरीब है, वह भी वहाँ बैठेगा, आप भी वहाँ बैठेंगे, वहाँ किसी के साथ कोई विटकरा नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए यह जो छुआछूत है, यह पंजाब में नहीं है, वहाँ बिरादरी का कोई प्वाइंट नहीं है, जात-बिरादरी का कोई प्वाइंट नहीं है — देश की सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि यह अकेला कानून का मसला नहीं है। जब यह बात होती है, तो मैं सब पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि देश में तो पहले ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कहीं महंगाई बढ़ रही है, कहीं माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहे हैं, कहीं बॉर्डर पर माहौल गर्म हो रहा है। जब भी कोई घटना होती है, तो peaceful protest होना चाहिए। कहीं तोड़-फोड़ हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं बसें साड़ दी जाती हैं, कहीं बस स्टैंड साड़े जाते हैं, कभी कोई आगे आ जाता है, उसको मारा जाता है, यह तो peaceful protest नहीं है। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने यह तो नहीं कहा था कि agitation इस तरह से होना चाहिए। हम सब लोगों को यह सोचना चाहिए कि हर issue को हम protest के जरिए political बनाना चाहते हैं, लेकिन political बनाते-बनाते कहीं ऐसा न हो कि देश ही उस कगार पर आ जाए जहाँ उसे संभालना मुश्किल हो जाए। आज बड़ी मुश्किल में देश चल रहा है। कोई एक प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम सब की सोच अलग-अलग है, जब कोई इश्यू आता है, तो हम उसको पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। किसी भी इश्यू को पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेक हो रही हैं। हम ऐसी घटनाओं को निंदा करते हैं। इस घटना की निंदा करने के लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं हैं। यह बहुत धिनौनी वारदात हुई है, इसके लिए सजा भी सख्त से सख्त होनी चाहिए। कानून को भी अपना काम करना चाहिए, लेकिन लोगों की सोच बदलने के लिए हमें इकट्ठा बैठकर देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ गरीबों के लिए फ्री एजुकेशन है। उनकी लड़कियों को बी.ए. तक साइकिल देते हैं और हमारे पंजाब में 90 परसेंट लोगों के पक्के हाउस हैं। उनको 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, उनकी लड़कियों की मैरिज पर 15,000 रुपये का शगुन देते हैं। उनको कॉमन प्लेस देते हैं, जो धर्मशालाएं हैं, उनको रुकने के लिए धर्मशालाएं देते हैं, जहाँ पर वे रिसपैक्ट से रह सकें। हमने सबसे पहले लोगों को आटा-दाल देना शुरू किया था, बाकी जगह पर तो अब देना शुरू हुआ है। इसलिए पंजाब में सरकार अच्छे स्टेप्स ले रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश की सोच ऐसी बननी चाहिए ताकि इस तरह के अत्याचार बार-बार न हों और हमारे देश को ऐसे कृत्यों के लिए शर्मिंदा न होना पड़े, धन्यवाद।

श्री मधुसूदन मिश्री (गुजरात): उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। करीब पांच घंटे से यह चर्चा चल रही है और मैंने अधिकतर सदस्यों को सुनने का प्रयत्न किया है।

सर, गुजरात के अंदर एक-डेढ़ साल के समय की बात करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर करीब 23-24 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस के अंदर सरकार का

रवैया देखा गया है, वह ऐसा रहा है कि गुजरात में सबसे ज्यादा रायट्स हुए, उसके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा परेशानी सहन करनी पड़ी है। वहां पर जितने भी दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनके बारे में किए गए प्रयासों का रिजल्ट कुछ भी नहीं आया है। वहां पर कांग्रेस पार्टी जो 25 साल से बाहर है, उसके पहले क्या हुआ था, उसका जिक्र मेरे गुजरात के साथीगण करते हैं। उनकी आदत है कि कोई भी सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करेंगे, तो वे कहेंगे कि आपने 40 साल पहले क्या किया था? वे 40 साल पहले का इतिहास हमारे सामने रखेंगे कि आपने ऐसा किया था, इसलिए हमको भी यह करने का अधिकार है, ऐसा प्रतिपादित वे करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी फिगर्स दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2014 के अंदर 27 दलितों की हत्या हुई, 2013 में 31 हत्याएं हुई, 2012 में 25 हत्याएं हुई, 2011 के अंदर 14 हत्याएं हुई और 2001 से लेकर अभी तक की मेरे पास फिगर्स हैं, लेकिन मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूं। दलित महिलाओं के साथ रेप के मामले 2014 के अंदर 74 हुए, 2013 में 70 हुए, 2012 में 44 हुए, 2011 में 51 हुए और 2001 से लेकर अब तक के आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन उनका सब का जिक्र मैं नहीं करूंगा। गुजरात के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आरटीआई में दी गई है कि 2001 से लेकर 2014 तक 116 गांवों में दलितों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है। यह उनके द्वारा दी गई फिगर है।

यहां पर बार-बार यह चीज़ उठाई जा रही है कि इसके अंदर पोलिटिक्स हो रही है। अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि राज्य सभा के अंदर यह सवाल उठा, उसके बाद वहां पर आंदोलन हुआ। सर, यह पूरा आंदोलन spontaneous है। गुजरात के न्यूज पेपर्स की शुरु से लेकर अभी तक की कटिंग्स मेरे पास हैं। मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूं। जब पोलिटिकल पार्टी के लोगों ने अपना गमछा डाल कर वहां आंदोलन को लीड करने का प्रयत्न किया, तो उनसे वह गमछा लोगों ने उतरवाया। यह पोलिटिकल आंदोलन नहीं है, spontaneous आंदोलन है। लोग खुद आंदोलन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मिनिस्टर साहब आप सुन रहे होंगे। मैं मिनिस्टर का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You continue, please. The Home Minister is listening.

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं उनके सुनने के लिए ही कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... मैं होम मिनिस्टर साहब से नहीं कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You continue, please. The Home Minister is listening.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): कोई न कोई मिनिस्टर सुन रहा है। ...**(व्यवधान)**....

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Hang on, hang on for a minute. I am not yielding. ...**(Interruptions)**... I am not yielding. ...**(Interruptions)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Don't interrupt. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: सर, सर ...(*व्यवधान*)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैंने आपको बिल पर बोलते हुए सुना है ...(*व्यवधान*)... और मैं yield नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बार-बार यह मुद्दा यहां पर उठाया जा रहा है। ...(*व्यवधान*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Yes, you continue please. You speak.

श्री मधुसूदन मिस्त्री: पोलिटिक्स है, पोलिटिक्स है? Yes, पोलिटिकल पार्टी लोगों का मुद्दा उठाने का प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोगों के सवाल नहीं उठाएंगे, तो फिर कौन उठाएगा? यह सवाल उठाने की बात तब चली, जब राहुल गांधी वहां पर मिलने के लिए जा रहे थे। इसके बाद उनके चीफ मिनिस्टर दो दिन पहले गए। वे दस दिन बाद वहां के चीफ मिनिस्टर ...(*व्यवधान*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please. The Minister will reply. You sit down.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Not only that, यहां पर आकर ये कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा दे दिया, इतने लोगों के ऊपर केस लगा है। उनके ऊपर 307 की धारा भी बाद में लगाई गई। जब चीफ मिनिस्टर हॉस्पिटल में लोगों से मिलने गए, तो दलित परिवार ने कहा कि आप हमको एक लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, तो हम आपको एक लाख ...(*व्यवधान*)...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: ये गलत कह रहे हैं। ...(*व्यवधान*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You need not reply. The Minister will do that. ...(*Interruptions*)... Please. Be seated.

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: यह सही नहीं है। ...(*व्यवधान*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Don't interrupt.

श्री मधुसूदन मिस्त्री: न्यूज-पेपर में भी यह छपा है। ...(*व्यवधान*)....

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): क्या आप वहां गए थे? ...(*व्यवधान*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Let him speak.

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: आपके दिल में दर्द होता, तो आप भी वहां पहुंचते। ...(*व्यवधान*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please do not interrupt.

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं यह नहीं समझ रहा कि इनको क्या परेशानी है? ...(*व्यवधान*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You please continue.

श्री मधुसूदन मिश्री: ये यहां पर मेरे साथ राज्य सभा के अंदर आए हैं। डेफिनेटली ये दोबारा भी आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोबारा भी आएंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वे दलित परिवार में विक्टिम्स थे, उन्होंने कहा कि एक लाख रुपया हम देते हैं, हमको जिन्होंने मारा है, हमें उनको मारने दो। ...**(व्यवधान)**...

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया: यह समस्या का हल नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री मधुसूदन मिश्री: यह न्यूज-पेपर्स के अंदर छपा हुआ है। इतने सालों के अंदर पाटन के अंदर दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, वह कांस्टिट्यूंसी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर की थी। उस वक्त अभी के प्राइम मिनिस्टर साहब ही चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कभी उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी और यहां भी नहीं दी। उनकी मानसिकता दलित विरोधी है। देश में ऐसे कितने ही इंसिडेंट्स थे। ...**(व्यवधान)**... वे कभी नहीं आए। यहां से मिनिस्टर चले गए और हमें बोलते हैं कि राजनीति करते हैं। कर्णाटक में जो घटना घटी है, उसमें सुसाइड किया है। आप लोग एसेंबली के अंदर पूरी रात सो रहे थे। वह पॉलिटिक्स नहीं थी तो क्या थी? मैं आपसे जानना चाहता हूं मिनिस्टर साहब। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude. ...**(Interruptions)**... Please conclude.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Why are they shouting unnecessarily? ...**(Interruptions)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Let them shout. Please conclude. ...**(Interruptions)**...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I don't understand ...**(Interruptions)**... Sir, I have hardly taken three to four minutes. ...**(Interruptions)**... There are a lot of Members who have taken a lot of time ...**(Interruptions)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): : Mr. Mistry, the time allotted to you was seven minutes ...**(Interruptions)**... Mr. Mistry, please listen to me.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: The time allotted for this discussion was two-and-a-half hours. ...**(Interruptions)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Mistry, kindly listen to me. The time allotted to you was seven minutes. Some time has been wasted because of the other Member's Interruptions. Take two more minutes and conclude. The total time allotted to you becomes nine minutes. Still two minutes are there ...**(Interruptions)**...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, the time allotted was seven minutes when the time allotted for this discussion was two-and-a-half hours. Now, this discussion is going on for five-and-a-half hours ...**(Interruptions)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Your party time is already exhausted. Kindly cooperate. Take two more minutes and conclude ...(Interruptions)... You please don't interrupt. ...(Interruptions)...

श्री मधुसूदन मिश्री: सर, सालों से गुजरात के अंदर जहां-जहां पर इन पर atrocities हुई हैं और action नहीं लिया गया, उसके प्रति जो आक्रोश दलितों के दिमाग में भरा हुआ था, वह spontaneously इस बार बाहर आया है। इनके सामने आया है और ये उसे सहन नहीं कर सकते। लोग अपने आप गए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको रोड के ऊपर जाने के लिए नहीं कहा। पूरे गुजरात के अंदर, कोई तहसील बाकी नहीं है — हमारे यहां नॉर्थ गुजरात में बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाना, अहमदाबाद, सूरत, भरुच, खेड़ा, अमरेली, भावनगर, राजकोट, इन सभी जगहों के ऊपर अपने आप लोग रोड के ऊपर spontaneously अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। यह गुस्सा किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंजेक्शन देने से नहीं आएगा, यह आप समझ लीजिए। मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि इनकी साढ़े 8 परसेंट पॉपुलेशन है, क्या मिला है उन्हें? उन्हें नौकरियों का ठिकाना नहीं है, आज भी 15 लाख से ज्यादा जॉब्स आपके यहां क्रिएट नहीं हो रही हैं। वहां ऐसे रिजस्टर्ड साढ़े 8 लाख लोग बेकार हैं जोकि पढ़े-लिखे हैं। यह स्थिति पूरे गुजरात के अंदर बेकारी की है। सर, लोग भावना से नहीं बदलते। कानून कांस्टीट्यूशन के तहत बनते हैं और कांस्टीट्यूशन है, उसकी वजह से कानून है और उनका implement करना स्टेट का काम है। अगर उसके अंदर राज्य सरकार defaulter होती है, तो अपोजीशन के अंदर रहते हुए हमारा काम है और धर्म है कि हम उसका कान पकड़कर कहेंगे कि यह बराबर नहीं है, यह आपको करना पड़ेगा। आप यह क्यों भूल जाते हो? क्यों आज गुजरात के अंदर उन्हें कितनी जगह पर पानी नहीं भरने दिया जाता?

THE VICE-CHAIRMAN: Thank you, Mr. Mistry.

श्री मधुसूदन मिश्री: सर, एक साल के अंदर हिम्मतनगर में ताजपुर गांव के अंदर बारात के ऊपर हमला हुआ, दहगाम के अंदर मंदिर के अंदर मंदिर में प्रवेश को लेकर झगड़ा हुआ, गांधी नगर के अंदर गरबा रखने को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, गोंडल के अंदर रोहित समाज के लड़के का मर्डर हुआ, पोरबंदर में दलित का मर्डर हुआ, प्रांतीज में बारात के ऊपर हमला हुआ, खानगढ़ के अंदर जिन लोगों की मौत हुई, उसमें अभी तक किसी की धर-पकड़ नहीं हुई। ये एक साल की घटनाएं हैं। गृह मंत्री साहब आप उन्हें प्रेज करते हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि गुजरात में आपकी सरकार है। आपने एक्शन लिया, वह मैं मानता हूं, लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे रेप हुए, इतने लोगों की हत्या हुई, उनके बारे में स्टेट ने क्या किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप स्टेट के मिनिस्टर और अधिकारियों से पूछें कि वे क्या कर रहे हैं? कितने केस फ़ाइल हुए? एस.सी./एस.टी. कानून लगने के बावजूद भी कोर्ट की तरफ से उन लोगों को बेल दी जाती है। एस.सी./एस.टी. कानून में इसका प्रावधान नहीं है। ..(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you. ...(Time-Bell rings)... Thank you very much.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Just a minute, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): How many more minutes?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I just want to tell you, Sir, that this is the situation. Don't think that everything is good in Gujarat. The Gujarat model was propagated only for a 7 Km stretch, by which you people have come to the power. That is what has been propagated. The situation is very bad. The atrocities against Dalits and Tribals are on the rise. That is what I wanted to bring.. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you. ...(Interruptions)... First of all, you address the Chair. ...(Interruptions)... You address the Chair and conclude. Thank you very much. Now, Dr. Satyanarayan Jatiya.

डॉ. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सदन की चिंता के साथ, हम भी अपनी वेदना को मिलाते हुए यह कहना चाहते हैं कि,

"आदमी का दर्द
जब आवाज़ दे रहा हो दर-दर,
हम भी रहे चुप, तो जमाना क्या कहेगा?"

उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का जो काम हुआ है, उसको हम निश्चित रूप से सदन में अपनी भावनाओं को प्रकट करके ही व्यक्त कर सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की जो वारदातें होती हैं, वे क्यों होती हैं? आज इस सदन को इस विषय पर विचार करने का एक पूरा अवसर मिला है। मैं सोचता हूँ कि यह भी एक उपचार है, क्योंकि हम लोगतंत्र में यही कर सकते हैं।

गीर-सोमनाथ ज़िले के ऊना में जो घटना हुई है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बेदिया गांव में गाय के मर जाने के बाद नाजाबाई दानाबाई ने टेलीफोन करके श्री वासाराम बजुभाई सरवैया को इसलिए बुलाया, ताकि वह उनकी मरी हुई गाय को ले जाए और बाकी की परंपरा का निर्वाह करे। एक 33 साल के नौजवान, वासाराम बजुभाई सरवैया, जो दसवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है, उसके पास और कोई रोजगार नहीं है। कोई भी आदमी इस प्रकार के रोजगार में तब तक नहीं लगता है, जब तक कि उसे वैकल्पिक रोजगार न मिल जाए। कौन-सा व्यक्ति असम्मानजनक कामों में लगना चाहता है? इसलिए वह अपनी जीविका का एकमेव उपाय जानकर ही वहाँ पर गया था। ऐसे और भी रोजगार हैं, जिनको हम करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लोग हज़ारों बरसों से उन कामों में लगे हुए हैं।

हमने महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना हुआ है। महर्षि वाल्मीकि इसलिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने रामायण ग्रंथ की संस्कृत में रचना की थी और वह भी संवेदना के आधार पर की थी। जब वे तमसा नदी के तट पर विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी को किसी शिकारी ने मार दिया है। तभी उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ ...(समय की घंटी)...

"मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती: समा:
यत् क्रौंच-मिथुनात् एकम्वदे काम-मोहितम्।"

ऐसा अपकार करने वाले के प्रति महर्षि वाल्मीकि जी की जो संवेदना थी, उस अनुष्ट पद से ही पूरी रामायण की रचना हो गई। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम का चरित्र लिखा। वे हमारे

[डॉ. सत्यनारायण जटिया]

लिए एक आदर्श हैं, लेकिन ऐसे आदर्श चरित्र को लिखने वाले वाल्मीकि समाज के प्रति हमारे मन में आज क्या भाव आता है? मैं यह नहीं कहता कि वाल्मीकि समाज के प्रति वह भाव ठीक है। वे वाल्मीकि जी, जो ऋषि थे, यदि हम उनका नाम लेकर इनको वाल्मीकि कहते हैं, तो उनको भी वह आदर और सम्मान मिलना चाहिए। परंतु क्या हम उन्हें वह आदर और सम्मान देते हैं?

ऐसे ही कबीर जी हुए थे। उन्होंने भी समय-समय पर ये सारी बातें कही थीं। उन बातों को कहने का सार यह है —

"कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर।
जो पर पीर न जाने, सो काफिर बेपीर॥

इसलिए जो पीर है, जो दूसरे की पीड़ा है, जो उसको जानता है, वही पीर हो सकता है, बिना पीड़ा जाने कोई कैसे पीर हो सकता है? रविदास जी ने भी कहा है —

"जात-पात के फेर में, उरझि रहे सब लोग,
मनुष्यता को खात भई, रविदास जात का रोग।"

सब संतों ने कहा है कि यह जाति प्रथा जानी चाहिए, पर यह जाति क्यों नहीं? कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, पता नहीं बताती है, कहीं से फिर आ जाती है और कुल मिला कर समस्या वहीं रह जाती है। भारत के संविधान में भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम सामाजिक न्याय देना चाहते हैं और भारत के समस्त नागरिकों को देना चाहते हैं। जैसा हमारी उद्देशिका में, Preamble में कहा गया है, "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:..." हम समस्त नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं। JUSTICE - social, economic and political; अब ऐसे न्याय को देने से किसने रोका है? किसके साथ धोखा हुआ? जब मिलता है मौका, तो लगाता है हर कोई चौका। इस तरह से यह बात नहीं बनने वाली है। इस बात को पूरा करने के लिए जो कानून बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, उसका पालन करने के लिए वैसे लोग भी चाहिए, वैसी मानसिकता भी चाहिए। इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आता है। इससे कानून का डर तो रहता नहीं है। जब कानून का डर नहीं रह गया, तो आप क्या करने वाले हैं? इसलिए मेरा कहना है कि देश में सामाजिक समता और समरसता के लिए फिर से एक नया आन्दोलन शुरू करना होगा।

"मानव-मानव में भेद नहीं, कर्म धर्म प्रधान है,
सामाजिक समता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है।"
"प्रतिबंध लगे हों जीने पर, समता का अधिकार नहीं,
उसका जीना भी क्या जीना, जिसको मानवाधिकार नहीं।"

इसलिए हमारे संविधान में जो कहा गया है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सबको समानता का अधिकार, इससे कम में समझौता कैसा, स्वर्ग-मोक्ष वह भी इनका। यदि हम इन लोगों के लिए

कुछ नहीं कर पाए, तो बाकी बातों को करने से क्या लाभ होने वाला है! इसलिए जिंदा कौम के लिए, जिंदा लोगों के लिए चुनौती है।

"जिंदा है, तो जिन्दगी की जीत पर यकीन कर,
है यदि कहीं स्वर्ग, उतार ला जमीन पर।"

इसलिए इन सारी बातों को करने के लिए उपाय हमें ही करने होंगे। समाज में मानसिकता का बदलाव लाने के लिए कौन उपाय करने वाला है! यदि इस सदन में एक राय बना कर हम इस उपाय को करने का संकल्प लेते हैं, तो अच्छा होगा। मैं सोचता हूँ कि इसके माध्यम से हमें संकल्प लेना चाहिए कि देश में जो सारी घटनाएँ हो रही हैं, कभी हरियाणा में होती हैं, कहीं केरल में होती है, कहीं कर्णाटक में होती होंगी, किसी और जगह होती होंगी, तो इन सारी घटनाओं पर इधर-उधर की बातें करके यदि हम समय गँवाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों के प्रति न्याय नहीं करेंगे। यदि हमें उन लोगों के प्रति न्याय करना है, तो हरेक को अपनी तरफ से इन सारी बातों को करना होगा, हमें सामाजिक न्याय तो देना ही होगा। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी प्रकार से जो गैर-बराबरी हो रही है, जैसे जन्म के आधार पर जाति बन जाती है, जहाँ जन्म हो गया, वही उसकी जाति हो गई और जाति के आधार पर ही उसका रोजगार हो गया। अभी कल बात करते हुए हमारी एक बहन ने कहा था कि यह जो जन्म के आधार पर जाति बनती है और जाति के आधार पर रोजगार बनता है, इस तरह परम्परागत रोजगार में लगे होने के कारण से वह जाति जाती नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जाति के आधार पर किसी को भी किसी भी रोजगार, धंधे या व्यवसाय के लिए कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा, परन्तु अवसर तो मिलना ही चाहिए न! इसलिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अन्दर "जन-धन योजना" के माध्यम से, "मुद्रा योजना" के माध्यम से नए-नए रोजगारों को देने के उपाय करके और जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग अपना रोजगार बदलना चाहते हैं, उनको पूरा अवसर देने का काम हुआ है। मैं जानता हूँ कि निश्चित रूप से इस सारे काम को करने के लिए कुछ समय चाहिए, किन्तु समय से पहले मानसिकता चाहिए और उस मानसिकता को ठीक करने का काम हमें करना होगा। ...(समय की घंटी)... आज इस अवसर पर निश्चित रूप से हम यह संकल्प करें कि इस प्रकार की किसी घटना के प्रति हमारी जो संवेदना है, हम उसको पहुँचाने का काम करें, क्योंकि मनुष्य के नाते हम ही इस काम को कर सकते हैं।

"मनुष्य तो वही, जो निर्जन में सृजन कर दे ।
है वही मनुष्य, जो निराशा में आशा भर दे।"
"निर्जन के सृजन में निराशा की आशा है,
और विवश के सामर्थ्य में वरण मृत्यु का है।"

इसलिए हम सब मिल कर एक संकल्प लेकर समाज में सामाजिक न्याय की अथवा विषमता की जो परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक न्याय देकर उनको दूर करें। मुझे इतना ही कहना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, believe me, I rise with my head hanging in shame to hear that everyday 18 *dalits* are killed. These are the

[Dr. K. Keshava Rao]

crime records. That might be an old record. But let the hon. Home Minister correct it because it could be more than that. There are 27 incidents every week. You are saying eight, it is wrong. In the last one decade, there is a 29 per cent increase of atrocities on *dalits*; it in turn means, it is not 29 per cent. I am trying to talk about in the last one decade, but every year it is on the increase. I am sure, the hon. Member, Shri Balwinder, said that we should not be bothered about one or two cases. Whether the atrocity is on one person or another person, it should mean all. But let me tell you, when the number is not one, but in thousands, then we all get shocked. Sometimes we become immune to all these things.

Sir, after hearing the hon. Members--and I am also conscious of my own time limit--let me tell you that I am absolutely frustrated, revolted because this kind of talk and rhetoric we have been hearing for the last 70 years with no improvement—whether Parliamentary debates or elections; whether it is seminar debates or college debates or whatever it is. The conditions of *dalits* in the street is the same as it was, if not worse. Then what exactly is wrong? I want the BJP think tank to revisit its own mind and conscience first. While intervening, the Minister had said one thing. The law is not equal to the changing dynamics of the society in the given complexities of socio-economic realities of India, and given the social order of Sanatana Dharma or what Dharma—I don't know because the God seems to be on leave, on a sick leave, on bed now. So, we still talk. While Shri Satyanarayana was talking about it, he had said all the things; I did not understand the entire thing, but I could understand that whatever is the caste system, it remains the same where it was despite all these. So, what exactly is the social order you are trying to talk? There is absolutely a conflicting thinking about the social order that the Constitution of India is thinking and the social order you have been thinking in the Sanatana Dharma. These are the conflicting two laws. The Constitution is nothing but a social law and there are the Dharmas that you brought in our law. So, this has to be solved.

When one of the Members said, “We, the people of India gave unto ourselves the Constitution”, which are these ‘we people’? I don't understand. These are a few of the handsome people speaking on behalf of all the 75 per cent people who have never seen the light of the day. We could not get them even the food. On ‘our’ behalf, we wrote this Constitution and made the system a prison of your earlier, atrocious, repressive laws and Dharmas. Why I am trying to say all these is, all your talks will fail unless you really understand the very essence of the new social order which one of the Members, Shri Satyanarayana, himself said on a socialist society. On the one hand you quoted the Purusha-Sookta; you have quoted the Sanatana Dharma; on the other hand, you quoted socialist society. All right; I am very happy that at least you have quoted that.

I want the hon. Home Minister, who has been present here, to let us know what exactly it is. We have been hearing this kind of statistics, etc. The very nature of atrocities are being perpetrated against the people are known to us. I don't need even to repeat. It is easy for me to repeat. I will not repeat because my conscience is bleeding, my heart is bleeding. It is very easy for you people to talk about a girl being raped. It is not that one girl has been raped. A gang rape is taking place and the entire police is present on TV and we get to see on TV. One day, the hon. Member Renukaji was a Minister then and I rang her up from Hyderabad drawing her attention to a particular TV slot wherein ten persons are dragging one girl, and the rape is shown on TV! What kind of state it is we are trying to talk about?

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

Let me first tell you that there are two issues before you. One issue is, why are we, all of a sudden, trying to speak about the issue? The Gujarat issue has provoked us to this debate. In Gujarat it is the first thing that has happened. It is an insult to all other States. It is an insult to the society which I belong. Mr. Derek will come and say, "It is historical that I am trying to tell you that this has happened." Sir, this history was repeated in the last 50 or 60 years of your age. We have stood it. I condemn it because it has happened with us. It is happening with us day-in-and-day out. But, what exactly the question today for the Government to think about is, — the new Government that has come; the new dispensation that is now in place — whether this is because of some kind of encouragement given to this kind of mindset wherein people think that they can indulge. As Dr. Satyanarayana said, they would go back to the *dharma*s and say that this can be done. This is one issue you must think about. The second issue that you must also think is, as the Minister for Social Justice said, there is a lacuna in the law because somebody is stripped and there is no law which quotes that; there is no section which quotes that. Although Section 3 of the SC/ST Prevention of Atrocities Act gives the details, but still it is wanting. If that be true, then get into that. The two Home Ministers are here. Please revisit the SC/ST Prevention of Atrocities Act. Don't try to tell me that it was done earlier, that the Ordinance expired on the 14th. You brought it, but for one year, you were silent on that. I am not getting into that controversy also. I am not trying to make a big speech. I want the Home Minister to understand the points that I am trying to make. The third thing is, मिश्री साहब से उनकी बहस हुई कि भाई, यह 17 तारीख को हुआ, 19 तारीख से गड़बड़ शुरू हुई। वह तो आप लोगों की, पार्लियामेंट की स्पीच की वजह से उनको एंक्रेजमेंट मिला, बराबर मिला है, हम कल तक सहमे थे। 17 तारीख को, 11 तारीख को जो हुआ, हमने सोचा, क्या हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, हम किस लिए पैदा हुए हैं? लोगों ने जब कुछ कहा, तो हमने सोचा कि देश हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, सोशलिज्म हमारे साथ है, पावर हमारे साथ है, इसलिए हम उठकर खड़े हुए।

[Dr. K. Keshava Rao]

अगर 19 तारीख को एजिटेशन शुरू हुआ, तो अंडरस्टैंड कर लीजिए कि 19 तारीख से हुआ, क्यों 11 तारीख से, क्यों 12 तारीख से नहीं हुआ? यह चीज आपको समझने की जरूरत है। अगर मायावती जी उठकर बोलती हैं, तो आप क्यों समझते हैं, चाहे वह मामला हैदराबाद का है या उत्तर प्रदेश का है? हम पुकारते हैं, क्यों? यह सोचने की कोशिश कीजिए। These are the few things you must understand. You must understand our psyche although we have understood your mindset. Sir, a poor man can become rich. A rich man can become poor. They can change, but their castes which you talk about — because you are quoting the entire thing from the *shastras* — are not changing. They remain like that. So, this is exactly what I am trying to say. I am not blaming this Government or that Government. Statistics have been given. I will not quote the statistics, but let me tell the Home Minister. Till today, cremation grounds are not available to the *dalits*. Till today, a Panchayati Raj officer is not available. Panchayat is where 30 per cent of these people get elected. If I start quoting the statistics, I will be repeating all those things. But let me tell you, it will really make a horrifying thing. Still in our schools — all of you have experience of schools of your States — it is practised where *dalits*, particularly, the lower caste *dalits* are asked to sit separately. Although in Telangana, in a few districts, two classes are given. This might look very small. I know, but when do we change is the question. We need to change. So, it is time that the Government here must think of these things. If the Minister thinks there is some lacuna or something is wanting or, there are some gaps in the law, say, Section 3 or Section 4 — Section 4 is stronger than Section 3 — it does require a re-visit. You must include all those things and the IPC must go along with that. There are some contradictions, not contradictions, but they are not in one pitch. So, the IPC must also be looked into. Sir, I do not want to take much time. I am really not able to speak. I may not be coherent; but many things conjure up. We have been seeing what has happened since 1974. So they conjure up in my mind. So, I am not able to speak. I am not coherent, but let me tell you, if you really want; one is law. You may tell us that you can do better. You may quote 7,000 or 8,000 year old ones. You may read your Vedas. Satyanarayanji, you may also tell me; you said, 'O God, give me strength to ward off evil.' That means there was evil 8000 years back, and we have been repeating it for the last 8000 years. But, evil has not gone and even today you have to pray for that. What has come in? A new law has come in the form of Constitution of India. Here, you say that the moment you lie or do an evil act you will be thrown into jail. I want to know whether you are able to implement it. That particular job of 'percept' and 'practice' has to go in tandem. So, a new agency — Ms. Mayavati suggested one thing — in the form of Fast Track Courts have to be established. The second thing is about evidence. You must amend provisions relating to evidence and Torts. You must have a change. So,

you relook at them. Here, when television shows you the entire thing about raping of women, atrocities on *dalits* and other things, you don't need any more evidence. There are 3-4 types of cases which are 'natural shames.' On these things, you need not look into legalities or the Evidence Act or Torts. So, you please think about it.

There are different perceptions in the minds of people about you. I might not agree with it. So, it is for you to call the groups or associations which are being named for such things. You talk to them. Whether it is RSS or other organizations, you talk to them. I don't know anything and I don't want to take names at all. These are the people whom you should mould and correct them, because the hon. Minister again said that how could we mould the people to stand and commit to the Constitution. That is in your hands, because, while law can be changed, you have to change the mind set of those people. You have to bring discipline in the party. You have to change the very organizational set up which will, perhaps, help us because this will go on and we will be able to fight it. Since hon. Home Minister is here, I would like to tell you that you can kick me, you can kill me, you can rape me, you can slap me, you can do anything and still you can say that 'law will take its own course.' But, when I pick up a *lathi*, I become a naxalite! I pick up a *lathi* and say you cannot do it, I become something else. Sir, in this very House, I always stand and revolt when there is some kind of a cause like this. This is the cause which we have discussed.

Sir, anyway, I thank you very much. Let the thinking might change in the BJP. Think of whatever the hon. Minister said. I am not saying any new things at all. You yourself have said that there are lacunae and you yourself have said that a vacuum has been created. So, think of that and act on that. Thank you very much.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मुझे भाषण नहीं करना है, दो-चार प्वाइंट्स उठाने हैं। मेरी अपनी पार्टी के, विपक्ष के बहुत ही अच्छे-अच्छे भाषण यहां हुए और चर्चा बहुत अच्छी हुई। चूँकि विषय इतना जरूरी था, important था कि जिस वातावरण में यह चर्चा हुई, तो मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस पूरी चर्चा को ढाई घंटे में बाँध कर नहीं रखा। ऐसे समय पर ढाई घंटे या कोई भी टाइम निर्धारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह देश का मामला है। मैं वही बात कोई पहली दफा नहीं बोल रहा हूँ। हम भी कह-कह कर थक गए और गवर्नमेंट भी सुन-सुन कर थक गई। मैं तो माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम इतना तो ये जरूर करते हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर के किसी विषय पर हमारी बात होती है या माइनॉरिटीज़ या एससी/एसटी पर बात होती है, तो ये तुरंत उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन शिकायत सरकार से है। उसमें गृह मंत्री जी अकेले नहीं हैं। उसमें सबसे ज्यादा जवाबदारी हमारे प्रधान मंत्री जी की है। यह एक विशेष पार्टी की सरकार है, तो उसके अध्यक्ष पर भी जिम्मेदारी है और उसके बाद मंत्रिमंडल की भी है, क्योंकि ये दोनों उनके हिस्से हैं, ब्रांचेज हैं।

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

आनन्द शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें कहीं। मैं उनको बताने वाला था कि इन्होंने हमारे मुँह से, दिल और दिमाग से वह बात कही। उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। इन्होंने कहा कि जो समाज है, वह टूट रहा है। मैं यह कहूँगा कि समाज टूट गया है, सोसायटी टूट गई है। अब यह बिल्कुल ही एक कच्चे धागे से बँधी हुई है। मैं यह नहीं कहता कि आज पहली दफा माइनोंरिटीज़ पर या दलित के साथ अथवा शैट्यूल्ड ट्राइबज़ के साथ ऐसी घटनाएँ हुई हैं। यह कई हजारों सालों से चलती आ रही है आजादी के बाद भी और आजादी से पहले भी। सिर्फ अंतर है। मैं भी 36 साल से, अहमद भाई तो एक-दो साल ज्यादा ही होंगे, और कई साथी यहां इस सदन में होंगे, हमने कभी इतना नहीं देखा कि छः-छः महीने बाद हमें जरूरत पड़ती है हाउस में चर्चा करने की। कभी 5 साल में, 10 साल में चर्चा होती थी। चाहे माइनोंरटी के बारे में, चाहे लॉ एंड आर्डर के बारे में या एससी, एसटी के बारे में। क्या वजह है कि दो साल के बाद, हर दो महीने के बाद, एक महीने के बाद ऐसी जरूरत महसूस हो रही है और किसी एक विशेष पार्टी की तरफ से नहीं, सभी पार्टियों की तरफ से चाहे वह डॉयरेक्टली, इनडॉयरेक्टली आपके साथ भी एसोसिएटेड क्यों न हो, उनको भी जरूरत महसूस होती है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ इस देश में एक नई बात हो गई है। कोई परिवर्तन हमारी सरकार में, सोच में आ गया। आप ही की छः साल सरकार थी अटल जी के वक्त में। लेकिन उस वक्त हमें इस बात की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो क्या वजह है कि आज उसी पार्टी की सरकार है, लेकिन आज हर 15 दिन के बाद इच्छा करती है, महसूस होता है कि अब चर्चा हो पार्लियामेंट के अंदर, देश के अंदर। तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ गड़बड़ हुई है। उसकी भी सोच में कुछ बदलाव आ गया है। मैं कम्पेयर नहीं करता हूँ कार्गेंस के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ। मैं आपकी पार्टी को आपकी पार्टी के साथ कम्पेयर कर रहा हूँ कि क्या हो गया ऐसा? Assimilation of society तो बहुत अच्छी बात है। यह dissemination of society वाला काम कब से हो गया कि सोसाइटी disseminate न हो। शैट्यूल्ड ट्राइब्स नाराज, एससी नाराज, क्रिश्चियंस जिनके साथ कुछ पहली शुरुआत उनके चर्चज से हो गयी थी, वे नाराज। माइनोंरटी देश के 20 परसेंट होते हैं। एससी, एसटी 20 या 25 परसेंट होते हैं। तो ये 40 से 45 परसेंट हैं तो 45 परसेंट को अगर हम, अगर सरकार नाराज करके... जो हम 24 घंटे विश्व में भी सुनते हैं माननीय प्रधान मंत्री जी के भाषण, यहां भी टेलीविजन पर सुनते हैं। हम टेलीविजन पर ही ज्यादा सुनते हैं या इलेक्शन में सुनते हैं, सदन में कम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। कहा जाता है कि आधुनिक भारत बनाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि कौन से विव में 40-46 परसेंट पॉपुलेशन को आइसोलेट करके, अलग करके आप विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, विश्व के सबसे बड़े आधुनिक देश और दुनिया के मजबूत देश बनेंगे। नहीं बनेंगे। मुझे गौरव है कि इस देश के चाहे अल्पसंख्यक हों, कोई भी अल्पसंख्यक हो, वह क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जैन हो, वहां से लेकर और हमारे दलित समाज के पिछड़े हुए वर्ग, चाहे वे झोंपड़ी में रहते हों या किसी के पास झोंपड़ी भी न हो, लेकिन जब भारत की एकता और अखंडता की बात आती है तो सब भारत के साथ खड़े रहते हैं, यह सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस ताकत को हम खुद भी कमजोर कर रहे हैं। एक बड़ा मुहावरा उर्दू का है, "अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दो"। तो यही काम इस सरकार में हो रहा है कि हम इस 125 करोड़ वाले भारत वाले शक्तिमान देश में जहां सब एक हैं, क्या वजह है कि इस सदन में हमें जरूरत कभी नहीं पड़ी कि कौन मुसलमान है, कौन शैट्यूल्ड कॉस्ट है, कौन शैट्यूल्ड ट्राइब्स है, कौन क्रिश्चियन है, कौन ब्राह्मण, राजपूत, कौन बैकवॉर्ड-फॉरवर्ड है? इकट्ठे खाते-पीते

हैं, लेकिन क्या वजह है कि जब हम यहां से बाहर जाते हैं, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। चाहे वह शैट्यूल्ड कॉस्ट, शैट्यूल्ड ट्राइब्स के साथ हो, चाहे वह क्रिश्चियंस के चर्च के साथ हो, चाहे मुसलमानों के साथ हो, चाहे वह गौरक्षा के नाम पर हो या यूनिवर्सिटी की किसी दूसरी चीज के नाम पर हो। क्या वजह है कि क्यों नहीं हम रोक पाते हैं? मैं टेलीविजन चैनल पर देखता हूँ। यह शायद हमारे साथियों ने कहा कि टेलीविजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर नहीं पड़ता है तो पीस टीवी क्यों बंद हो गया था? हमारे लीडर ऑफ दि हाउस ने कहा था कि टेलीविजन का..., तो फिर वे जो दूसरे टेलीविजन हैं, जो 24 घंटे, मैं यह नहीं कहता कि बंद क्यों हुआ, मैरिट पर हुआ या अन-मैरिट पर, हमने किया या आपने किया, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी, हमने किया या आपने किया, उसमें भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज जब मैं टेलीविजन खोलता हूँ, तो उसमें न्यूज नहीं होती है, बल्कि उसमें ताजमहल पर बहस चल रही होती है। एक विशेष दल से संबंध रखने वाले चार-पांच बुद्धिमान लोग उस पर इस तरह की बहस कर रहे होते हैं कि ताजमहल कब बना था, किस हिन्दू ने बनाया था, उसका नाम क्या था। आप शायद 2000 साल पुरानी बात में किसी को बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन 300 या 350 साल वाली तो आज की हिस्ट्री है, जिनके दादा, परदादा के परदादा तक जिंदा हैं। उसमें मैं एक-एक घंटे का इस तरह का प्रवचन सुनता हूँ कि किसने ताजमहल बनाया, उसमें कौन हिन्दू था, किस हिन्दू ने पैसा लगाया, इसको किस mason ने बनाया। उसके बाद लाल किले पर दूसरी बहस होती है कि इसको किस हिन्दू ने बनाया। समाज को तोड़ने वाली ये चीजें कुछ लोग, कुछ पार्टिज़ अपने ही देश के टेलीविजन पर करते हैं। इसी तरह से तो समाज टूटते हैं और कैसे टूटते हैं? फिर एक्शन किसी पर नहीं होता है। कोई किसी दलित को मार दे, किसी मुसलमान को मार दे, क्रिश्चियन का चर्च जला दे, लेकिन एक्शन नहीं होगा। हमारे वक्त में इस तरह की घटना होती थी, लेकिन एक्शन था, डर था, खौफ था, भय था कि इसको लीडरशिप बरदाश्त नहीं करेगी। अगर किसी मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री या होम मिनिस्टर को मालूम होगा, तो एक्शन होगा। मुझे माफ कीजिए, आज वह डर नहीं है, बल्कि यह खुश करने के लिए किया जाता है कि अगर हम यह करेंगे, तो हमें इनाम मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। लोग ये सब उसके लिए करते हैं। जब सरकार के बारे में, केंद्रीय सरकार के बारे में दलित, माइनॉरिटीज़, डिप्रेस्ड क्लासेज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में यह धारणा बन जाए, तो मैं समझूंगा कि यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं हमेशा खुदा से दुआ करता हूँ कि ये जो दुनिया की बीमारियां हैं, उनकी हमारे देश पर कहीं नज़र न लग जाए, लेकिन उसके लिए केंद्रीय सरकार को सबसे ज्यादा आगे आना होगा।

आनन्द शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन उन्होंने आधा ही बताया, शायद समय उनके पास कम था। इन्होंने कहा कि गुजरात में इतनी घटना हुई। शुरुआत अहमद पटेल जी ने की तथा बाकी साथियों ने यहां बोला, तो क्या वजह है कि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी को बहुत दुख और अफसोस है? मेरे ख्याल से प्रधान मंत्री जी हिन्दुस्तान के आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा बोलने वाले प्रधान मंत्री हैं। रेडियो, टेलीविज़न पर 'मन की बात' करते हैं, विदेश में बात करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, इस पर मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन गुजरात जल रहा है... अभी कश्मीर पर चर्चा हुई, तो माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत चिंतित थे, बहुत दुखी थे और उन्होंने विदेश से टेलीफोन किया और यहां आकर इस पर पहली मीटिंग ली। यह बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस पर विदेश से ही

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

8.00 P.M.

प्रधान मंत्री जी का पहला स्टेटमेंट आना चाहिए था कि मुझे बहुत दुख और अफसोस है और मैं सब पोलिटिकल पार्टिज़ और लोगों से कहूंगा कि शांति बनाए रखें। उसके बाद यहां आकर पहला प्रेस कांफ्रेंस के जरिए..... मैं यह नहीं कहूंगा कि इन हालात में वे वहां जाते, इसकी सलाह मैं नहीं दूंगा, लेकिन चौदह दिन से, मेरी जहां तक याददाश्त है, दो हफ्ते कभी बराबर कश्मीर घाटी में जो हिन्दुस्तान का सिर है, उस पर अभी तक इन 14 दिनों में यूएनए के कई स्टेटमेंट्स आए, अमेरिका के कई स्टेटमेंट आए, कई देशों के स्टेटमेंट आए, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जहां वे सब लोगों से अपील करें या माननीय प्रधान मंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और सबसे पूछें कि इसके लिए क्या हल निकालें? कश्मीर के लिए यह कोई साधारण चीज नहीं हुई है। हम और आप, इसको कोई साधारण बात न समझें। वहां पर 44-45 लोग मर चुके हैं और security forces और सिविलियन्स को मिलाकर तीन हजार से साढ़े तीन हजार लोग जख्मी हुए हैं। इसका मतलब है कि security forces और सिविलियन्स के बीच में वार चल रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने खुद बताया कि उन्नीस सौ कुछ सिविलियन्स जख्मी हुए हैं, लेकिन उसके बाद संख्या बढ़ कर दो हजार कुछ हो गई है। माननीय गृह मंत्री जी ने खुद बताया कि एक हजार कुछ security forces जख्मी हुए हैं, लेकिन वह और बढ़ गई है। तीन हजार कुछ तो माननीय गृह मंत्री जी ने बताया है, लेकिन unofficial तो 4005 है। अगर 4 हजार, 5 हजार या 3 हजार ...(व्यवधान)...

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: इस पर चर्चा हो चुकी है। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं वही बता रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ...(व्यवधान)... प्लीज़ ...(व्यवधान)... उसके बाद भी आपके नम्बर बढ़ जाएंगे। ...(व्यवधान)... आपने interrupt किया, वह आ जाएगा। प्लीज़... लेकिन आप खुद बोलते हैं कि इतने लोग जख्मी हुए। मैंने शुरू में प्रधान मंत्री जी को बधाई दी, लेकिन अब यह प्रधान मंत्री जी के हाथ की बात है। हमारे देश का सबसे sensitive State, जो कि बॉर्डर स्टेट है, उसकी situation इतनी खराब है। हमारा गुजरात इस वक्त जल रहा है। मायावती जी पर कल बीजेपी के एक लीडर ने जिस प्रकार की बात बताई, उस पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। माननीय प्रधान मंत्री जी को उसको भी condemn करना चाहिए। वे एक पोलिटिकल पार्टी की लीडर हैं, इस सदन की सदस्य हैं और वे चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, इसलिए उसका खंडन होना चाहिए। गुजरात पर क्या कार्रवाई होगी, यह बताया जाना चाहिए। हमारी ख्वाहिश थी कि माननीय प्रधान मंत्री जी आज आते और intervene करते, उनको एक मौका मिला था। जब कश्मीर पर चर्चा थी, तो उस समय माननीय प्रधान मंत्री आते, क्योंकि इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस सरकार को कोई फिर्क नहीं है। कश्मीर जलता है तो जले, दलित मरते हैं तो मरने दो, गुजरात जलता है तो जलने दो। यह जो धारणा है, माफ कीजिए, सरकार को इसे अपने दिल और दिमाग से निकालना चाहिए। अगर आप एक मजबूत भारत चाहते हैं, एक मजबूत देश चाहते हैं तो आप सबको लेकर चलिए। अगर आप सबको लेकर चलेंगे, तो इस देश को मजबूत करने के लिए, इसको आधुनिक बनाने के लिए हम सब आपके साथ हैं, लेकिन यह आप पर जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे आगे चलाएँ। माननीय उपसभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

† قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) : مائنٹے ڈپٹی چیئرمین صاحب، مجھے بھاشن نہیں کرنا ہے، دو چار پوائنٹس اٹھانے ہیں۔ میری اپنی پارٹی کے، ویکش کے بہت ہی اچھے اچھے بھاشن یہاں ہوئے اور چرچا بہت اچھی ہوئی۔ چونکہ موضوع اتنا ضروری تھا، امپورٹینٹ تھا کہ جس ماحول میں یہ چرچا ہوئی، تو میں آپ تینیں بھی ابھار پرکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس پوری چرچا کو ڈھائی گھنٹے میں باندھ کر نہیں رکھا۔ ایسے وقت پر ڈھائی گھنٹے یا کوئی بھی ٹائم نردھارت نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ یہ دیش کا معاملہ ہے۔ میں یہی بات کوئی پہلی دفعہ نہیں بول رہا ہوں۔ ہم بھی کہہ کر تھک گئے اور گورنمنٹ بھی سن سن کر تھک گئی۔ میں تو مائنٹے گرہ منتری جی کے تینیں ابھار پرکٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا تو یہ ضرور کرتے ہیں کہ جب لاء اینڈ آرڈر کے کسی موضوع پر ہماری بات ہوتی ہے یا مائنارٹیز یا ایس۔سی۔/ایس۔ٹی۔ پر بات ہوتی ہے، تو یہ فوراً اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن شکایت سرکار سے ہے۔ اس میں گرہ منتری جی اکیلے نہیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ جواب دہی ہمارے پردھان منتری جی کی ہے۔ یہ ایک خاص پارٹی کی سرکار ہے، تو اس کے ادھیکش پر بھی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد منتری منڈل کی بھی ہے، کیوں کہ یہ دونوں ان کے حصے ہیں، برانچیز ہیں۔

آنند شرما جی نے بہت اچھی باتیں کہیں۔ میں ان کو بتانے والا تھا کہ انہوں نے ہمارے منہ سے، دل و دماغ سے یہ بات کہی۔ اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ جو سماج ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ سماج ٹوٹ گیا ہے، سوسائٹی ٹوٹ گئی ہے۔ اب یہ بالکل ہی ایک کچے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج پہلی دفعہ مائنارٹیز پر یا دلت کے ساتھ اور شیڈول ٹرانز کے ساتھ ایسی گھٹناتیں ہونی ہیں۔

یہ کئی ہزار سالوں سے چلتی آرہی ہے آزادی کے بعد بھی اور آزادی سے پہلے بھی۔ صرف فرق ہے۔ میں بھی 36 سال سے، احمد بھائی تو ایک دو سال زیادہ ہی ہونگے، اور کئی ساتھی یہاں اس سدن میں ہوں، ہم نے کبھی اتنا نہیں دیکھا کہ چھ مہینے بعد ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہاؤس میں چرچہ کرنے کی۔ کبھی پانچ سال میں، دس سال میں چرچہ ہوتی تھی۔ چاہے مائنارٹی کے بارے میں، چاہے لاء اینڈ آرڈر کے بارے میں یا ایس سی، ایس ٹی کے بارے میں، کیا وجہ ہے کہ دو سال کے بعد، ہر دو مہینے کے بعد، ایک مہینے کے بعد ایسی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور کسی ایک خاص پارٹی کی طرف

† Transliteration in Urdu script.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

سے نہیں، سبھی پارٹی کی طرف سے چاہے وہ ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی آپ کے ساتھ بھی ایسوسی ایٹڈ کیوں نہ ہوں، ان کو بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اس دیش میں ایک نئی بات ہوگئی ہے۔ کوئی تبدیلی ہماری سرکار میں، سوچ میں آگئی۔ آپ ہی کی چھ سال سرکار تھی اٹل جی کے وقت میں۔ لیکن اس وقت ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج اسی پارٹی کی سرکار ہے، لیکن آج ہر پندرہ دن کے بعد اچھا کرتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اب چرچہ ہو پارلیمنٹ کے اندر، دیش کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی کچھ گڑبڑ ہوا ہے۔ اس میں بھی سوچ میں کچھ بدلاؤ آگیا ہے۔ میں کمپنیر نہیں کرتا ہوں کانگریس کے ساتھ یا دوسری پارٹیوں کے ساتھ۔ میں آپ کی پارٹی کو آپ کی پارٹی کے ساتھ کمپنیر کر رہا ہوں کہ کیا ہوگیا ایسا، assimilation of society، تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ dissemination of society والا کام کب سے ہوگیا کہ سوسائٹی disseminate نہ ہو۔ شیڈیولڈ ٹرائبس ناراض، ایس سی وہ ناراض۔ ماننارٹی دیش کے بیس فیصد ہوتے ہیں۔ ایس سی، ایس ٹی بیس یا پچیس فیصد ہوتے ہیں۔ تو یہ چالیس سے پینتالیس فیصد کو اگر ہم، اگر سرکار ناراض کرکے..... جو ہم چوبیس گھنٹے وشو میں سنتے ہیں ماننے پر دھان منتری جی کے بھاشن، یہاں بھی ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں۔ ہم ٹیلی ویژن پر ہی زیادہ سنتے ہیں یا الیکشن میں سنتے ہیں، سدن میں کم سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آدھونیک بھارت بنایا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کون سے وشو میں 40-46 فیصد پاپولیشن کو آنیسیالیٹ کرکے، الگ کرکے آپ وشو کی سب سے بڑی اکانامی بنیں گے۔ وشو کے سب سے بڑے آدھونیک دیش اور دنیا کے مضبوط دیش بنیں گے۔ نہیں بنیں گے۔ مجھے فخر ہے اس دیش کے چاہے ماننارٹی ہو، کوئی بھی ماننارٹی ہو وہ کرشچنین ہو، مسلم ہو، جین ہو، وہاں سے لیکر اور ہمارے دلت سماج کے پچھڑے ہونے لوگ چاہے وہ جھونپڑی میں رہتے ہوں یا کسی کے پاس جھونپڑی بھی نہ ہو، لیکن جب بھارت کی ایکٹا اور اکھنڈتا کی بات آتی ہے تو سب بھارت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن اس طاقت کو ہم خود بھی کمزور کر رہے ہیں۔ ایک بڑا محاورہ اردو کا ہے، ”اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دو“۔ تو یہی کام اس سرکار میں ہو رہا ہے کہ ہم اس

125 کروڑ والے بھارت شکتی مان دیش میں جہاں سب ایک ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس سدن میں ہمیں ضرورت کبھی نہیں پڑی کہ کون مسلمان ہے، کون شیڈیولڈ کاسٹ ہے، کون شیڈیولڈ ٹرائبس ہے، کون کرشچنین ہے، کون برہمن، راجپوت، کون بیک ورڈ، فارورڈ ہے۔ اکتھے کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں، اس طرح کی گھنٹائیں ہو جاتی ہیں۔ چاہے وہ شیڈیولڈ کاسٹ، شیڈیولڈ ٹرائبس کے ساتھ ہو، چاہے وہ

کرشچنین کے چرچ کے ساتھ ہو، چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ گز رکشا کے نام پر ہو یا یونیورسٹی کی کسی دوسری چیز کے نام پر ہو۔ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہم روک پاتے ہیں؟ میں ٹیلی ویژن چینل دیکھتا ہوں۔ یہ شاید ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن کا کوئی پرہیز نہیں پڑتا ہے۔ اگر نہیں پڑتا ہے تو پیس ٹی وی کیوں بند ہو گیا تھا؟ ہمارے لیٹر آف دی ہاؤس نے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن کا...، تو پھر وہ جو دوسرے ٹیلی ویژن ہیں، جو چوبیس گھنٹے، میں یہ نہیں کہتا کہ بند کیوں ہوا، میرٹ پر ہوا یا آن میرٹ پر۔ ہم نے کیا یا آپ نے کیا میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں۔

مائنے گرہ منتری جی، ہم نے کیا یا آپ نے کیا، اس میں بھی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آج جب میں ٹیلی ویژن کھولتا ہوں، تو اس میں نیوز نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں تاج محل پر بحث چل رہی ہوتی ہے۔ ایک خاص پارٹی سے سمبندھ رکھنے والے چار-پانچ عقلمند لوگ اس پر اس طرح کی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ تاج محل کب بنا تھا، کس ہندو نے بنایا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ آپ شاید دو ہزار سال پرانی بات میں کسی کو بدھو بنا سکتے ہیں، لیکن 300 یا 350 سال والی تو آج کی ہسٹری ہے، جن کے دادا، پردادا کے پردادا تک زندہ ہیں۔ اس میں، میں ایک ایک گھنٹے کا اس طرح کا پروجن سنتا ہوں کہ کس نے تاج محل بنایا، اس میں کون ہندو تھا، کس ہندو نے پیسہ لگایا، اس کو کس mason نے بنایا۔ اس کے بعد لال قلعہ پر دوسری بحث ہوتی ہے کہ اس کو کس

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

ہندو نے بنایا۔ سماج کو توڑنے والی یہ چیزیں کچھ لوگ، کچھ پارٹیز اپنے ہی دیش کے ٹیلی ویژن پر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تو سماج ٹوٹتے ہیں اور کیسے ٹوٹتے ہیں؟ پھر ایکشن کسی پر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کسی دلت کو مار دے کسی مسلمان کو مار دے، کرشن کا چرچ جلا دے، لیکن ایکشن نہیں ہوگا۔ ہمارے وقت میں اس طرح کی گھٹنا ہوتی تھی، لیکن ایکشن تھا، ڈر تھا، خوف تھا، بھنے تھا کہ اس کو لیڈر شپ برداشت نہیں کرے گی۔ اگر کسی مکھ منتری، پردھان منتری یا ہوم منسٹر کو معلوم ہوگا تو ایکشن ہوگا۔ مجھے معاف کیجئے، آج وہ ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ خوش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے، تو ہمیں انعام ملے گا، پرموشن ملے گا۔ لوک یہ سب اس کے لئے کرتے ہیں۔ جب سرکار کے بارے میں، کیندر سرکار کے بارے میں دلت، مائنا رٹیز، ڈپریسڈ کلاسز اور شیڈول ٹرائبس میں یہ دھارنا بن جائے، تو میں سمجھوں گا کہ یہ دیش کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے۔ میں ہمیشہ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو دنیا کی بیماریاں ہیں، ان کی ہمارے دیش پر کہیں نظر نہ لگ جائے، لیکن اس کے لئے کیندر سرکار کو سب سے زیادہ آگے آنا ہوگا۔

آند شرما جی نے بہت اچھا بتایا، لیکن انہوں نے آدھا ہی بتایا، شاید وقت ان کے پاس کم تھا۔ انہوں نے کہا کہ گجرات میں اتنی گھٹنا ہوئی۔ شروعات احمد پٹیل جی نے کی اور باقی ساتھیوں نے یہاں بولا، تو کیا وجہ ہے کہ مائنے منتری جی کہتے ہیں کہ پردھان منتری جی کو بہت دکھ اور افسوس ہے؟ میرے خیال سے پردھان منتری ہندوستان کی آزادی کے بعد سب سے زیادہ بولنے والے پردھان منتری ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن پر 'من کی بات' کرتے ہیں، ودیش میں بات کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس پر میرا کوئی وردھہ نہیں ہے، لیکن گجرات جل رہا ہے۔۔۔ ابھی کشمیر پر چرچا ہوئی، تو مائنے گرہ منتری جی نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب بہت فکر مند تھے، بہت دکھی تھے اور انہوں نے ودیش سے ٹیلی فون کیا اور یہاں آکر اس پر پہلی میٹنگ لی۔ یہ بہت اچھا

اور انہوں نے ودیش سے ٹیلی فون کیا اور یہاں آکر اس پر پہلی میٹنگ لی۔ یہ بہت اچھا کیا، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ اس پر ودیش سے ہی پردھان منتری جی کا پہلا اسٹیٹمینٹ آنا چاہئے تھا کہ مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے اور میں سب پولیٹیکل پارٹیز اور لوگوں نے کہوں گا کہ شانتی بنائے رکھیں۔ اس کے بعد یہاں آکر پہلا پریس کانفرنس کے ذریعے ... میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان حالات میں وہ وہاں جاتے، اس کی صلاح میں نہیں دوں گا، لیکن چودہ دن سے، میری جہاں تک یادداشت ہے، دو ہفتے ابھی برابر کشمیر گھاٹی میں، جو ہندوستان کا سر ہے، اس پر ابھی تک ان 14 دنوں میں یو۔این۔اے کے کئی اسٹیٹمنٹس آئے، امریکہ کے کئی اسٹیٹمنٹس آئے، کئی دیشوں کے اسٹیٹمنٹ آئے، لیکن ہمارے پردھان منتری جی کا ایسا کوئی اسٹیٹمینٹ نہیں آیا، جہاں وہ سب لوگوں سے اپیل کریں یا مائٹے پردھان منتری جی آل پارٹی میٹنگ بلانیں اور سب سے پوچھیں کہ اس کے لئے کیا حل نکالیں؟ کشمیر کے لئے یہ کوئی عام چیز نہیں ہوئی ہے۔ ہم اور آپ، اس کو کوئی عام بات نہ سمجھیں۔ وہاں پر 44-45 مر چکے ہیں اور سیکورٹی فورسز اور سویلینس کو ملاکر تین ہزار سے ساڑھے تین ہزار لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکورٹی فورسز اور سویلینس کے بیچ میں وار چل رہا ہے۔ مائٹے گرہ منتری جی نے خود بتایا کہ انیس سو کچھ سویلینس زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد تعداد بڑھ کر دو ہزار کچھ ہو گئی ہے۔ مائٹے گرہ منتری جی نے خود بتایا کہ ایک ہزار کچھ سیکورٹی فورسز زخمی ہوئے ہیں، لیکن وہ اور بڑھ گئی ہے۔ تین ہزار کچھ تو مائٹے گرہ منتری جی نے بتایا ہے، لیکن ان-افیشل تو 4005 ہے۔ اگر چار ہزار، پانچ ہزار یا تین ہزار ... (مداخلت)۔

وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور (جناب مختار عباس نقوی) : اس پر چرچا ہو چکی ہے ... (مداخلت)۔

جناب غلام نبی آزاد : میں وہی بتا رہا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں ... (مداخلت)۔

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

پلیز... (مداخلت)۔ اس کے بعد بھی آپ کے نمبر بڑھ جائیں گے... (مداخلت)۔ آپ نے انٹریٹ کیا، وہ آجائے گا۔ پلیز... لیکن آپ خود بولتے ہیں کہ اتنے لوگ زخمی ہوئے۔ میں نے شروع میں پردھان منتری جی کو بدھائی دی، لیکن اب یہ پردھان منتری جی کے ہاتھ کی بات ہے۔ ہمارے دیش کا سب سے سینسٹو اسٹیٹ، جو کہ ہارڈ اسٹیٹ ہے، اس کی سچویشن اتنی خراب ہے۔ ہمارا گجرات اس وقت جل رہا ہے۔ مایاوتی جی پر کل بی۔جے۔پی۔ کے ایک لیڈر نے جس طرح کی بات بتائی، اس پر بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ مائنے پردھان منتری جی کو اس کو بھی کنڈیمن کرنا چاہئے۔ وہ ایک پولیٹکل پارٹی کی لیڈر ہیں، اس سدن کی ممبر ہیں اور وہ چیف منسٹر بھی رہی ہیں، اس لئے اس کا کھنڈن ہونا چاہئے۔ گجرات پر کیا کارروائی ہوگی، یہ بتایا جانا چاہئے۔ ہماری خواہش تھی کہ مائنے پردھان منتری جی آج آئے اور انٹروین کرئے، ان کو ایک موقع ملا تھا۔ جب کشمیر پر چرچا تھی، تو اس وقت مائنے پردھان منتری آئے، کیوں کہ اس سے بڑا کوئی پلٹ فارم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس سرکار کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کشمیر جلتا ہے تو جلے، دلت مرتے ہیں تو مرنے دو، گجرات جلتا ہے تو جلنے دو۔ یہ جو دھارنا ہے، معاف کیجئے، سرکار کو اسے اپنے دل و دماغ سے نکالنا چاہئے۔ اگر آپ ایک مضبوط بھارت چاہتے ہیں، ایک مضبوط دیش چاہتے ہیں تو آپ سب کے لیکر چلئے۔ اگر آپ سب کو لیکر چلیں گے، تو اس دیش کو مضبوط کرنے کے لئے، اس کی جدید بنانے کے لئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کیسے آگے چلائیں۔ مائنے اپ سبھا پتی جی، بہت بہت دھنیواد۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Home Minister. ...(Interruptions)... Six hours discussion, from two to eight! Marathon discussion! ...(Interruptions)...

AN HON. MEMBER: Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; I must thank you all. Everybody cooperated. ...(Interruptions)... Yes, Mr. Minister.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): डिप्टी चेयरमैन सर, मैं यह फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं दलित atrocities पर बोलूँ या कश्मीर की सिचुएशन पर बोलूँ। यह समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि recent *dalit* atrocities पर जो चर्चा हो रही थी, उस छः घंटे की चर्चा में लगभग 34 सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया है। मैं यहां पर सबके नामों की चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि लम्बा समय गुजर गया है। इस विषय पर जो चर्चा प्रारंभ हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण गुजरात में हाल ही में हुई एक घटना थी। उस घटना के परिणामस्वरूप, चाहे लोक सभा हो या राज्य सभा हो, यह फैसला हुआ कि देश में दलित atrocities बढ़ रही हैं, इसलिए उन पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए।

उपसभापति महोदय, मैं गुजरात की घटना के बारे में कहना चाहूँगा कि वहां जो भी घटना हुई है, उसकी जितनी भी निन्दा की जाए, वह कम है। वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृद्धि इस देश में नहीं होनी चाहिए। मैं ही ऐसा सोचता हूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि सदन के सभी सदस्य मेरी इस बात से सहमत हैं और देश का कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को जस्टिफाई नहीं करेगा। मैं यह भी मानता हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएँ होती हैं, वे देश, समाज और मानवता के लिए कलंक हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आप खड़े होकर मेरे ऊपर यह कह दें कि जब से दो वर्षों से आपकी सरकार बनी है, तब से दलित atrocities की घटनाएँ बढ़ी हैं, फिर मैं कह दूँ कि आपके पिछले 10 वर्षों के अंदर इतनी दलित atrocities की घटनाएँ हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह समस्या का समाधान नहीं है। यह "हाउस ऑफ एल्डर्स" है, क्या हम यहां की परम्पराओं को नहीं बदल सकते हैं? क्या हम यह तय नहीं कर सकते कि इस प्रकार के राष्ट्रीय हित, national interest से जुड़ा यदि कोई भी सवाल हो, तो उस पर एक बार हम दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर भी चर्चा करें? मैं अपने मित्रों के साथ अभी यही चर्चा कर रहा था कि मैं क्या बोलूँ? क्या मैं यह कहूँ कि कांग्रेस के शासनकाल में दलितों के ऊपर 39,000, 48,000 अत्याचार हुए, माइनॉरिटीज के ऊपर इतने अत्याचार हुए? क्या मैं यह बोलूँ और वे हमें कहें कि इतने अत्याचार हुए।

अब गुजरात की घटना की चर्चा हो रही है तो मैं आंकड़े देख रहा था। मैं सचमुच इन आंकड़ों की भी यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन एक नज़ीर के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं 2015 के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं पीछे नहीं ले जाऊंगा, पीछे के भी आंकड़ों को यदि मैं देखूंगा या कोई भी देखेगा तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि घटनाएं तो हुई हैं, केवल गुजरात में नहीं हुई हैं, देश के लगभग सभी राज्यों में कुछ न कुछ घटनाएं हुई हैं। मैं कुछ सम्माननीय सदस्यों को देख रहा था — हमारे अहमद भाई भी बोल रहे थे, वे हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। शरद यादव जी गुजरात का नाम लेते थे, महाराष्ट्र का लेते

[श्री राजनाथ सिंह]

थे, हरियाणा का लेते थे और उसके बाद चुप हो जाते थे। मैं उसके आगे नहीं जाता, यहां मैं गुजरात के बारे में ही बतलाना चाहता हूं कि 2015 में गुजरात में मर्डर की जो घटनाएं हुई हैं, वे 13 हैं, रेप की 35 हैं और टोटल incidents जो हुए हैं, वे 979 हैं।

श्री अहमद पटेल (गुजरात): एफआईआर दर्ज नहीं हो रही।

श्री राजनाथ सिंह: देखिए, अब कह दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। ...**(व्यवधान)**...

श्री अहमद पटेल: यही वास्तविकता है।

श्री राजनाथ सिंह: अब जो कुछ भी है। ...**(व्यवधान)**... ये हमारे आंकड़े नहीं हैं। ये सारे आंकड़े National Crime Records Bureau के आंकड़े हैं। इसी तरह बिहार के बारे में बताऊं। हमारे शरद भाई यहां पर नहीं हैं। यदि वे होते तो देखते। उन्होंने बिहार का नाम नहीं लिया था, लेकिन बिहार में 2015 में, केवल एक साल में 78 मर्डर हुए, रेप के 42 incidents हुए और टोटल 6,367 incidents हुए। उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। इसी तरह कर्णाटक में एक साल में, within a year, मर्डर के 44, रेप के 58 और टोटल 1,852 incidents हुए। उत्तर प्रदेश में 2015 में, within a year मर्डर के 204, रेप के 444 और टोटल 8,357 के सेज़ हुए। मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा, शेष आंकड़े मैं यहां पर प्रस्तुत नहीं करूंगा क्योंकि सचमुच मुझे संकोच हो रहा है, मुझे खुद भी तकलीफ हो रही है कि आज़ादी हासिल हुए 70 वर्षों का समय गुज़र गया, लेकिन आज भी हम ऐसे हालात पैदा नहीं कर पाए। जो घटनाएं मानवता के लिए कलंक होती हैं, उन घटनाओं को हम या तो minimize कर सकें अथवा उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर सकें। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह एक प्रकार का mindset है, एक मानसिकता है और यह मानसिकता विकृत मानसिकता है। इस विकृत मानसिकता में बदलाव लाने का काम केवल नियम और कानूनों से नहीं हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है। हमें समाज के अंदर जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, moral values, नैतिक मूल्यों के प्रति लोगों के अंदर आस्था पैदा करनी होगी और यह काम केवल political parties के द्वारा नहीं हो सकता अथवा रूनिंग पार्टी के द्वारा ही नहीं हो सकता, बल्कि मैं यह मानता हूं कि इसमें देश की जो social, cultural और दूसरी बहुत सारी organizations हैं, उन्हें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। हमारा यह कहना है कि सभी political parties का एक कार्यक्रम यह होना चाहिए। यदि मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि अन्य पार्टियां नहीं करतीं, मैं कलंकित नहीं करना चाहता, किसी को दोष नहीं देना चाहता। जैसे पहले भी एक राजनैतिक पार्टी के रूप में हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम अपने हाथ में लिए थे। हम काम लेते थे तो करते थे कि दलितों के लिए हमें क्या करना है, बस्तियों में जाना, सेवा करना, लोगों को बिठाना, अन्य काम करना। कहीं पर कार्यक्रम अधिक होते थे और कहीं पर कम होते थे। मैं समझता हूं कि इस देश की सामाजिक और सांस्कृतिक, social and cultural organizations तो इस ज़िम्मेदारी को संभालें ही... साथ ही साथ पोलिटिकल पार्टीज भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अपने हाथ में लें, क्योंकि हमारी यह मान्यता है कि आज़ादी हासिल होने के बाद राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति जन-सामान्य में जो पहले आस्था, श्रद्धा हुआ करती थी, उसमें काफी गिरावट आयी है।

यह जो credibility का loss हुआ है, crisis of credibility जो अब देश में पैदा हुई है, उसको भी हम सभी लोग मिलकर चुनौती के रूप में स्वीकार करें। इस crisis of credibility को हम चैलेंज के रूप में तभी स्वीकार करेंगे, जब हमारी इमेज जनता के बीच केवल एक पोलिटिकल वर्कर के रूप में नहीं होगी, बल्कि एक सोशियो पोलिटिकल वर्कर के रूप में उभर कर आएगी, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उभर कर आएगी। यह मैं अपनी तरफ से एक सुझाव देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यह कहा है।

देश की जनता के माइंडसेट में यदि हम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लेने होंगे, तभी हम उनकी मानसिकता में परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे यहां पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी थे, जो गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित के लिए कहते थे कि इन्हें दलित मत कहो, ये "दरिद्रनारायण" हैं। इनके अंदर नारायण को देखो, इनके अंदर परमात्मा को देखो, इनमें भगवान को देखो और वे इस रूप में कार्यकर्ताओं को inspire करते थे, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते थे कि इस रूप में उन्हें अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

मैं एक घटना बताता हूँ। इसी सदन के एक सम्मानित सदस्य उत्तराखंड राज्य से रहे हैं। आप सरकार की बात छोड़िए कि वह कांग्रेस की है या किसकी है। एक मंदिर में दलितों का प्रवेश नहीं हो रहा था। तरुण विजय जी इसी सदन के सदस्य रहे हैं। तरुण विजय जी ने दलितों को अपने साथ लिया और दलितों को लेकर वे मंदिर में प्रवेश करने गए। उनको इतनी ज्यादा चोट लगी कि अगर उनको थोड़ी और गहरी चोट लगी होती, तो वे शायद आज दुनिया में न होते। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की आवश्यकता है। ऐसे लोगों द्वारा काम करने की जरूरत है। हम लोग क्यों फिजिकल वॉयलेंस की बात करते हैं? ...(व्यवधान)... मैं केवल फिजिकल वॉयलेंस को लेकर ही चिंता व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): डिप्टी चेयरमैन सर, मैं उत्तराखंड से हूँ, जिनकी आप बात कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't interrupt, please. ...(Interruptions)... Let him finish. ...(Interruptions)... It is not necessary; we already had a six-hour discussion. ...(Interruptions)... Tamtaji, sit down. ...(Interruptions)...

श्री प्रदीप टम्टा: माननीय मंत्री जी, जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, उस मंदिर में, मैं एक हफ्ते पहले होकर आया हूँ। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. ...(Interruptions)... What is this? ...(Interruptions)...

श्री प्रदीप टम्टा: जो बुनियादी सवाल है ...(व्यवधान)... यह मेरे राज्य का सवाल है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...(Interruptions)... It is not going on record. ...(Interruptions)... It is not going on record. ...(Interruptions)...

श्री प्रदीप टम्टा:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this at this point of time? ...(*Interruptions*)...

श्री प्रदीप टम्टा: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tamtaji, it is not going on record. ...(*Interruptions*)... We had a six-hour discussion. What do you want to say now? ...(*Interruptions*)... There is nothing more to be said. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रदीप टम्टा: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रदीप टम्टा: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Minister, you please continue. ...(*Interruptions*)... मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री राजनाथ सिंह: मैं यह अनुरोध कर रहा था कि हम लोगों को केवल फिजिकल वॉयलेंस की ही चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं मानता हूँ कि verbal abuses भी व्यक्ति को अपमानित करते हैं, व्यक्ति को आहत करते हैं। अगर हम किसी के लिए मौखिक शब्दों का प्रयोग करें। कल बहन मायावती जी के साथ जो कुछ हुआ, उसके संबंध में हमारे इस सदन के नेता श्री अरुण जेटली जी खेद व्यक्त कर चुके हैं और उनको जो भी कहना चाहिए, वह उन्होंने कहा है। कल ज्यों ही मुझे इस बात की जानकारी मिली, तब से सचमुच मैं भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जात, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब को मानने वाली माता हो, बहन हो, बेटी हो, वह हर हिन्दुस्तानी की मां, बहन, बेटी होती है। केवल हिन्दुस्तान की ही मां, बहन, बेटी नहीं होती है, बल्कि हम तो सचमुच विश्व के लोग हैं, दुनिया के दूसरे देशों के रहने वाले लोगों को भी हम उसी नजरिए से देखते हैं, यह मान्यता भारत की रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की हरकत करने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी समाज को condemn करना चाहिए।

अब मैं कुछ कार्यक्रम जो हमारी सरकार ने हाथ में लिए हैं— लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, लोगों के अंदर भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता रहती है, future को लेकर जो uncertainty रहती है, उससे निजाद दिलाने के लिए। देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं करेगा। किसी प्रधान मंत्री ने एक बार पहले भी ऐसा किया है। कितनी सफलता मिली, नहीं मिली, इसका तो भविष्य में ही मूल्यांकन होगा। मैं यहां दावा नहीं करना चाहता कि हमको इसमें 100 per cent कामयाबी मिल गई है। पहली बार देश के गरीबों को भी यह अधिकार दिलाने में हम लोगों को किसी न किसी हद तक यह कामयाबी हासिल हुई है कि अब देश का सबसे गरीब व्यक्ति जो बैंक का चमचमाता हुआ दरवाजा देखकर, उसकी

*Not recorded.

तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, अब वह भी साहस जुटाकर बैंक के अंदर जा सकता है। उस गरीब व्यक्ति को प्रधान मंत्री ने "जन-धन योजना" से जोड़ा है। ...**(व्यवधान)**... देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा के साथ जोड़ने का काम किया है। Stand-up India का कार्यक्रम केवल SC और ST नौजवानों के लिए है। उन्हें कम से कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराना ...**(व्यवधान)**... मैं बैठ जाऊँ ? मैं yield करने को तैयार हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: ये सक्षम हैं और इनको बैसाखी की जरूरत नहीं है, ये देश के गृह मंत्री हैं। मुझे केवल एक बात कहनी है। यह basic bank saving accounts की जो स्कीम थी, यह प्रणब मुखर्जी ने 2011 में आरम्भ की थी। यह सही बात है कि उस वक्त 17 करोड़ खाते खुले थे। यह भी सही है कि आपके आने के बाद उसका नाम बदलकर "जन-धन योजना" रखा गया और ज्यादा खाते खुले हैं। चिंता का विषय यह है। अभी कल के अखबार में आया कि zero balance के खाते पड़े हैं। उसमें जो पैसा कहा था— 2,000/5,000 वह अभी गया नहीं है।

एक बात यह है कि उनका money laundering से दुरुपयोग हो रहा है। मुम्बई में केस पकड़े गए हैं, क्योंकि गरीब लोगों के खाते खुले हैं, एजेंसीज ने उनको पकड़ा है। मैं दूसरी बात तो आपसे कहूँगा नहीं, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि वह 15 लाख का तो जुमला था।

श्री राजनाथ सिंह: डिप्टी चेयरमैन सर, मैंने एक Stand-up India कार्यक्रम की चर्चा की है कि सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि कम से कम एक SC और ST और एक महिला को वे कर्ज मुहैया कराएंगे, ताकि वे अपना कोई अच्छा खासा बड़ा उद्योग खड़ा कर सकें। इसकी सवा लाख ब्रांचें हैं। अब सवा लाख को 3 से multiply कर दीजिए तो यह सख्या लगभग चार लाख के आसपास पहुंचती है।

मैं समझता हूँ कि सर्वेदनशील प्रायः हर व्यक्ति होता है। क्यों, गुलाम नबी भाई? सर्वेदनशील तो आप भी हैं, लेकिन एक काम जो हमारी सरकार ने किया है, वह LPG गैस कनेक्शन का। क्या कभी लकड़ी जलाकर खाना बनाने वाली माता, बहनें सोच सकती थीं कि उनको भी खाना बनाने के लिए गैस कनेक्शन मिलेगा? इसको मुहैया करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: उसके बारे में भी कल आया है कि 23 हजार उधर का है और उसमें सिर्फ दो हजार का फायदा हुआ है।

جناب غلام نبی ازاد: اس کے بارے میں بھی کل آیا ہے کہ 23 ہزار ادھر کا ہے اور اس میں صرف دو ہزار کا فائدہ ہوا ہے۔

श्री राजनाथ सिंह: चलिए, सब यदि पिछली सरकार का है, तो मान लिया। वैसे मैं स्वीकार नहीं करता। यदि सब पिछली सरकार का है, तो कम से कम इस बात के लिए तो हमारी सरकार को बधाई दे दीजिए कि हमारी सरकार की approach positive है, negative नहीं है। आपने जो किया है, हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अमीरों के पास तो शौचालय होते ही हैं, गरीब परिवारों में शौचालय नहीं होते हैं। हमारी माताओं और बहनों को नित्यक्रिया के लिए किस तरीके से बाहर जाना पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन पहली बार किसी सरकार ने अपनी तरफ से प्रयत्न किया है कि हर परिवार में अनिवार्य रूप से एक शौचालय होना

† Transliteration in Urdu script.

[श्री राजनाथ सिंह]

चाहिए यानी गरीबों के दलितों के सशक्तीकरण के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। गुलाम नबी भाई और आनन्द शर्मा जी, आप मेरी बात सुनें, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं यह दावा नहीं करता हूँ कि हिन्दुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, वह हम ही कर रहे हैं और वह पहले किसी ने नहीं किया। आपने भी किया है, हम भी कर रहे हैं क्योंकि देश को आगे बढ़ाने का काम कोई भी राजनीतिक पार्टी, भले ही वह पावर में हो, अकेले नहीं कर सकती। यह सब को मिलजुलकर ही करना होगा, सब को विश्वास में लेकर ही भारत जैसे देश को एक सशक्त देश बनाया जा सकता है, स्वाभिमानी देश बनाया जा सकता है अन्यथा वह किसी भी सूरत में संभव नहीं है।

मैं गुजरात की घटना की जरूर यहां पर चर्चा करना चाहता हूँ। उपसभापति जी, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस घटना की मैंने पहले ही निंदा की है। इस में लगभग 7 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है जोकि गांव बेदिया, ताल्लुक खुर्द जिला गीर सोमनाथ के निवासी हैं और एफआईआर का नंबर है 127/16आई, आईपीसी की धारा 307, 395, 324, 323, 504 तथा गुजरात पुलिस एक्ट की धारा 135 और धारा 325 और यह अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। ...*(व्यवधान)*...

KUMARI SELJA (Haryana): Sir, with due respect to the hon. Minister, 40 लोगों का नाम दर्ज है। ...*(व्यवधान)*...

श्री राजनाथ सिंह: सर, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के बाद धारा 342, 355, आईपीसी की धारा 3(1E) दर्ज है ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding ...*(Interruptions)*...

श्री राजनाथ सिंह: और इसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. Please sit down. ...*(Interruptions)*...
He is not yielding.

श्री राजनाथ सिंह: डिप्टी चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ..*(व्यवधान)*..

KUMARI SELJA: Sir, 40 people have been named by those people, by the victims. ...*(Interruptions)*... Nothing is being done. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Selja ji, he is not yielding. ..*(Interruptions)*.. You cannot interrupt like this. ..*(Interruptions)*.. No, that is not going on record since he is not yielding. ..*(Interruptions)* ... He is not yielding.

कुमारी शैलजा: *

श्री राजनाथ सिंह: डिप्टी चेयरमैन सर, 16 व्यक्तियों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है और जो लोहे के पाइप, लाठी आदि इस घटना में इस्तेमाल हुए थे, 3 मोबाइल फोन्स ...(व्यवधान)...

MR DEPUTY CHAIRMAN: This is not going on record ...(Interruptions)...

कुमारी शैलजा: *

श्री राजनाथ सिंह: और डिप्टी चेयरमैन सर, मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि 4 पुलिसकर्मियों को जिनमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर है, 2 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर हैं और एक हेड कांस्टेबल है, निलंबित कर दिया गया है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)...

श्री राजनाथ सिंह: सर, मामले की जांच हो रही है और बहन मायावती जी ने जो बात कही कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को टर्मिनेट कर देना चाहिए, लेकिन मैं बहन मायावती जी से कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मामले की जांच हो रही है और पहली कार्यवाही किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ यदि होती है, तो वह निलंबन की होती है।

सुश्री मायावती: इसे समयबद्ध ढंग से पूरा कराइए। इसे इतना लंबा न लटका दिया जाए कि कई साल लग जाएं। महीने-डेढ़ महीने में जांच पूरी हो जाए तो अच्छा रहेगा।

श्री राजनाथ सिंह: मैं इस बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। महोदय, अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे सीआईडी क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। अब जैसे बहन मायावती जी ने कहा, मैं भी मुख्य मंत्री रहा हूँ और वे भी हम से लंबे समय तक मुख्य मंत्री रही हैं, वे जानती हैं कि सीआईडी की क्या भूमिका होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमने सीआईडी को जांच सौंपी है और गुजरात की सरकार ने उसमें यह निर्धारित कर दिया है कि इतने समय के अंदर आपको चार्जशीट सबमिट करनी है क्योंकि सरकार चाहती है कि इस मामले में जल्दी-से-जल्दी एक न्यायसंगत फैसला हो जाए। हम इस मामले को टालना नहीं चाहते। इसके अलावा इस काम के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए हाईकोर्ट को लिखा है, जिसमें जरूरत पड़ने पर day-to-day hearing होगी क्योंकि इसके लिए हाईकोर्ट की consent की भी आवश्यकता होती है। जो स्पेशल प्रॉसिक्यूटर होते हैं, उनको भी सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। सीआईडी क्राइम ब्रांच से यह कहा गया है कि वह 60 दिनों के अंदर न्यायालय में अपनी चार्जशीट दाखिल करे।

आपने सीबीआई जांच की मांग की थी। लोगों के लिए यह स्वाभाविक है, क्योंकि सीबीआई इस देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लोगों को उस पर भरोसा है, विश्वास है, लेकिन इसको आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि यदि सीबीआई के मामले में देखें, तो छोटे-से मामले में भी दो, तीन साल या चार, पांच साल लग जाते हैं। हम लोगों की तहेदिल से यह ख्वाहिश थी, यह इच्छा थी कि यह जो घटना हुई है, यह बहुत ही गंभीर घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, इसमें यदि न्याय मिलना चाहिए, तो छह महीने के अंदर मिलना चाहिए। इसीलिए

*Not recorded.

[श्री राजनाथ सिंह]

हम लोगों ने यह कहा था कि इस मामले के लिए जल्दी से जल्दी एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाए और इस पूरे मामले की जांच कराकर 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाए।

सुश्री मायावती: मंत्री जी, क्या आप इस जांच में किसी शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को रखेंगे?

श्री राजनाथ सिंह: मैं इस संबंध में वहां के मुख्य मंत्री से बात करूंगा।

सुश्री मायावती: मंत्री जी, आपको थोड़ा देखना चाहिए कि जिनके साथ यह जुल्म, ज्यादाती हुई है, उनकी सही बात भी सामने आ जाए। यदि इसमें शेड्यूल्ड कास्ट का भी न्यायिक आदमी रखा जाएगा, तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री राजनाथ सिंह: मैं मुख्य मंत्री जी से इस बारे में बात करूंगा। मैं उनसे निश्चित रूप से बात करूंगा।

डिप्टी चेयरमैन सर, जहां तक होम मिनिस्ट्री का प्रश्न है, मैं बताना चाहता हूं, वैसे हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, हमारे मित्र श्री थावर चन्द गहलोत जी ने यहां पर बहुत ही विस्तार में सारी बातें रखी हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल् में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने जिस, The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act की चर्चा की थी, एक्टुअली यह एक्ट 1990 में बना था। थोड़ा-सा और इफेक्टिव बनाने के लिए यह एक्ट, फिर से 2015 में पारित हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 महीने के अंदर ही इनवेस्टिगेशन का काम पूरा हो जाना चाहिए और चार्जशीट सबमिट हो जानी चाहिए। यह इस एक्ट के अंदर एक शर्त है।

दूसरा, यह है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट जान-बूझकर किसी चीज़ की उपेक्षा करता है, मामले को जितनी गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लेता है, तो क्या करना चाहिए, अथवा किसे यह माना जाए कि उसकी यह विलफुल नेग्लिजेंस है, यह विलफुल नेग्लिजेंस डिफाइन नहीं थी, हमने इसमें विलफुल नेग्लिजेंस को डिफाइन किया है।

एक और चीज़, जो मैं अनुभव करता हूं, वह यह है कि कन्विकशन रेट के बारे में चर्चा हो रही थी, आप लोगों ने जो कहा कि कन्विकशन रेट जितना होना चाहिए, उतना नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले कन्विकशन रेट 23 परसेंट था। उसके बाद, इधर जो आंकड़े मिले हैं, उसके हिसाब से 28 अथवा 29 परसेंट है। यह 28.8 परसेंट है, लेकिन मैं मानता हूं कि यह कम है। हम एक बार बैठकर इस संबंध में विचार करेंगे कि इसको देखें, क्योंकि साथ ही इस बात की भी जांच करनी पड़ती है कि एफ.आई.आर. सही है या गलत है, क्योंकि कभी-कभी कुछ मामलों में हमने देखा है कि लोग गलत एफ.आई.आर. दर्ज कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि फारवर्ड क्लास के दो ही लोग हैं, यदि आपस में उनकी दुश्मनी है, तो किसी शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को अपना माध्यम बनाकर, उसके माध्यम से एफ.आई.आर. करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I request the Minister to consider the mentality of the Judiciary. The mentality of the judiciary is* .

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री राजनाथ सिंह: डिप्टी चेयरमैन सर, मैं अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए यह कहूंगा कि सम्मानित सदस्यों ने जो सुझाव दिया है, मैं उसको स्वयं देखूंगा और उस सुझाव पर कैसे, कितना कार्य कर सकता हूँ, करने की कोशिश करूंगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश के दलितों पर इस प्रकार के अत्याचार की जो घटनाएँ हैं, वह चाहे फिजिकल वॉयलेंस की हो अथवा वर्बल एब्यूज की हो, उसको हमारी सरकार किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं करेगी। मैं सदन को यही विश्वास दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

KUMARI SELJA: Sir, I had gone to Gujarat with hon. Vice-President of our party. We went to the ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can ask only clarifications.

KUMARI SELJA: Yes, Sir. That is why I want to ask because the hon. Minister has spoken about Gujarat and he has given some facts. I would like to say what I saw there, and I would like to ask a question from the hon. Minister. Sir, today, we went to the site, to the village and to Rajkot to meet the victims and the families of the victims, of the boys who were thrashed so ruthlessly and heartlessly. सर, हमने वहाँ पर इतनी पीड़ाजनक स्थिति उनके घर में, उनके गाँव में देखी है। जिस तरह से उन्हें मारा पीटा गया है, उन्होंने वहाँ पर कुछ लोगों पर, कुछ पार्टियों पर सीधा-सीधा यह एलिगेशन लगाया कि किस तरह से उन पर अत्याचार होता रहा। उनको कैसे inhuman ढंग से treat किया जा रहा था और कैसे उन्हें मारा-पीटा गया! उनको चोटें लगी हुई थीं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your question? ...*(Interruptions)*... Now put your question. ...*(Interruptions)*... What is your question?

कुमारी शैलजा: सर, मैं वही पूछना चाह रही हूँ। सर, राजकोट के अस्पताल में हमने देखा कि 4 बच्चे, young men, जिनको बुरी तरह से मारा गया था, वे हॉस्पिटल में admitted थे। इसके अलावा, मैं जो सवाल पूछना चाहती हूँ, ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: आप सवाल पूछिए। आपका सवाल क्या है?

कुमारी शैलजा: 11 लोग, जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, जहर पीया, कुछ किया, ...*(व्यवधान)*... सर, 11 लोग, हालांकि अखबार तो 17 कह रहे हैं, लेकिन उस अस्पताल में वे 11 लोग, जिन्होंने अलग-अलग ढंग से, आपस में कोई बातचीत करके नहीं, 11 लोगों ने अलग-अलग ढंग से जहर पीया। क्यों? सर, उनकी पीड़ा थी। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वे उनके साथ लड़ सकें। आज वहाँ पर उस सरकार ने, जो पार्टी आज के दिन सत्ता में है, जो दुनिया भर में गुजरात मॉडल की बात की जाती है, ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question. ...*(Interruptions)*... What is your question? ...*(Interruptions)*...

कुमारी शैलजा: सर, उसकी मिसाल हमने देखी ...*(व्यवधान)*... सर, वहाँ पर ...*(व्यवधान)*... सर, उनको देखने गए। ...*(व्यवधान)*... सर, आज तक न तो उनको ढंग से मुआवजा मिला है

[कुमारी शैलजा]

...(व्यवधान)... न ढंग से मुआवजा मिला है ...(व्यवधान)... 40 लोग, जिनके बारे में बताया गया है कि ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(Interruptions)...

कुमारी शैलजा: सर, मैं पूछ रही हूँ ...(व्यवधान)... क्या माननीय गृह मंत्री बताना चाहेंगे कि उन 40 लोगों को, जिनको नामजद किया गया है, ...(व्यवधान)... क्या उन 40 लोगों को ये गिरफ्तार करेंगे? ...(व्यवधान)... क्या ये 40 लोगों पर एक्शन लेंगे? ...(व्यवधान)... क्या माननीय मंत्री जी इनके ऊपर एक्शन लेंगे? ...(व्यवधान)... जो 11 पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, उनको इन्होंने एक पैसा मुआवजा नहीं दिया ...(व्यवधान)... और वहां की मुख्यमंत्री वहां गईं ...(व्यवधान)... * ...(व्यवधान)... * ...(व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, हम इससे satisfied नहीं हैं। ...(व्यवधान)... हम सदन से walk-out करते हैं। ...(व्यवधान)...

†قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): سر، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔
ہم سدن سے واک اوٹ کرتے ہیں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

(At this stage some hon. Members left the Chamber)

MESSAGES FROM LOK SABHA

(I) The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Bill, 2016

(II) Motion Re. Nomination of Members to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

(III) Motion Re. Nomination of Members to the Committee on Welfare of Other Backward Classes

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

“In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 21st July, 2016.”

*Expunged as ordered by the Chair.

† Transliteration in Urdu script.